

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय  
केजीबीवी टाईप-3



# दिशा-निर्देश

सत्र 2019-20

## समग्र शिक्षा, राजस्थान

बालिका शिक्षा प्रकोष्ठ

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

द्वितीय तल, राजीव गाँधी विद्या भवन, शिक्षा संकुल

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-17

फोन- 0141-2715550, 2715517, 2715518, 2705522

ईमेल- [girlseducationsmsa@gmail.com](mailto:girlseducationsmsa@gmail.com); [rajssa\\_gender@yahoo.co.in](mailto:rajssa_gender@yahoo.co.in)



## विवरणिका

| क्र.सं. | विषयवस्तु                                                                        | पृष्ठ संख्या |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य                                                           | 02-04        |
|         | राज्य में एकीकृत केजीबीवी योजना का आरंभ                                          | 04-05        |
| 1       | वित्तीय प्रावधान                                                                 | 06           |
| 2       | स्पिल ओवर                                                                        | 06           |
| 3       | अनावर्ती/नॉन-रेकरिंग राशि का उपयोग                                               | 06           |
|         | 3.1 नामांकन क्षमता में वृद्धि                                                    | 06-07        |
|         | 3.2 मेजर रिपेयर                                                                  | 07           |
|         | केजीबीवी संचालन                                                                  | 07           |
| 4       | 4.1 केजीबीवी टाईप-3 का संचालन - एसएमसी/एचएमसी का गठन                             | 07-11        |
|         | 4.2 बालिकाओं का नामांकन एवं ट्रांजिशन                                            | 12-18        |
|         | 4.3 शिक्षण कार्य एवं विद्यालय का संचालन                                          | 18-21        |
|         | 4.4 सह-शैक्षिक गतिविधियों का संचालन                                              | 21           |
| 5       | आवासीयता संबंधित विशेष प्रावधान                                                  | 21           |
|         | 5.1 बालिकाओं की सुरक्षा                                                          | 21-23        |
|         | 5.2 भवन में सुरक्षा प्रबंधन एवं आपदा प्रबंधन                                     | 23-24        |
|         | 5.3 स्वास्थ्य एवं संरक्षा                                                        | 24           |
|         | आवर्ती/रेकरिंग राशि का उपयोग                                                     | 24-25        |
| 6       | 6.1 बालिकाओं का रखरखाव                                                           | 25-30        |
|         | 6.2 बालिकाओं को स्टाइपेण्ड                                                       | 30-31        |
|         | 6.3 सहायक टीएलएम, स्टेशनरी एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री                             | 31-32        |
|         | 6.4 विशेष कौशल प्रशिक्षण                                                         | 32-34        |
|         | 6.5 बिजली एवं जल शुल्क                                                           | 34           |
|         | 6.6 चिकित्सकीय सुविधायें एवं आकस्मिक व्यय                                        | 34-35        |
|         | 6.7 भवन का रखरखाव                                                                | 36-37        |
|         | 6.8 विविध                                                                        | 37-38        |
|         | 6.9 तैयारी शिविर                                                                 | 38           |
|         | 6.10 पीटीए एवं विद्यालय कार्यक्रम                                                | 38-42        |
|         | 6.11 क्षमता अभिवर्द्धन                                                           | 43           |
|         | 6.12 शारीरिक शिक्षा एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण                                      | 43-44        |
|         | स्टॉफ संबंधी प्रावधान एवं प्रबंधन                                                | 44-45        |
| 7       | 7.1 शैक्षिक स्टॉफ                                                                | 45-46        |
|         | 1. जिन केजीबीवी में कक्षा 6 से 8 का शिक्षण कार्य केजीबीवी परिसर में संचालित है   |              |
|         | 2. जिन केजीबीवी में समस्त कक्षाओं का शिक्षण कार्य निकटतम विद्यालय में संचालित है |              |
|         | 7.2 शैक्षिक स्टॉफ संबंधी प्रावधान                                                | 46           |
|         | 7.3 शैक्षणिक स्टाफ हेतु डेप्यूटेशन पॉलिसी                                        | 47           |
|         | 7.4 अंशकालिक शिक्षिका                                                            | 48           |
|         | 7.5 समस्त केजीबीवी टाईप-3 में गैर-शैक्षणिक स्टाफ की व्यवस्था एवं प्रावधान        | 49-50        |
| 8       | वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंधन                                                    | 50           |
|         | 8.1 केजीबीवी टाईप-3 में नोडल प्रधानाचार्य के दायित्व एवं अन्य प्रावधान           | 50           |
|         | 8.2 वित्तीय प्रक्रिया                                                            | 51           |
|         | 8.3 उपयोगिता प्रमाण-पत्र                                                         | 52           |
|         | 8.4 वित्तीय पारदर्शिता                                                           | 53           |
| 9       | मॉनीटरिंग एवं अकादमिक सहयोग                                                      | 53-54        |

**दिशा-निर्देश**  
**कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय,**  
**टाईप-3 (कक्षा 6 से 12)**

**सत्र 2019-20**

क्रमांक : प.6/रास्कूलशिप/जय/बा.शि./केजीबीवी/कम्पैन्डियम/2019-20/6280 दिनांक : 1-10-19

ईमेल- girlseducationsmsa@gmail.com, rajssa\_gender@yahoo.co.in,

**पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य -**

केजीबीवी योजना शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने और उनके ठहराव हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में चालू की गयी। उक्त योजना अन्तर्गत 10+ से 14 वयवर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6 की दक्षताओं की सम्प्राप्ति एवं कक्षा 6 से 8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। इन बालिकाओं की आगामी शिक्षा जारी रहे, इस हेतु सत्र 2009-10 में केन्द्र सरकार द्वारा बालिका छात्रावास नाम से दूसरी योजना चालू की गयी। जो कि राज्य में 2017-18 तक शारदे बालिका छात्रावास के नाम से संचालित थी। उक्त योजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा जारी रखने हेतु कक्षा 9 से 12 की नामांकित बालिकाओं को छात्रावास की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। बालिका छात्रावास में प्राथमिकता से केजीबीवी से कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाओं का नामांकन कराया जाता है। रिक्त स्थानों पर वंचित वर्ग की बालिकाओं को भी यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया।

राज्य में दोनों योजनाओं का संचालन शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक्स (Educationally Backward Blocks) में किया जा रहा है जहाँ महिला साक्षरता दर देश के औसत से भी कम है और साक्षरता दर में जेण्डर गैप देश के औसत से भी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त राज्य के 14 अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरी क्षेत्रों में भी कक्षा 6 से 8 तक के केजीबीवी का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार सत्र 2017-18 तक 200 केजीबीवी (14 अल्पसंख्यक केजीबीवी सहित) एवं 186 शारदे बालिका छात्रावास का संचालन किया जा रहा था।

**उद्देश्य -**

1. इन केजीबीवी में समाज में वंचित वर्गों की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सके इस हेतु प्राथमिकता से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं बीपीएल वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।
2. केजीबीवी में आवासित बालिकाओं को शिक्षण के साथ-साथ आवास, भोजन, चिकित्सा, स्टेशनरी, स्टार्च एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
3. बालिकाओं को शिक्षण के साथ-साथ कौशल विकास प्रशिक्षण (Skill development training) हेतु दो कोर्स (कटिंग टेलरिंग एवं ब्यूटी कल्चर) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वो शिक्षण उपरांत आत्मनिर्भर बन सके।
4. छात्राओं को विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिये आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
5. बालिकाओं की समाज में स्थिति और बालिकाओं में शिक्षा में विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान के विकास एवं उनके बौद्धिक क्षमता के संवर्द्धन के लिये प्रतिवर्ष केजीबीवी में किशोरी शैक्षणिक खेलों का आयोजन किया जाता है।
6. केजीबीवी शिक्षिकाओं की क्षमता अभिवर्द्धन के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित कराए जाते हैं। जिससे शिक्षिकाओं में कन्डेन्सड कोर्स शिक्षण दक्षता, व्यवहार, जीवन कौशल, विद्यालय

प्रबन्धन एवं विषय वस्तु आधारित जानकारी प्रदान करवायी जाती है ताकि बालिकाओं की क्षमता एवं उनके बौद्धिक विकास में वे सहायक हो सके।

● **नामांकन एवं लाभान्वित बालिकाएं –**

गत वर्षों में सत्र 2006–07 से सत्र 2018–19 तक कुल 200 केजीबीवी में 207472 एवं सभी 186 शारदे बालिका छात्रावासों में सत्र 2014–15 से 2018–19 तक कुल 54532 बालिकाएं लाभान्वित हुई है।

गत सत्र 2018–19 में केजीबीवी टाईप-3 में कक्षा 6–12 में अध्ययनरत बालिकाओं का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :-

| S.No. | Type   | Target | Achievement | Drop Out child | Never Enrolled | Orphan | CWSN | Single Parent | Over Age | Any other |
|-------|--------|--------|-------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------|-----------|
| 1     | Type-3 | 13650  | 13291       | 1262           | 869            | 121    | 202  | 986           | 27       | 9824      |

● **बोर्ड परीक्षा परिणाम –**

गत सत्र 2018–19 में केजीबीवी टाईप-3 में कक्षा 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण बालिकाओं का विवरण –

| S.No. | Type   | Class | No of girls appeared in exam | Grade        |              |                |     |   | No. of girls pass out | Supplementary |
|-------|--------|-------|------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----|---|-----------------------|---------------|
|       |        |       |                              | A            | B            | C              | D   | E |                       |               |
| 1     | Type-3 | 8th   | 2509                         | 451          | 948          | 945            | 165 | 0 | 2509                  | -             |
|       |        | Class | No of girls appeared in exam | Ist Division | IInd divison | IIIrd division |     |   |                       |               |
|       |        | 10th  | 1706                         | 369          | 743          | 259            | -   | - | 1371                  | 179           |
|       |        | 12th  | 1001                         | 506          | 374          | 42             | -   | - | 922                   | 58            |
|       |        | Total | 5216                         | 1326         | 2065         | 1246           | 165 | 0 | 4802                  | 237           |

- **किशोरी शैक्षिक मेले-** किशोरी मेलों में गत सत्र 2018–19 में केजीबीवी (कक्षा 6–8) की 20095 बालिकाओं एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की 58578 बालिकाओं ने इस प्रकार कुल 78673 बालिकाओं ने भाग लिया।
- **कौशल विकास प्रशिक्षण –** कौशल विकास प्रशिक्षण अन्तर्गत गत सत्र 2018–19 में कटिंग, टेलरिंग एवं ब्यूटी कल्चर प्रशिक्षण अन्तर्गत कुल 6071 बालिकाओं ने केजीबीवी (कक्षा 6–8) में प्रशिक्षण प्राप्त कर एन.आई.ओ.एस से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया।
- **आत्मरक्षा प्रशिक्षण –** आत्मरक्षा प्रशिक्षण अन्तर्गत गत सत्र 2018–19 में केजीबीवी में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- **भोजन तथा आवास –** केजीबीवी में आवासरत समस्त बालिकाओं को निर्धारित मेन्यू के अनुसार नियमित पौष्टिक भोजन एवं आवास उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ-साथ शुद्ध पेयजल, बिजली एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।
- **चिकित्सा सुविधा –** आवासरत प्रत्येक बालिका का नियमित चिकित्सकीय जांच करवाई जाती है।

सत्र 2018-19 में केजीबीवी टाईप-3 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवर्ती मद में अनुमोदन अनुसार समस्त 68 केजीबीवी का संचालन किया गया है।

प्रत्येक छात्रावास में वर्षपर्यन्त पीएबी के अनुमोदन अनुसार छात्रावास का संचालन किया जाकर बालिकाओं के शैक्षिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास पूर्ण हो पाता है जो कि उनके द्वारा परीक्षाओं के परिणाम सह-शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता आदि में परिलक्षित होता है। वर्तमान सत्र में प्रत्येक नोडल प्रधानाचार्य अपने स्तर पर नियमित रूप से समस्त गतिविधियों के संचालन की सुनिश्चितता करेंगे। इनके साथ ब्लॉक स्तर पर सी.बी.ई.ओ, जिला स्तर पर एडीपीसी प्रत्येक तिमाही में संचालित होने वाली गतिविधियों का प्रतिवेदन राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगे। पृष्ठ संख्या 53-54 में अंकित निर्देशानुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा संचालित गतिविधियों की नियमित मॉनीटरिंग की जायेगी।

- केजीबीवी टाईप-1 एवं टाईप-3 के कक्षा 6-8 के आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों का मूल्यांकन निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा, भारत सरकार के पत्रांक एफ-21-7/2013/ई.ई.8, नई दिल्ली दिनांक 10.10.2013 के अनुसार राज्य के केजीबीवी का मूल्यांकन 23-28 नवम्बर 2013 तक किया गया। मूल्यांकन के ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार छात्राओं के रखरखाव में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करने, प्रत्येक 3 वर्ष बाद बिस्तरों का बदलाव करने, अनावर्ती मद के अन्तर्गत आने वाले उपयोगी आईटम में बदलाव किया जाने, खेलमैदान को विकसित करने, कम्प्यूटर ट्रेनर एवं कम्प्यूटर शिक्षा के प्रयास करने का सुझाव दिया गया।
- केजीबीवी (मॉडल-1) का मूल्यांकन निदेशालय मूल्यांकन संगठन, योजना भवन, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा भी किया गया जिसका प्रतिवेदन पत्रांक अ.शा. पत्रांक-एफ-25(23)मूसं/तक/2011-12/2806 दिनांक 16.09.2015 के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार "केजीबीवी में संचालित विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन से बालिकाओं के चहुमुखी व्यक्तित्व विकास के साथ ही उन्हें उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लेने हेतु प्रेरणा मिल रही है। यह शिक्षा से वंचित बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रति अत्यंत सकारात्मक कदम है।

"शारदे बालिका छात्रावासों की भूमिका" के संबंध में निदेशालय मूल्यांकन संगठन, योजना भवन, जयपुर, राजस्थान सरकार के द्वारा मूल्यांकन - श्रीमान् निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय मूल्यांकन संगठन, योजना भवन जयपुर के द्वारा शारदे बालिका छात्रावासों (केजीबीवी टाईप-3 की कक्षा 9-12 के छात्रावासों) का मूल्यांकन गत सत्र में किया गया है। इस संबंध में पत्रांक-अ.शा.पत्रांक - एफ - 36 (100) मूसं / तक / 2016-17/2225 दिनांक 26.06.2019 के माध्यम से मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार बालिका छात्रावास योजना ग्रामीण क्षेत्र के वंचित वर्ग की बालिकाओं तथा एस.सी.,एस.टी.,अल्पसंख्यक, बी.पी.एल को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने हेतु उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को पूर्ण करवाने हेतु और इनके चहुमुखी विकास के लिये यह योजना बालिकाओं के लिये आवश्यक है जिसमें निरन्तर गुणात्मक वृद्धि हेतु प्रयास किया जा सकता है।

### राज्य में एकीकृत केजीबीवी योजना का आरंभ

सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के एकीकरण के साथ ही केजीबीवी योजना एवं (शारदे) बालिका छात्रावास योजना को समन्वित कर दिया गया है। सत्र 2018-19 से दोनों योजनाएं समन्वयन पश्चात् एकीकृत केजीबीवी योजना (Integrated KGBV Scheme or KGBV) अथवा केजीबीवी के नाम से जानी जा रही हैं। एकीकृत केजीबीवी को निम्नानुसार तीन प्रकार में विभाजित किया गया है -

1. केजीबीवी टाईप-1 - कक्षा 6 से 8 हेतु
2. केजीबीवी टाईप-3 - कक्षा 6 से 12 हेतु
3. केजीबीवी टाईप-4 - कक्षा 9 से 12 हेतु



जानकारी हेतु:

केजीबीवी टाईप-2

(कक्षा 6 से 10 हेतु)

राज्य में संचालित नहीं हैं।

वर्तमान सत्र 2019-20 में एकीकृत केजीबीवी का टाईप-वार विवरण तालिका- 01 में निम्नानुसार हैं।

**केजीबीवी टाईप-1, 3 एवं 4 की कुल संख्या का वर्गीकरण  
तालिका-1**

| KGBV Type     | School cum Hostel (SH) / Only Hostel (H)                                 | Class | No. of SH/H | Maximum Capacity | Total Capacity |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|----------------|--|
| 1             | KGBV Type-I                                                              |       |             |                  |                |  |
|               | Schools cum Hostel = 78                                                  | 6-8   | 78          | 100              | 7800           |  |
|               | Only Hostel = 13                                                         |       | 13          | 100              | 1300           |  |
|               | Total =                                                                  |       | 91          |                  | 9100           |  |
| KGBV Type-III |                                                                          |       |             |                  |                |  |
| 3             | Schools cum Hostel = 100<br>(for class 6 to 8 & Only Hostel for 9 to 12) | 6-12  | 1           | 250              | 250            |  |
|               |                                                                          |       | 1           | 150              | 150            |  |
|               |                                                                          |       | 38          | 100              | 3800           |  |
|               |                                                                          |       | 60          | 200              | 12000          |  |
|               | Only Hostel = 09<br>for class 6 to 12                                    |       | 6           | 200              | 1200           |  |
|               |                                                                          |       | 3           | 100              | 300            |  |
|               | Total =                                                                  | 109   |             | 17700            |                |  |
| KGBV Type-IV  |                                                                          |       |             |                  |                |  |
| 4             | Only Hostel = 119                                                        | 9-12  | 119         | 100              | 11900          |  |
| Grand Total = |                                                                          |       | 319         |                  | 38700          |  |

जिलेवार एकीकृत केजीबीवी (टाईप-3) की सूची संलग्नक-1 पर देखें।

**टाईप के चयन का आधार -**

- केजीबीवी अपग्रेडेशन के प्रथम चरण में सत्र 2018-19 में एक ही परिसर में संचालित पूर्ववर्ती केजीबीवी एवं बालिका छात्रावास को टाईप-3 केजीबीवी के रूप में घोषित किया गया है। जिनकी कुल संख्या 68 थी।
- केजीबीवी अपग्रेडेशन के द्वितीय चरण में सत्र 2019-20 में भी कुल 42 केजीबीवी-1 को केजीबीवी-3 में अपग्रेडेशन किया गया है जिससे इनकी कुल संख्या में परिवर्तन हुआ है। अब इनकी कुल संख्या 109 हो गई है। लेकिन इनमें बालिकाओं की अधिकतम क्षमता, नवीन भवन के निर्माणधीन होने के कारण समान नहीं हैं। "यह भी ध्यातव्य है कि सत्र 2018-19 में सोजत, पाली की कक्षा 6 से 8 एवं 9 से 12 के बालिका छात्रावास को भी एकीकृत किया गया था लेकिन इनके परिसर दूर एवं अलग-अलग होने के कारण वर्तमान में इन्हें पुनः टाईप-1 एवं टाईप-4 में विभाजित किया गया है"।
- एकीकृत केजीबीवी टाईप-3 में कक्षा 6 से 12 तक की समस्त बालिकाओं हेतु आवंटित बजट में सभी मदों/उपमदों के अर्न्तगत समान प्रावधान किया गया है। ये सभी एक इकाई के रूप में संचालित किये जायेंगे।

**केजीबीवी टाईप-3 के संचालन संबंधी निर्देश**

केजीबीवी टाईप-3 के इस परिपत्र में दिये गये निर्देश राज्य की कुल 109 केजीबीवी पर लागू होंगे, जिसकी सूची जिलेवार संलग्नक-1 पर है।

## 1. आवर्ती मद वित्तीय प्रावधान

| Type-3                                                          |                       |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Activity                                                        | Unit cost             | Period | Budget | Budget | Budget | Budget |
|                                                                 |                       |        | (100G) | (150G) | (200G) | (250G) |
| 1. Fooding & Lodging                                            | Per girl Rs. 1650 pm  | Month  | 19.80  | 29.70  | 39.60  | 49.50  |
| 2. Stipend for girl                                             | Rs. 150 pm            | Month  | 1.80   | 2.70   | 3.60   | 4.50   |
| 3. Supplementary TLM, stationery and other educational material | Per girl Rs. 1100 pa  | Annual | 1.10   | 1.65   | 2.20   | 2.75   |
| 4. Examination Fee                                              | Per girl Rs. 800      | Annual | 0.40   | 0.40   | 0.40   | 0.40   |
| 5. Vocational training/ specific skill training                 | Per girl Rs. 1500 pa  | Annual | 1.50   | 2.25   | 3.00   | 3.75   |
| 6. Electricity/ water charges                                   | Per girl Rs. 1800 pa  | Annual | 1.80   | 2.70   | 3.60   | 4.50   |
| 7. Medical care/ Contingencies                                  | Per girl Rs. 1500 pa  | Annual | 1.50   | 2.25   | 3.00   | 3.75   |
| 8. Maintenance                                                  | Per girl Rs. 1000 pa  | Annual | 1.00   | 1.50   | 2.00   | 2.50   |
| 9. Miscellaneous                                                | Per girl Rs. 1500 pa  | Annual | 1.50   | 2.25   | 3.00   | 3.75   |
| 10. Preparatory camps                                           | Per KGBV Rs. 7000 pa  | Annual | 0.07   | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
| 11. PTAs/ school functions                                      | Per girl Rs. 200 pa   | Annual | 0.20   | 0.30   | 0.40   | 0.50   |
| 12. Capacity building                                           | Per kgbv Rs. 10000 pa | Annual | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
| 13. Physical / Self Defence training                            | Per Kgbv Rs. 10000 pa | Annual | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
| 14. Salary                                                      | as per state norms    |        |        |        |        |        |

टाईप-3 के अर्न्तगत वित्तीय प्रावधान हेतु संलग्नक-2 पर भी देखें।

## 2. स्पिल ओवर

- केजीबीवी टाईप-3 में सत्र 2019-20 हेतु प्राप्त स्पिल ओवर संबंधित कार्यों का विवरण संलग्नक-3 पर देखें।

नोट-सभी जिलें समस्त मदों में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य समाप्ति उपरान्त सिविल शाखा के साथ-साथ बालिका शिक्षा प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

## 3. अनावर्ती/नॉन-रेकरिंग राशि का उपयोग

सत्र 2018-19 में नॉन-रेकरिंग मद में 68 केजीबीवी टाईप-3 हेतु निम्नलिखित मद में राशि स्वीकृत की गयी है।

- 16 केजीबीवी सत्र 2018-19 में अपग्रेड हेतु फर्नीचर, टी.एल.एम एवं बैडिंग - संलग्नक - 4 देखें।
- सत्र 2019-20 में अपग्रेड 23 नये केजीबीवी हेतु भवन निर्माण के लिये राशि - संलग्नक - 5 देखें।
- बाउण्ड्रीवाल हेतु - संलग्नक - 6 देखें।

### 3.1 नामांकन क्षमता में वृद्धि

सत्र 2018-19 में केजीबीवी टाईप-3 के 02 केजीबीवी में कक्षा 6 से 8 के लिए नामांकन क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गयी है। अतः प्रधानाध्यापिका नामांकन समिति की सहायता से पात्र बालिकाओं को चिन्हित कर 50 अतिरिक्त पात्र बालिकाओं के नामांकन के लक्ष्य को 15 सितम्बर 2019 से पूर्व पूरा किया जाना सुनिश्चित करें।



अतिरिक्त 50 बालिकाओं के आवास हेतु 2 अतिरिक्त डोरमेट्री मय टॉयलेट विंग का निर्माण किया जाना है। निर्माण कार्य जिला परियोजना कार्यालय की सिविल शाखा द्वारा करवाया जायेगा। यदि हॉस्टल में पूर्व से इन्सीनरेटर का निर्माण नहीं हो तो उसे भी सिविल कार्य के साथ करवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रधानाध्यापिका निर्माण कार्यों का प्रस्ताव एसएमसी में पारित करवाया जाना सुनिश्चित करेगी। डोरमेट्री का निर्माण कार्य करवाये जाने का दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समसा का है यदि किसी भी प्रकार का कार्य बकाया है तो उसे 31 दिसम्बर 2019 तक पूरा करवाकर सूचित करेंगे।

### **3.2 मेजर रिपेयर**

सत्र 2006-07 से संचालित उपरोक्तानुसार राज्य की 35 केजीबीवी, जिसमें से टाईप-3 की 19 केजीबीवी सम्मिलित हैं, को मेजर रिपेयर हेतु राशि 2.5 लाख रुपये प्रति केजीबीवी प्राप्त हुई है। उक्त राशि के अन्तर्गत टॉयलेट विंग एवं बिल्डिंग की मरम्मत करवायी जानी है। यदि हॉस्टल में पूर्व से इन्सीनरेटर का निर्माण नहीं हो तो उसे भी सिविल कार्य के साथ करवाया जाना सुनिश्चित करें। समस्त निर्माण कार्य को 31 दिसम्बर 2018 से पूर्व करवाये जाने का दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समसा एवं A.En का समसा संयुक्त रूप से होगा।

दस वर्ष से अधिक समय से संचालित केजीबीवी भवन हेतु मेजर रिपेयर की सूची संलग्नक-4 पर देखें।

मरम्मत करवाये जाने से पूर्व एसएमसी का पुर्नगठन/अपडेशन कर, उसकी बैठक कर केजीबीवी में रिपेयर कार्यों की प्राथमिकता तय कर प्रस्ताव को अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित करें। एसएमसी की उक्तानुसार बैठक करने का दायित्व प्रधानाध्यापिका का होगा (जहां केवल छात्रावास संचालित है वहाँ उक्त कार्य का दायित्व एचएमसी सचिव का होगा)। प्रस्ताव पारित होने के पश्चात ही निर्माण एवं रिपेयर संबंधी कार्य सिविल शाखा द्वारा किया जाएगा। सिविल कार्य की समिति आगामी कार्य करेगी।

### **4. केजीबीवी संचालन**

एकीकृत केजीबीवी योजना के अन्तर्गत केजीबीवी योजना का संचालन केजीबीवी की स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) अथवा हॉस्टल प्रबंधन समिति (HMC) के द्वारा किया जायेगा। केजीबीवी में सिविल कार्य अथवा इसके संचालन हेतु जारी की गयी समस्त राशि को पृथक बैंक खाते में रखा जायेगा।

#### **4.1. केजीबीवी टाईप-3 का संचालन – एसएमसी/एचएमसी का गठन**

केजीबीवी योजना का संचालन एसएमसी अथवा एचएमसी के माध्यम से होगा। जिन केजीबीवी में कक्षा 6 से 8 हेतु विद्यालय का संचालन केजीबीवी परिसर में हो रहा है, वहाँ पर संचालन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) का गठन किया जायेगा। जिन केजीबीवी में बालिकाएं निकटतम विद्यालय/नोडल विद्यालय में अध्ययन हेतु जा रही है, वहाँ केजीबीवी में हॉस्टल प्रबंधन समिति (HMC) का गठन किया जायेगा।

#### **4.1.1 आवासीय विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी):-**

- आरटीई 2009 के अन्तर्गत समस्त केजीबीवी में एसएमसी का गठन किया जायेगा।
- विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) का गठन के प्रत्येक 2 वर्ष बाद नियमानुसार एसएमसी का नवीनीकरण किया जायेगा। एसएमसी का गठन केजीबीवी की प्रधानाध्यापिका समस्त अभिभावकों को सूचित कर आरटीई 2009 में प्रावधित नियमों का पालन करते हुए अपनी अध्यक्षता में शीघ्रातिशीघ्र करवाया जाना सुनिश्चित करेगी।
- केजीबीवी से संबंधित पीईईओ, जिले के प्रशासनिक एवं लेखाधिकारियों को सम्मिलित करते हुए केजीबीवी एसएमसी अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों का एसएमसी नियमों एवं प्रावधानों संबंधी अभिमुखीकरण (वर्ष में दो बार—जुलाई में एक दिवसीय तथा जनवरी में एक दिवसीय) अनिवार्य रूप से करवायेगा। जिससे एसएमसी अपने अधिकारों, कर्तव्यों तथा नियमों का स्पष्टता से

6

पालना कर सके। इसके लिए व्यय अधिकतम रुपये 50 प्रतिव्यक्ति प्रति अभिमुखीकरण की दर पर कैपेसिटी बिल्डिंग उपमद से किया जा सकेगा।

- केजीबीवी की एसएमसी में अनिवार्य रूप से प्रतिनियुक्त (राजकीय) अध्यापिका ही जो प्रधानाध्यापिका के पद पर है, एसएमसी की सचिव बनायी जाये। यदि राजकीय अध्यापिका केजीबीवी में कार्यरत नहीं है तो नोडल विद्यालय में कार्यरत राजकीय अध्यापिका को सचिव का कार्यभार सौंपा जाये।
- एसएमसी का अध्यक्ष अध्ययनरत बालिका का अभिभावक होगा।
- **विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) और उसके दायित्व के संबंध में सामुदायिक गतिशीलता एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून प्रभाग द्वारा जारी परिपत्र में उल्लेखित संविधान, अधिकार एवं कर्तव्य अनुसार कार्यवाही की जावेगी।**
- विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के अधिकार संबंधित पीईईओ, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को होंगे।
- विद्यालय प्रबंधन समिति केजीबीवी (स्थान का नाम लिखे) के नाम से बैंक में खाता खोला जायेगा। अनुमोदित संबंधित गतिविधियों की राशि राज्य/जिले द्वारा केजीबीवी हेतु इसी खाते में भेजी जायेगी।
- विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य सचिव समिति के समस्त कार्यालयी पत्र व्यवहार पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होगा।
- केजीबीवी टाईप-3 में आहरण एवं वितरण संबंधी अधिकार विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष (अभिभावक) एवं सदस्य सचिव के पास संयुक्त रूप से होंगे।

### एसएमसी का गठन एवं चयन प्रक्रिया

19 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति जिसके पदाधिकारी निम्नानुसार होंगे :-

तालिका-2

| क्र.सं. | पद                      | चयन प्रक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | अध्यक्ष                 | समिति की साधारण सभा द्वारा माता-पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2       | उपाध्यक्ष               | समिति की साधारण सभा द्वारा माता-पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3       | सदस्य (11)              | साधारण सभा द्वारा माता-पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्य, जिनमें से कम से कम 6 महिलाएं, 1 अनु.जाति व 1 अनु. जनजाति से संबंधित हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4       | पदेन सदस्य (1)          | ग्राम पंचायत/नगर पालिका के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है, उस वार्ड का वार्ड पंच/पार्षद।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5       | सदस्य सचिव (1)          | केजीबीवी प्रधानाध्यापिका व केजीबीवी प्र.अ. की अनुपस्थिति में केजीबीवी में कार्यरत अन्य वरिष्ठतम राजकीय शिक्षिका अथवा नोडल विद्यालय में कार्यरत राजकीय शिक्षिका।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6       | निर्वाचित अध्यापिका (1) | विद्यालय की अध्यापिकाओं द्वारा समिति हेतु निर्वाचित एक अन्य महिला अध्यापिका।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7       | मनोनीत सदस्य (2)        | विद्यालय परिक्षेत्र के विधान सभा सदस्य द्वारा नामित ऐसे दो (2) व्यक्ति (प्राथमिकता से दोनों सदस्य महिला हों तथा एक माता या संरक्षक सदस्यों में से एक हो)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• जो उस ग्रामीण क्षेत्र (राजस्व ग्राम/शहरी क्षेत्र का) का और वार्ड का निवासी हो जिसमें विद्यालय स्थित है अथवा समिति के माता-पिता या संरक्षक सदस्यों द्वारा मनोनीत स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय का बालक।</li> <li>• मनोनयन में प्रथम प्राथमिकता विधानसभा सदस्य द्वारा नामित व्यक्तियों को दी जावे, लेकिन मनोनयन से पूर्व विधान सभा सदस्य</li> </ul> |

✓

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  | द्वारा नामित व्यक्तियों की उनसे लिखित में स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा। (विधायक द्वारा प्राथमिकता से महिला सदस्य का नाम ही प्रस्तावित करवाया जाए)<br>• मनोनयन में द्वितीय प्राथमिकता विद्यालय परिक्षेत्र के निवासी राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को दी जावे। |
| 8 | पदेन सदस्य (1)   | नोडल प्रिंसिपल (निकटवर्ती उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य)                                                                                                                                                                                                                |
| 9 | छात्रा सदस्य (2) | केजीबीवी में कक्षा 8 एवं कक्षा 10 में अध्ययनरत बालिकाएँ जिनका गत सत्र का परीक्षा परिणाम सर्वाधिक रहा हों।                                                                                                                                                                        |
|   | कुल सदस्य        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- केजीबीवी की एसएमसी में कुल प्राथमिक 19 सदस्य होंगे। आवासीयता को मध्यनजर रखते हुए एक बालिका भी पदेन सदस्य होंगी। बालिका एवं उसके अभिभावक संयुक्त एक साथ एक समय में एसएमसी के सदस्य नहीं होंगे।
- प्रत्येक एक माह-30 कार्यदिवसों के अन्तराल पर एक बैठक बुलाया जाना आवश्यक होगा। जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी सचिव की होगी। बैठक की प्रस्तावित दिनांक एवं एजेण्डा तय कर कम से कम 10 दिन पूर्व तीन में से किसी दो माध्यम द्वारा समस्त सदस्यों को सूचित किया जाना होगा—लिखित आमंत्रण, मोबाइल पर हिन्दी मैसेज द्वारा आमंत्रण, फोन से सीधे बुलाना। यथा संभव एसएमसी की बैठकों को अमावस्या के दिन आयोजित की जाये। यह बैठक विद्यालय परिसर, चौपाल अथवा किसी सुविधाजनक स्थान पर बुलाई जावें।
- एसएमसी की बैठक एवं निर्णयों की स्वीकृति हेतु कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति कोरम हेतु आवश्यक होगी।
- किसी भी निर्णय में जो कि भोजन एवं आवास व्यवस्था, शिक्षण कार्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करती है, में बालिकाओं के विचारों की अवहेलना नहीं की जायेगी।
- बैठक में प्रस्ताव के साथ-साथ लिये गये निर्णयों एवं सदस्यों के विचारों को बैठक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।
- प्रत्येक बैठक में गत बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट की समीक्षा की जायेगी।

#### विद्यालय प्रबन्धन समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार होंगे —

- समस्त बैठकों में प्रतिभाग करना।
- विद्यालय प्रबन्धन एवं संचालन की मॉनीटरिंग करना।
- विद्यालय विकास योजना तैयार करना और अभिशप्ति करना।
- राज्य सरकार या किसी भी स्त्रोत के माध्यम से प्राप्त राशि का नियमानुसार उपयोग करना एवं मॉनीटरिंग करना।
- नियमानुसार क्रय आदि की कार्यवाही पारदर्शिता रखते हुए संपादित करना।
- सभी तरह के अभिलेख तैयार करना/करवाना एवं अभिलेखों को अपडेट रखना।
- विद्यालय संचालन में लिखित निर्देशों की पालना करवाते हुए समस्त कार्यों को समय पर करवाना।
- केजीबीवी राशि के उपयोग में पारदर्शिता रखना।
- अन्य सभी कार्य जो समय-समय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा दिये जावे।
- केजीबीवी में शिक्षा से वंचित वर्ग की बालिकाओं का नामांकन, नामांकित बालिकाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चहुँमुखी विकास, संसाधनों का संरक्षण व विकास इत्यादि में सक्रिय योगदान देना।
- शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों का संपादन निर्धारित समय एवं निर्देशानुसार करना।
- केजीबीवी में अभिभावक-शिक्षक बैठकों को प्रभावी बनाना।
- बालिकाओं के ठहराव को सुनिश्चित करना।
- आकस्मिक/आपातकालीन स्थितियों में समय पर दायित्व का निर्वहन करना।

#### 4.1.2 राजकीय विद्यालय में/निकट स्थित छात्रावास में छात्रावास प्रबंधन समिति (एचएमसी)

- केजीबीवी टाईप-1 के कुल 91 केजीबीवी में से 13 केजीबीवी में बालिकाओं हेतु केवल छात्रावास की सुविधा है और बालिकाएं निकटतम राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं। इनके संचालन हेतु छात्रावास प्रबंधन समिति (HMC) का गठन किया जायेगा। एसएमसी की तर्ज पर एचएमसी का प्रत्येक 2 वर्ष बाद नियमानुसार नवीनीकरण होगा।
- केजीबीवी से संबंधित पीईईओ, जिले के प्रशासनिक एवं लेखाधिकारियों को सम्मिलित करते हुए केजीबीवी एचएमसी अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों का एचएमसी नियमों एवं प्रावधानों संबंधी अभिमुखीकरण (वर्ष में दो बार—जुलाई में एक दिवसीय तथा जनवरी में एक दिवसीय) अनिवार्य रूप से करवायेगा। जिससे एचएमसी अपने अधिकारों, कर्तव्यों तथा नियमों की स्पष्टता से पालना कर सके। इसके लिए व्यय अधिकतम रुपये 50 प्रतिव्यक्ति प्रति अभिमुखीकरण की दर पर कैपेसिटी बिल्डिंग उपमद से किया जा सकेगा।
- एचएमसी का अध्यक्ष अध्ययनरत बालिका का अभिभावक होगा। प्रतिनियुक्ति अध्यापिका जो वार्डन पद पर हैं, एचएमसी की सचिव बनायी जाये। केजीबीवी में प्रतिनियुक्ति (राजकीय) शिक्षिका के कार्यरत न होने की स्थिति में ही प्राथमिकता से सम्बद्ध नोडल विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिका अथवा प्रधानाध्यापिका को सचिव बनाया जाए।
- छात्रावास प्रबंध समिति और उसके दायित्व एसएमसी के समान ही होंगे जो कि छात्रावास संचालन तक सीमित होंगे।
- छात्रावास प्रबंधन समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के अधिकार संबंधित नोडल प्रिन्सिपल/पीईईओ, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी के होंगे।
- छात्रावास प्रबंधन समिति (...स्थान का नाम लिखें...) के नाम से बैंक में खाता खोला जायेगा। अनुमोदित संबंधित गतिविधियों की राशि राज्य/जिले द्वारा केजीबीवी हेतु इसी खाते में भेजी जायेगी।
- छात्रावास प्रबंधन समिति का सदस्य सचिव समिति के समस्त कार्यालयी पत्र व्यवहार पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होगा।
- आहरण एवं वितरण संबंधी अधिकार छात्रावास प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त रूप से होंगे।

#### एचएमसी का गठन एवं चयन प्रक्रिया

19 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति जिसके पदाधिकारी निम्नानुसार होंगे :-

तालिका-3

| क्र. सं. | पद                  | चयन प्रक्रिया                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | अध्यक्ष             | समिति की साधारण सभा द्वारा माता-पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।         |
| 2        | उपाध्यक्ष           | समिति की साधारण सभा द्वारा माता-पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।         |
| 3        | सदस्य (11)          | साधारण सभा द्वारा माता-पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्य, जिनमें से कम से कम 6 महिलाएं, 1 अनु.जाति व 1 अनु. जनजाति से संबंधित हो। |
| 4        | पदेन सदस्य (1)      | ग्राम पंचायत/नगर पालिका के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है, उस वार्ड का वार्ड पंच/पार्षद।                                                                                |
| 5        | सदस्य सचिव (1)      | प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत (द्वितीय श्रेणी अध्यापिका/तृतीय श्रेणी लेवल-2) राजकीय अध्यापिका।                                                                                |
| 6        | निर्वाचित अध्यापिका | केजीबीवी के छात्रावास में प्रतिनियुक्त अन्य महिला राजकीय अध्यापिका (तृतीय श्रेणी लेवल-1)                                                                                 |
| 7        | मनोनीत सदस्य (2)    | विद्यालय परिक्षेत्र के विधान सभा सदस्य द्वारा नामित ऐसे दो (2) व्यक्ति (प्राथमिकता से दोनों सदस्य महिला हों तथा एक माता या संरक्षक सदस्यों में से एक हो)                 |

|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• जो उस ग्रामीण क्षेत्र (राजस्व ग्राम/शहरी क्षेत्र का) का और वार्ड का निवासी हो जिसमें विद्यालय स्थित है अथवा समिति के माता-पिता या संरक्षक सदस्यों द्वारा मनोनीत स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय का बालक।</li> <li>• मनोनयन में प्रथम प्राथमिकता विधानसभा सदस्य द्वारा नामित व्यक्तियों को दी जावे, लेकिन मनोनयन से पूर्व विधान सभा सदस्य द्वारा नामित व्यक्तियों की उनसे लिखित में स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा। (विधायक द्वारा प्राथमिकता से महिला सदस्य का नाम ही प्रस्तावित करवाया जाए)</li> </ul> <p>मनोनयन में द्वितीय प्राथमिकता विद्यालय परिक्षेत्र के निवासी राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को दी जावे।</p> |
| 8 | पदेन सदस्य (1) | नोडल प्रधानाचार्य (निकटवर्ती उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 | सदस्य(2)       | केजीबीवी में कक्षा 8 एवं कक्षा 10 में अध्ययनरत बालिकाएँ जिनका गत सत्र का परीक्षा परिणाम सर्वाधिक रहा हों।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | कुल सदस्य      | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

- केजीबीवी की एचएमसी में कुल प्राथमिक 19 सदस्य होंगे। आवासीयता को मध्यनजर रखते हुए एक बालिका भी पदेन सदस्य होंगी। बालिका एवं उसके अभिभावक संयुक्त एक साथ एक समय में एचएमसी के सदस्य नहीं होंगे।
- प्रत्येक एक माह – 30 कार्यदिवसों के अन्तराल पर एक बैठक बुलाया जाना आवश्यक होगा। जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी सचिव की होगी। बैठक की प्रस्तावित दिनांक एवं एजेण्डा तय कर कम से कम 10 दिन पूर्व तीन में से किसी दो माध्यम द्वारा समस्त सदस्यों को सूचित किया जाना होगा— लिखित आमंत्रण, मोबाइल पर हिन्दी मैसेज द्वारा आमंत्रण, फोन से सीधे बुलाना। यथा संभव एचएमसी की बैठकों को अमावस्या के दिन आयोजित की जाये। यह बैठक छात्रावास परिसर, चौपाल अथवा किसी सुविधाजनक स्थान पर बुलाई जावे।
- एचएमसी की बैठक एवं निर्णयों की स्वीकृति हेतु कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति कोरम हेतु आवश्यक होगी।
- किसी भी निर्णय में जो कि भोजन एवं आवास व्यवस्था, रखरखाव एवं शिक्षण कार्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करती है, में बालिकाओं के विचारों की अवहेलना नहीं की जायेगी।
- बैठक में प्रस्ताव के साथ-साथ लिये गये निर्णयों एवं सदस्यों के विचारों को बैठक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।
- आगामी बैठक में गत बैठक के निर्णयों की पालना की समीक्षा की जायेगी।

#### छात्रावास प्रबंधन समिति निम्नानुसार दायित्व का निर्वहन करेगी –

- समस्त बैठकों में प्रतिभाग करना।
- विद्यालय प्रबन्धन एवं संचालन की मॉनीटरिंग करना।
- विद्यालय विकास योजना तैयार करना और अभिशपित करना।
- राज्य सरकार या अन्य किसी भी स्रोत के माध्यम से प्राप्त राशि का नियमानुसार उपयोग करना एवं मॉनीटरिंग करना।
- नियमानुसार क्रय आदि की कार्यवाही पारदर्शिता रखते हुए संपादित करना।
- सभी तरह के अभिलेख तैयार करना/करवाना एवं अभिलेखों को अपडेट रखना।
- विद्यालय संचालन में लिखित निर्देशों की पालना करवाते हुए समस्त कार्यों को समय पर करवाना।
- केजीबीवी राशि के उपयोग में पारदर्शिता रखना।
- अन्य सभी कार्य जो समय-समय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा दिये जावे।
- केजीबीवी में शिक्षा से वंचित वर्ग की बालिकाओं का नामांकन, नामांकित बालिकाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चहुँमुखी विकास, संसाधनों का संरक्षण व विकास इत्यादि में सक्रिय योगदान देना।
- शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों का संपादन निर्धारित समय एवं निर्देशानुसार करना।
- केजीबीवी में अभिभावक-शिक्षक बैठकों को प्रभावी बनाना।
- बालिकाओं के ठहराव को सुनिश्चित करना।
- आकस्मिक/आपातकालीन स्थितियों में समय पर दायित्व का निर्वहन करना।

- जहां आवश्यक हो छात्रावास प्रबंध समिति और उसके दायित्व के संबंध में सामुदायिक गतिशीलता एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून प्रभाग द्वारा जारी परिपत्र में निर्दिष्ट संविधान, अधिकार एवं कर्तव्य अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

#### **4.2. बालिकाओं का नामांकन एवं ट्रान्जिशन**

एकीकृत केजीबीवी योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षा से वंचित पात्र बालिकाओं यथा— Never Enrolled & Drop out, को केजीबीवी टाईप-3 में कक्षा 6 से 8 में प्रवेश हेतु आरटीई के तहत बालिका से उसकी पूर्व में प्राप्त शिक्षा तथा उसकी वर्तमान आयु से संबंधित किसी भी दस्तावेज/रिकॉर्ड की आवश्यकता बालिका के प्रवेश में बाधक नहीं होगी।

##### **4.2.1 नामांकन हेतु पात्रता**

10+ से 18 आयुवर्ग की बालिकाओं की पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार होगा (कक्षा 6 से 12 हेतु)–

- अनुसूचित जाति की बालिकाएं (सिर पर मैला ढोने वाले परिवारों की बालिकाओं को प्राथमिकता)
- अनुसूचित जन जाति की बालिकाएं
- अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं
- अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी भी वर्ग के परिवारों की 14 आयु वर्ग की वे बालिकाएं जो विद्यालय में नामांकित नहीं हैं तथा किसी कारणवश प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकी।
- पलायन करने वाले परिवारों की बालिकाएं।
- यदि कोई बालिका गत वर्ष किसी कारण से कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय छोड़कर चली गई थी तथा अब वह प्रवेश की इच्छुक है तो उसे प्रवेश दिया जाये।
- जो बालिकाएं पहले कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत थीं तथा किन्हीं परिस्थितिवश वह अन्य कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्रवेश चाहती हैं तो उन्हें प्रवेश दिया जा सकता है।
- मुस्लिम अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत 14 केजीबीवी में अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाए। तदुपरान्त उपरोक्तानुसार प्राथमिकता देते हुए शत-प्रतिशत नामांकन किया जाना है।

केजीबीवी की प्रारम्भिक कक्षाओं (कक्षा 6 से 8) एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं में रिक्त सीटों पर बालिकाओं के नामांकन की प्राथमिकता निम्नानुसार रहेगी –

- ब्रिज कोर्स के माध्यम से कक्षा 5 उत्तीर्ण बालिकाएं एवं केजीबीवी से कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाएं
- 10+ से 18 आयु वर्ग की ड्राप आउट/अनामांकित बालिकाएं।
- मैला ढोने वाले परिवारों की बालिकाएं।
- विशेष आवश्यकता वाली (CWSN) बालिकाएं। (कुल नामांकन का 5 प्रतिशत)
- एचआईवी/एड्स से ग्रसित अभिभावकों की बालिकाएं।
- अन्य विशेष परिस्थिति एवं सहायता की आवश्यकता वाली बालिकाओं यथा विधवा/परित्यक्ता की पुत्री, अनाथ, शारीरिक शोषण की शिकार बालिका, बाल श्रम से प्रभावित बालिकाएं, इत्यादि।
- समाज की मुख्य धारा से अलग सामाजिक समूहों/परिवारों की बालिकाओं जैसे घुमन्तू समुदाय, पलायन करने वाले समुदाय एवं परिवार आदि।
- आवेदन पत्रों की अधिकता होने पर उपरोक्त सभी वर्गों में से क्रमशः अनाथ/बीपीएल परिवारों/विधवा/परित्यक्ता की बालिकाओं को प्राथमिकता दें।

**नोटः**— प्रथम चरण में उसी विकास खण्ड की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाये। यदि प्रवेश के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं तो जिले की अनामांकित, अन्य ब्लॉक की बालिकायें तथा अन्य जिले की समीपस्थ ब्लॉक की अनामांकित बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जा सकता है।

- प्रवेश हेतु प्रत्येक वर्ग एवं कक्षा में न्यूनतम स्थान, 25 बालिकाओं के नामांकन की पूर्ति करते हुए क्षमता से 10 प्रतिशत अधिक नामांकन किया जा सकता है।

## कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण बालिकाओं का ट्रांजिशन -

केजीबीवी में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बालिकाओं का प्राथमिकता से संबंधित ब्लॉक की केजीबीवी टाईप-3 एवं 4 के (कक्षा 9 से 12) में प्रवेश कराया जाना सुनिश्चित करें।

केजीबीवी में कक्षा 8 की समस्त अध्ययनरत बालिकाओं को समावेशित करने उपरान्त रिक्त माध्यमिक कक्षाओं में (कक्षा 9 से 12) रिक्त रही सीटों पर बालिकाओं को नामांकन में प्राथमिकता का निर्धारण निम्नानुसार होगा -

- किसी अन्य ब्लॉक की केजीबीवी की कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिका।
- केजीबीवी से पूर्व में कक्षा 8 उत्तीर्ण ड्रॉप आउट बालिका।
- विशेष आवश्यकता वाली (CWSN) कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाएं।
- एचआईवी/एड्स से ग्रसित अभिभावकों की कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाएं।
- अन्य विशेष परिस्थिति एवं सहायता की आवश्यकता वाली कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाएं यथा एकल अभिभावक की पुत्री, अनाथ, शारीरिक शोषण की शिकार बालिका, बाल श्रम से प्रभावित बालिकाएं, इत्यादि।
- समाज की मुख्य धारा से अलग सामाजिक समूहों/परिवारों की कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाओं जैसे घुमन्तू समुदाय, पलायन करने वाले समुदाय एवं परिवार आदि।
- आवेदन पत्रों को एकत्र कर इनमें से सभी वर्गों में से कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाओं में
  - बीपीएल परिवारों, एकल अभिभावक, बीपीएल परिवार की बालिकाओं को प्राथमिकता दें।
  - अजा एवं अजजा की बीपीएल परिवार की बालिका।
  - अल्पसंख्यक एवं ओबीसी की परिवार की बालिका।
  - अन्य बीपीएल परिवार की बालिका।

### 4.2.2 नामांकन प्रवेश एवं संबलन समिति:-

ब्लॉक स्तर पर प्रवेश एवं संबलन समिति का गठन निम्नानुसार होगा -

ब्लॉक स्तरीय प्रवेश एवं संबलन समिति

तालिका-4

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| पीईईओ                           | अध्यक्ष    |
| केजीबीवी एसएमएसी/एचएमसी की सचिव | सदस्य सचिव |
| वॉर्डन                          | सदस्य      |
| सन्दर्भ व्यक्ति (आर.पी.)        | सदस्य      |
| अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक  | सदस्य      |

प्रवेश एवं संबलन समिति निम्नानुसार अपने कार्यों का निर्वहन सुनिश्चित करेगी -

1. प्रवेश एवं संबलन समिति वर्तमान में कक्षा 6 से 8 हेतु रिक्त स्थानों की सूचना प्रधानाध्यापिका से प्राप्त करेगी।
2. समस्त नोडल से 10+ से 14 आयु की आउट ऑफ बालिकाओं की सूची प्राप्त करेगी और पीईईओ को लक्ष्य का आवंटन करेगी।
3. नामांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व संबंधित पीईईओ को नामांकन प्रपत्र फोटो कॉपी करवा सभी केजीबीवी टाईप-1 में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का प्रयोग कर प्रवेशोत्सव प्रचार प्रसार किया जायेगा। प्रवेशोत्सव हेतु प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में बालिकाओं के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये जायेंगे।
4. 15 जुलाई 2019 को प्रवेश एवं संबलन समिति की बैठक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित कर प्रवेश सूचियां तैयार करेंगीं। उक्त बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
5. समिति प्राप्त आवेदन मय सहमति पत्रों का वर्गवार वर्गीकरण करेगी तथा प्राथमिकता का निर्धारण कर प्रवेश सूची तैयार करेगी। यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या ज्यादा है तो 4.2.1 में निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये। बीपीएल वर्ग में जिस परिवार की आय सबसे कम है उसे प्राथमिकता दी जाये। कम आय से अधिक आय की वरीयता बनाई जाये।

6. समिति द्वारा प्रवेश की सूची के साथ आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी।
7. प्रवेश सूची एवं आरक्षित सूची का अनुमोदन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा करवाया जायेगा।
8. ACBEO/केजीबीवी के नोडल प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रवेश हेतु चयनित बालिकाओं को बुलाकर प्रवेश फॉर्म भरवाया जाये।
9. बालिकाओं की आयु के अनुसार उनकी कक्षा का निर्धारण कर कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करें। नवप्रवेशी समस्त बालिकाओं को कन्डेन्स कोर्स के माध्यम से अध्ययन करवाया जायेगा। आयु अनुरूप निर्धारित कक्षा से पूर्व की कक्षा तक की दक्षता प्राप्त करने के उपरान्त ही बालिका को निर्धारित कक्षा में निरन्तर शिक्षण करवाया जायेगा।
10. कुल 100 की क्षमता के केजीबीवी में 110 प्रतिशत नामांकन बना रहे इस हेतु प्रचार-प्रसार हेतु समस्त कार्य नामांकन एवं संबलन समिति द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे। यथा -
  - समस्त संस्थाप्रधानों को बैठकों, प्रशिक्षणों के दौरान केजीबीवी योजना, नामांकन लक्ष्य और बालिकाओं की पात्रता के बारे में जानकारी देना।
  - अप्रैल माह में स्थानीय समाचार पत्रों, प्रिन्ट मीडिया, पेम्पलेट्स, वॉल-पेन्टिंग्स, ग्राम सभाओं एवं चौपाल में चर्चाओं आदि के माध्यम से जन-समुदाय को केजीबीवी के संबंध में जानकारी देना।

गत सत्र 2018-19 में केजीबीवी टाईप-3 में निम्नलिखित दो केजीबीवी में नामांकन क्षमता 150 से बढ़ाकर 200 कर दी गयी है। अतिरिक्त 50 बालिकाओं का नामांकन कक्षा 6 से 8 के स्तर पर किया जाना है।

**तालिका-5**

| S.N. | District  | Block   | KGBV Name (Only Hostel) | Capacity 2017-18 | Capacity 2018-19 | Present Category |
|------|-----------|---------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1    | Jaisalmer | Sam     | Sonu                    | 150              | 200              | Type-III         |
| 2    | Udaipur   | Bhinder | Kheroda                 | 150              | 200              | Type-III         |

#### 4.2.3 नामांकन प्रक्रिया

केजीबीवी टाईप-3 के अन्तर्गत 10+ से 18 आयुवर्ग की बालिकाओं हेतु तालिका-01 के अनुसार 100/150/200/250 बालिकाओं का लक्ष्य होगा। सत्र 2019-20 में केजीबीवी टाईप-3 में बालिकाओं के लक्ष्य से 10 प्रतिशत अतिरिक्त नामांकन हेतु मॉडिफिकेशन कैम्प तथा अभिभावकों से संपर्क आदि किया जाना सुनिश्चित करें। विशेष आवश्यकता का निर्धारण राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा आईईडी प्रकोष्ठ से जारी परिपत्र के अनुसार मान्य होगा। कुल नामांकन का 5 प्रतिशत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु रहेगा। लेकिन केजीबीवी के आवर्ति मंद में बजट का आवंटन, प्रत्येक केजीबीवी में बालिकाओं के अधिकतम लक्ष्य के अनुरूप ही रहेंगे।

नामांकन प्रवेश एवं सम्बलन समिति के माध्यम से राप्राशिप जयपुर द्वारा प्रेषित पत्रांक 1177 दिनांक 03.05.2018 के निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। सत्र 2019-20 हेतु नामांकन कार्य दो चरणों में होगा - प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण 26 अप्रैल से एवं द्वितीय चरण 19 जून 2019 से प्रारंभ होगा। इस सत्र में दोनों ही चरण समाप्त हो चुके हैं। यदि किसी केजीबीवी में नामांकन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया हो तो प्रदत्त राशि के अन्तर्गत ही मोडिफिकेशन कैम्प का आयोजन करवाया जायेगा। 110 प्रतिशत का नामांकन लक्ष्य पूरा करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

1. जिले की समस्त केजीबीवी में लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक नामांकन पूर्ण करने हेतु ब्लॉकवार योजना बनाई जाए। उक्त लक्ष्य समस्त 100/150/200/250 सीटों के सापेक्ष पात्र बालिकाओं हेतु होगा। प्रवेश हेतु प्रत्येक वर्ग एवं कक्षा में न्यूनतम स्थान 25 की पूर्ति करतें हुए क्षमता से 10 प्रतिशत अधिक नामांकन किया जा सकता है।
2. सत्र 2018-19 के अन्तर्गत हाउसहोल्ड सर्वे में 0-18 आयु वर्ग के बच्चों को चिन्हित किया जा चुका है। उक्त सूची के अनुसार पात्र आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं का नामांकन केजीबीवी में कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिन केजीबीवी में गत वर्षों में नामांकन लक्ष्य से कम रहा है वहां के लिये विशेष प्रयास किये जाए। ब्लॉक के सीबीईओ, संदर्भ व्यक्ति एवं पीईईओ जिनके परिक्षेत्र में केजीबीवी स्थित है,

केजीबीवी स्टाफ को साथ लेकर, नामांकन लक्ष्य पूर्ण करने हेतु, मोटिवेशन कैम्पों की योजना बनायें, उनमें सक्रिय भूमिका निभाएँ, अनामांकित ड्राप-आउट बालिकाओं की सूची तैयार कर अभिभावकों से संपर्क करें। प्रत्येक केजीबीवी में शत प्रतिशत नामांकन हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिम्मेदार हैं वे अपनी देखरेख में विशेष प्रयास करेंगे।

1. अल्पसंख्यक केजीबीवी के लिये समुदाय के प्रभावशाली प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए सघन क्षेत्रों में बैठके एवं अभिभावकों से संपर्क कर केजीबीवी में प्रदत्त सुविधाओं एवं लाभों से अवगत करवाया जाए।
2. मोटिवेशन कैम्प के स्थान व समय का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि अधिकाधिक अनामांकित-ड्रापआउट बालिकाओं के अभिभावकों की भागीदारी व बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित हो सके।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, केजीबीवी के प्रभारी नोडल प्रधानाचार्य एवं पीईईओ के साथ बैठक आयोजित कर ब्लॉक में स्थित केजीबीवी की रिक्त सीटों के लिए संबंधित प्रधानाध्यापिका को पात्र बालिकाओं को चिन्हित कर नामांकन करवाने हेतु निर्देश प्रदान करेंगे। केजीबीवी में बालिकाएं पूर्ण ब्लॉक परिक्षेत्र से प्रवेश ले इस हेतु कार्ययोजना बनाकर क्रियान्विति की जाये।
4. ब्लॉक के संबंधित संदर्भ व्यक्ति, केजीबीवी स्टाफ के साथ मिलकर प्रवेश हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का रजिस्टर संधारित करवायेगे। ब्लॉक स्तरीय प्रवेश एवं सम्बलन समिति 15 जुलाई 2019 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर बालिकाओं के प्रवेश की सूची तय प्राथमिकता से तैयार करेगी।
5. प्रवेश एवं सम्बलन समिति केजीबीवी में रिक्त स्थानों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश सूची एवं आरक्षित सूची तैयार करेगी। जिस पर समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किये जायेगे। प्रवेश सूची एवं आरक्षित सूची 16 जुलाई 2019 को जारी की जावेगी।
6. समस्त कक्षाओं में नामांकन होने के पश्चात कक्षा 9 से 12 में रिक्त स्थान पर प्राथमिकता के आधार पर 14+ से 18 आयु की बालिकाओं को नामांकित किया जा सकेगा।
7. प्रवेश की इच्छुक बालिका के अभिभावकों से एक आवेदन पत्र भरवाया जाये जिस पर प्रवेश दिलाने एवं आवासीय रहने के संबंध में सहमति प्राप्त की जाए। उक्त कार्य प्रवेश समिति द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. बालिकाओं के न्यूनतम 2 अभिभावकों के फोटो एवं मोबाईल नं० प्रवेश के समय ही निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर लिये जावें जो प्रायः बालिकाओं से मिलने, उन्हें घर ले जाने एवं विद्यालय छोड़ने आयेगे।
9. प्रवेश हेतु प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में एक प्रवेश फाईल संधारित की जाएगी तदनुसार छात्रा स्कॉलर रजिस्टर तैयार किया जाएगा। प्रत्येक सत्र में ग्रीष्मावकाश से पूर्व छात्रा स्कॉलर रजिस्टर अपडेट किया जाएगा।
10. केजीबीवी के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि केजीबीवी विद्यालय सीमित सीटों के लिये विशेष सुविधायुक्त है। अतः इनमें कोई भी सीट रिक्त नहीं रहनी चाहिए अथवा लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने वाली बालिका के स्थान पर भी वर्षपर्यन्त कभी भी प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। केजीबीवी के नोडल प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका एवं वार्डन संयुक्त रूप इसका विशेष ध्यान रखें एवं समय-समय पर सीबीईओ के संज्ञान में लाते हुए नामांकन लक्ष्य पूर्ण करें।
11. केजीबीवी में लक्षित से 10 प्रतिशत अतिरिक्त नामांकन निर्धारित तिथि तक पूर्ण किये जाने हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी, बालिका शिक्षा के द्वारा भी प्राथमिकता से मॉनिटरिंग की जाये।
12. केजीबीवी में शिक्षिकाओं के अभाव में नामांकन न्यून न रहे साथ ही शैक्षिक कार्य बाधित न हो, इस हेतु केजीबीवी में रिक्त पदों की सूचना जिला स्तर से प्रतिमाह 5 तारीख तक परिषद कार्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें। जिससे वॉक इन इन्टरव्यू द्वारा समय पर प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही सम्पादित की जाये। प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरे जाने तक जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षण व्यवस्थार्थ अध्यापिकाओं को केजीबीवी में लगाया जाये। उक्त निर्देश सभी केजीबीवी हेतु सत्र पर्यन्त प्रभावी होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान उक्त निर्देशों की पालना हेतु उत्तरदायी होंगे। सत्र के प्रारंभ से ही यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले की केजीबीवी

62

टाईप-3 में शिक्षिकाओं के 5 पदों एवं छात्रावासों में शिक्षिकाओं के 2 पदों पर शिक्षिकाएँ उपलब्ध रहे।

#### 4.2.4 मोटीवेशन कैम्प

सत्र 2019-20 में मॉटिवेशन कैम्पों से संबंधित दिशा-निर्देश निम्नानुसार रहेंगे।

नामांकन लक्ष्य पूर्ण करने हेतु एवं समुदाय में शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने, केजीबीवी योजना की समाज में जागरूकता बढ़ाने और केजीबीवी में बालिकाओं हेतु उपलब्ध निःशुल्क सुविधाओं की जानकारी देने हेतु मोटिवेशन कैम्पों का आयोजन किया जाता है। जिले की समस्त केजीबीवी में लक्ष्य से 10 प्रतिशत अतिरिक्त नामांकन पूर्ण करने हेतु ब्लॉकवार योजना बनाये जाने का प्रावधान है।

मोटीवेशन कैम्प हेतु कुल रुपये 7000/- (अक्षरें सात हजार रुपये) प्रति केजीबीवी की राशि जारी की गयी है। जिसके अन्तर्गत सत्र 2019-20 में अधिकतम दो मोटीवेशन कैम्प आयोजित किये जा सकेंगे। इस हेतु सीबीईओ, केजीबीवी के नोडल प्रधानाचार्य एवं पीईईओ की अहम भूमिका है।

चिन्हित किसी ग्राम पंचायत में बालिकाओं, उनके अभिभावकों एवं समाज का उपरोक्त योजना के प्रति आमुखीकरण करने हेतु दो दिवसीय गैर आवासीय शिविर (मोटीवेशन कैम्प) मई एवं जून में इस प्रकार आयोजित करें कि-

- केजीबीवी में प्रवेश हेतु प्रदान की जा रही सुविधाओं/विशेषताओं को उल्लेखित करते हुये प्रचार प्रसार किया जाएउक्त केजीबीवी अब कक्षा 12 तक संचालित किये जायेंगे।
- अभिभावकों के लिए अवलोकन का कार्यक्रम भी बनाया जाना चाहिए। इस हेतु वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- केजीबीवी में प्रवेश की सूचना आकर्षक स्लोगनों द्वारा पंचायत भवनों, राजकीय विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाये।
- इन शिविरों में लक्षित बालिकाओं, उनके अभिभावकों, स्थानीय समुदायों, महिला समुदायों, जन प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करें। अल्पसंख्यक केजीबीवी में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमन्त्रित करें।
- परिषद कार्यालय से भेजे गये "महिला सशक्तिकरण के पाँच सूत्र" के फ्लेक्स चार्ट दीवार पर लगाए।
- प्रेरक वाक्यों, सफल महिलाओं के चित्रों से शिविर स्थल को सुसज्जित करें।
- शिविर स्थल में बालिकाओं द्वारा सृजित सामग्री की प्रदर्शनी लगाए।
- बैठक का माहौल सहज एवं मिलनसार बनाने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करें।

#### मॉटिवेशन कैम्प की गतिविधियाँ -

मोटिवेशन कैम्प में बालिकाओं को विद्यालय में प्रदत्त निम्नांकित सुविधाओं तथा केजीबीवी हेतु उपलब्ध स्टाफ का परिचय देने हेतु आमन्त्रित करें -

- **आधारभूत ढाँचा:** विद्यालय भवन में आवास हेतु कक्ष, कक्षा-कक्ष शौचालय, विद्युत एवं पीने के पानी की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- **स्टाफ:** केजीबीवी में महिला अध्यापिकाओं की ही नियुक्ति की जाती है, जो विद्यालय समय एवं विद्यालय समय उपरान्त भी बालिकाओं को शैक्षिक सम्बलन प्रदान करती हैं। चौकीदार चौबीसों घंटे उपलब्ध रहता है।
- **निःशुल्क सुविधाएं:** दोनों समय पौष्टिक नाश्ता एवं भोजन, 150 रु प्रतिमाह स्टाईफण्ड, यूनीफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, शैक्षिक सामग्री, स्वाध्याय हेतु पुस्तकें एवं दैनिक आवश्यकता की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
- **क्षमता अभिवर्धन गतिविधियाँ :** जैसे- कम्प्यूटर शिक्षण, मान्यता प्राप्त व्यावसायिक (सिलाई, कटाई, ड्रेस मेकिंग तथा ब्यूटी कल्चर) प्रशिक्षण, अंतर्जिला शैक्षिक भ्रमण, उपचारात्मक शिक्षण, खेलकूद, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी दें।
- **स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता :** केजीबीवी की बालिकाओं की प्रत्येक माह स्वास्थ्य जाँच की जाती है एवं आवश्यकतानुसार उपचार किया जाता है। सैनेटरी नैपकिन्स की निशुल्क उपलब्धता तथा इन्सीनरेटर की सुविधा के बारे में भी बताएं।

tm

- केजीबीवी में अध्ययनरत बालिकाओं को अपने अनुभव सुनाने, केजीबीवी के बालिका-मित्रवत वातावरण, सुरक्षात्मक, आनन्ददायी एवं प्रेरक वातावरण का परिचय देने हेतु आमन्त्रित करें।
- छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षण केन्द्रों की जानकारी अभिभावकों को दें जिससे वे बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु तैयार हो सकें।
- केजीबीवी में आवेदन पत्रों के साथ अभिभावक द्वारा अपनी बालिका को स्वेच्छा से आवासीय विद्यालय में रखने एवं नियमों की पालना हेतु सहमति पत्र भी भरवाएं।

#### नामांकन की सूचना का संकलन एवं प्रेषण

केजीबीवी में नव-प्रवेशी बालिकाओं की सूचना (दिनांक 31 जुलाई तक की सूचना निम्न प्रपत्र में भेजा जाना सुनिश्चित करें।

नवप्रवेशी बालिकाओं के नामांकन सूचना प्रपत्र

#### तालिका-6

| क्र. सं. | जिला | ब्लॉक | केजीबीवी | नव-प्रवेशी बालिका का नाम | आयु | कक्षा जिसमें प्रवेश दिया गया | प्रवेश का आधार – अनामांकित / झूपा आऊट / CWSN / विशेष आवश्यकता / अन्य | चिन्हांकन का स्रोत – ब्रिज कोर्स / विशेष प्रशिक्षण / सीटीएस / अन्य |
|----------|------|-------|----------|--------------------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|          |      |       |          |                          |     |                              |                                                                      |                                                                    |

#### 4.2.5 केजीबीवी उत्तीर्ण बालिकाओं का ट्रांजिशन एवं ट्रेकिंग

केजीबीवी में कक्षा 6 में प्रवेश पाने वाली प्रत्येक बालिका कक्षा 12 उत्तीर्ण करके ही जाएं इस हेतु विद्यालय प्रबंधन को अकादमिक एवं सहयोगी गतिविधियों एवं जीवन कौशल व सहभागी वातावरण निर्माण कर बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित किया जाये। इसके लिये प्रत्येक केजीबीवी में छात्रावार ट्रांजिशन एवं ट्रेकिंग योजना तैयार कर क्रियान्वित की जाये।

ट्रांजिशन की रणनीति इस प्रकार बनायी जाये कि केजीबीवी में एक बार प्रवेश लेने के पश्चात् सभी बालिकाएं 12वीं तक शिक्षा पूरी करें। विशेष परिस्थिति में जो बालिकाएं कक्षा 8 उत्तीर्ण करने उपरान्त केजीबीवी में आगामी शिक्षा जारी रखने में असमर्थ है, उन विशेष बालिकाओं को अन्य राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाया जाकर केजीबीवी में रिकार्ड संधारित करें। ऐसी बालिकाओं की ट्रेकिंग करने का उत्तरदायित्व भी केजीबीवी का होगा।

कक्षा 12 के पश्चात् बालिका ने आत्मनिर्भरता हेतु क्या प्रयास किया और क्या कर रही है, इसकी सूचना का रिकार्ड भी केजीबीवी द्वारा आगामी 3 वर्षों तक संधारित किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु बालिका का शैक्षिक रिकॉर्ड रखा जावे एवं इसकी एन्ट्री केजीबीवी शाला दर्पण में भी समय-समय पर अपडेट किया जाए। इस हेतु एक पृथक रजिस्टर प्रत्येक केजीबीवी में संधारित किया जाना सुनिश्चित करें। पर्यवेक्षण अधिकारी अवलोकन के समय उक्त रजिस्टर का भी अवलोकन करें।

#### बालिकाओं के ट्रेकिंग

(निम्न तालिका के तीनों भागों को एक ही तालिका में संधारित करें।)

केजीबीवी ..... ब्लॉक व जिला ..... सत्र .....

#### तालिका-7

| क्र. सं. | बालिका का नाम | वर्ष-4 में ट्रेकिंग |         | वर्ष-5 में ट्रेकिंग |          | वर्ष-6 में ट्रेकिंग |          | वर्ष-7 में ट्रेकिंग |          | वर्ष-8 में ट्रेकिंग |             | वर्ष-9 में ट्रेकिंग |             | वर्ष-10 में ट्रेकिंग |             |
|----------|---------------|---------------------|---------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
|          |               | वर्ष                | स्तर    | वर्ष                | स्तर     | वर्ष                | स्तर     | वर्ष                | स्तर     | वर्ष                | स्तर        | वर्ष                | स्तर        | वर्ष                 | स्तर        |
| 1        | नाम-1         | 2022-23             | कक्षा 9 | 2023-24             | कक्षा 10 | 2024-25             | कक्षा 11 | 2025-26             | कक्षा 12 | 2026-27             | उच्च शिक्षा | 2027-28             | उच्च शिक्षा | 2028-29              | उच्च शिक्षा |



तालिका-8

| क्र.सं. | बालिका का नाम | कक्षा 12 तक उपलब्धियां | कक्षा 12 पश्चात उपलब्धियां |
|---------|---------------|------------------------|----------------------------|
|         |               |                        |                            |
| 1       | नाम-1         |                        |                            |

नोट - यदि किसी स्तर पर विद्यालय परिवर्तन हो तो, वर्ष के साथ-साथ विद्यालय का नाम एवं डाईस कोड भी लिखें।

#### 4.3. शिक्षण कार्य एवं विद्यालय का संचालन

- प्रारम्भिक स्तर हेतु नवप्रवेशी समस्त नेवर एनरोल्ड एवं ड्रॉप आउट बालिकाओं को कन्डेन्स कोर्स के माध्यम से अध्ययन करवाया जायेगा। कन्डेन्स कोर्स से बालिकाओं को अध्ययन कराने एवं कक्षानुरूप दक्षता हासिल करवाये जाने हेतु केजीबीवी में एक-वर्षीय प्रीपेरेटरी वर्ष का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करें कि आयु अनुरूप निर्धारित कक्षा से पूर्व कक्षा तक की दक्षता प्राप्त करने के उपरान्त ही बालिका को निर्धारित कक्षा में निरन्तर शिक्षण करवाया जायेगा। उक्त कन्डेन्स कोर्स का शिक्षण-कार्य केजीबीवी की एल-1 शिक्षिका (अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य शिक्षिका) द्वारा करवाया जायेगा। एल-1 शिक्षिका पूर्ण रूप से कन्डेन्स कोर्स हेतु जिम्मेदार होगी। ऐसे केजीबीवी जिनमें छात्राएं अन्य विद्यालय में पढ़ने जाती हैं, वहाँ भी कन्डेन्स कोर्स का शिक्षण केजीबीवी एल-1 शिक्षिका द्वारा ही किया जायेगा।
- केजीबीवी के नोडल विद्यालय में कन्डेन्स कोर्स का संचालन तभी किया जा सकेगा यदि वहाँ पृथक से कक्षा-कक्ष उपलब्ध है, अन्यथा इन कक्षाओं का संचालन केजीबीवी परिसर में ही होगा।
- उपरोक्त के संदर्भ में ध्यान दें कि बालिका उसी कक्षा/स्तर की परीक्षा देगी जिस कक्षा/स्तर पर उसका शिक्षण करवाया गया हो। उक्तानुसार, यदि कोई बालिका आयु अनुसार कक्षा 8 में है, किन्तु यदि उसे शिक्षण सत्र-पर्यन्त कन्डेन्स कोर्स द्वारा पूर्व की कक्षाओं/स्तर का ही अध्ययन करवाया गया है तो वह कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगी। वरन् उसे शिक्षण करवायी गयी कक्षा/स्तर की परीक्षा में ही सम्मिलित किया जाये।
- टार्प-3 में कक्षा 6 से 8 के लिए कन्डेन्स कोर्स सहित नियमित शिक्षण 100 केजीबीवी परिसर में होगा। इनके अलावा कक्षा 6 से 8 के कुल 09 केजीबीवी केवल छात्रावास ही हैं। इनकी समस्त बालिकाएं निकटतम नोडल विद्यालय में नामांकित होगी। टार्प-3 में कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए केवल छात्रावास ही हैं।
- टार्प-3 में कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं लिए शिक्षा विभाग द्वारा देय ट्रान्सपोर्ट वाउचर/एस्कोर्ट/ग्रुप ट्रान्सपोर्ट समस्त एन्टाइटलमेन्ट नियमानुसार देय होंगे।

##### 4.3.1 प्रीपेरेटरी कक्षा

चूंकि नेवर एनरोल्ड एवं ड्रॉप आउट बालिकाओं को केजीबीवी में दाखिला दिया जाता है, अतः इन बालिकाओं के साथ लर्निंग-गैप पर काम किया जाना आवश्यक है। अतः समस्त केजीबीवी में उच्च प्रारम्भिक स्तर पर 1+3 वर्ष की शिक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रथम वर्ष प्रीपेरेटरी कक्षा हेतु निर्धारित है और शेष 3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षण (कक्षा 6 से 8) हेतु निर्धारित हैं। केजीबीवी में नामांकन प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात, नव-प्रवेशी बालिकाओं का जुलाई के प्रथम सप्ताहन्त में बेसलाईन लेकर स्तर निर्धारण किया जाना है। स्तर निर्धारण के आधार पर प्रथम वर्ष - प्रीपेरेटरी कक्षा में बालिकाओं के साथ कन्डेन्स कोर्स के माध्यम से बालिकाओं को आयु अनुसार अपने कक्षा स्तर तक लाया जाता है।

##### 4.3.1 प्रीपेरेटरी कक्षा

नेवर एनरोल्ड एवं ड्रॉप आउट बालिकाओं को केजीबीवी में दाखिला दिया जाता है, अतः इन बालिकाओं के साथ लर्निंग-गैप पर काम किया जाना आवश्यक है। इसलिए समस्त केजीबीवी में उच्च प्रारम्भिक स्तर पर 1+3 वर्ष की शिक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रथम वर्ष प्रीपेरेटरी कक्षा हेतु निर्धारित है और शेष 3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षण (कक्षा 6 से 8) हेतु निर्धारित हैं। केजीबीवी में नामांकन प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात, नव-प्रवेशी बालिकाओं का जुलाई के प्रथम सप्ताहन्त में बेसलाईन लेकर स्तर निर्धारण किया जाना है। स्तर निर्धारण के आधार पर प्रथम वर्ष-प्रीपेरेटरी कक्षा में बालिकाओं के साथ कन्डेन्स कोर्स के माध्यम से बालिकाओं को आयु अनुसार अपने कक्षा स्तर तक लाया जाता है।

#### 4.3.2 कक्षा निर्धारण प्रक्रिया

केजीबीवी में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं का कन्डेन्स कोर्स के 1-5 मॉड्यूल के अंत में दिए गए टेस्ट पेपर के द्वारा हिन्दी व गणित विषयों में स्तर निर्धारण किया जाएगा अर्थात् नवप्रवेशी प्रत्येक बालिका को मॉड्यूल 1 के हिन्दी व गणित के टेस्ट पेपर हल करने को दिए जाएंगे। जो बालिका मॉड्यूल एक के टेस्ट पेपर हल कर लेगी उसे क्रमशः दूसरे, तीसरे ... पांचवे मॉड्यूल तक हल करने को दिया जाएगा। बालिका जिस मॉड्यूल पर कठिनाई का अनुभव करेगी उसी मॉड्यूल से उस बालिका का शिक्षण कार्य आरम्भ किया जाएगा। इसी प्रकार 5 मॉड्यूल के टेस्ट पेपर हल करने वाली बालिकाओं को ही सीधे कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा। प्रयास किया जाये कि सभी बालिकाएं 3-9 माह की अवधि में पहले 5 मॉड्यूल में दी गई दक्षताओं को हासिल कर लें।

इस प्रकार बालिकाएं कक्षा 6 से पूर्व प्रिप्रेटरी कक्षा (कन्डेन्स कोर्स) के तहत 1-5 की दक्षताओं को मजबूत करने के उपरांत ही कक्षा 6 में प्रवेश पा सकेंगी। इसके लिए बालिकाओं के अभिभावकों से समन्वय स्थापित करके सहमति प्राप्त कर लें। बालिकाओं के प्रवेश के समय लिए गए स्तर निर्धारण टेस्ट के परिणाम के आधार पर अभिभावकों को बालिकाओं की वस्तु स्थिति से अवगत करवाते हुए स्पष्ट करना होगा कि बालिकाओं की मजबूत नींव के लिए कुछ समय अतिरिक्त लग सकता है उससे बालिकाओं को कक्षा 8 के बाद आगे पढ़ने में सुविधा रहेगी।

#### कन्डेन्स कोर्स

कन्डेन्स कोर्स बालिकाओं को अपने आयु अनुरूप कक्षा के अनुसार उसमें दक्षताएं/अधिगम विकसित करने का एक चरण है। इस प्रक्रिया में आयु संगत कक्षा और बालिका के वास्तविक अधिगम स्तर के बीच के गैप को पूरा किया जाता है। चूंकि केजीबीवी में प्रायः पात्र बालिकाएं अनामांकित अथवा ड्रॉपआउट होती हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें छूटी हुई पढ़ाई पूरी करा कर अपने आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश दिलाना आवश्यक हो जाता है ताकि वे अपनी आयु संगत कक्षा में पहुँच कर अन्य बालिकाओं के साथ नियमित पढ़ाई जारी रख सकें। इस प्रकार आर.टी.ई. (R.T.E) के तहत विशेष प्रशिक्षण/ कन्डेन्स कोर्स के माध्यम से आवश्यक दक्षताएं प्राप्त करना भी बालिकाओं का अधिकार है।

केजीबीवी में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं का कन्डेन्स कोर्स के 1-5 मॉड्यूल के अंत में दिए गए टेस्ट पेपर के द्वारा हिन्दी व गणित विषयों में स्तर निर्धारण किया जाएगा अर्थात् नवप्रवेशी प्रत्येक बालिका को मॉड्यूल 1 के हिन्दी व गणित के टेस्ट पेपर हल करने को दिए जाएंगे। जो बालिका मॉड्यूल एक के टेस्ट पेपर हल कर लेगी उसे क्रमशः दूसरे, तीसरे ... पांचवे मॉड्यूल तक हल करने को दिया जाएगा। बालिका जिस मॉड्यूल पर कठिनाई का अनुभव करेगी उसी मॉड्यूल से उस बालिका का शिक्षण कार्य आरम्भ किया जाएगा। इसी प्रकार 5 मॉड्यूल के टेस्ट पेपर हल करने वाली बालिकाओं की दक्षताओं को एसआईईआरटी द्वारा तैयार किये गये कक्षा 5 की दक्षताओं के पैमाने पर आंका जायेगा और तत्पश्चात कक्षा 6 में दाखिला दिया जायेगा। प्रयास किया जाये कि सभी बालिकाएं 1 साल की अवधि में पहले 5 मॉड्यूल में दी गई दक्षताओं को हासिल कर लें। यहां यह उल्लेखनीय है कि कन्डेन्स कोर्स पर अध्ययन कर रही बालिकाओं की व्यक्तिगत फाईल तैयार की जाए।

समस्त जिलों को निर्देशित किया जाता है कि केजीबीवी में बालिकाओं के स्तर निर्धारण टेस्ट के आधार पर आवश्यक कन्डेन्स कोर्स की पुस्तकों की आवश्यकता का आकलन करके माह जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक समस्त केजीबीवी में कन्डेन्स कोर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सहायक परियोजना समन्वयक केजीबीवी/ सीबीईओ इस हेतु उत्तरदायी होंगे। SIERT SC (School Council) से तैयार कन्डेन्स कोर्स की सॉफ्ट कॉपी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की वेबसाइट [rajrmsa.nic.in](http://rajrmsa.nic.in) से डाउनलोड की जा सकती है।

#### कक्षाकक्ष शिक्षण एवं मूल्यांकन

आरटीई के अनुपालना में राज्य के सभी प्राथमिक कक्षाओं, चयनित ब्लॉक की समस्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं एवं चयनित केजीबीवी में सतत एवं समग्र मूल्यांकन (सीसीई) लागू है। राज्य में संचालित केजीबीवी में से संलग्नक - '7' केजीबीवी में सीसीई प्रक्रिया के अनुसार शिक्षण/मूल्यांकन कार्य किया जायेगा। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक सीसीई संबंधित अन्य विद्यालयों के लिये जारी निर्देश केजीबीवी तक पहुंचाये जाने तथा उनके अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

- उ0प्रा0 स्तर हेतु जिला/ब्लॉक/क्लस्टर स्तरीय सीसीई बैठक/कार्यशाला में केजीबीवी शिक्षिकाओं को प्राथमिकता से सम्मिलित किया जाए।
- कन्डेन्स कोर्स में सीसीई शिक्षण प्रक्रिया एवं मूल्यांकन हेतु क्लस्टर कार्यशाला में एल-1 शिक्षिका अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करे।

- ब्लॉक का संदर्भ व्यक्ति (प्रभारी सीसीई) अपने ब्लॉक के बालिका शिक्षा संदर्भ व्यक्ति के साथ माह में कम से कम एक बार केजीबीवी में कक्षा शिक्षण कर सम्बलन दें।
- केजीबीवी में सीसीई संचालन के संबंध में परिषद के सीसीई प्रकोष्ठ द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश अनुसार कार्य संपादित किया जायेगा।

**नोट- विस्तृत जानकारी के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एसआईआईआरटी) द्वारा जारी मार्गदर्शिका को देखें।**

#### 4.3.3 पाठ्यपुस्तकें एवं वर्कबुक

समस्त केजीबीवी में अध्ययनरत बालिकाओं को शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशानुसार कक्षा 6-12 की पाठ्यपुस्तक, वर्कबुक, इत्यादि मांग के आधार पर कक्षावार एवं विषयवार कन्डेन्स कोर्स की उपलब्धता सत्र आरम्भ में किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक, सीबीईओ एवं केजीबीवी नोडल के प्रधानाचार्य इस हेतु उत्तरदायी होंगे।

शिक्षण कार्य हेतु कक्षा 6 से 8 हेतु प्रोजेक्ट कार्य, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, लर्निंग ऐड आदि का क्रय केजीबीवी के टीएलएम मद से किया जायेगा। कन्डेन्स कोर्स हेतु पुस्तकों की अनुपलब्धता होने की स्थिति में परिषद के वेब-पेज से किताबों की सॉफ्ट कापी का प्रिन्ट-फोटोकॉपी ले उपयोग किया जा सकता है।

#### 4.3.4 उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक कक्षाएँ

निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु जारी निर्देश केजीबीवी में संचालित कक्षा 6 से 12 पर लागू होंगे। शिक्षण कार्य का संचालन निदेशालय द्वारा जारी शिक्षा-पंचांग के अनुसार किया जायेगा।

केजीबीवी में शिक्षण व्यवस्था हेतु समूह शिक्षण, पीयर लर्निंग एवं व्यक्तिगत लर्निंग शिक्षण एवं शिक्षण पश्चात के समय का उपयोग गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आकलन आदि को सम्मिलित करते हुए की जानी है। केजीबीवी योजना की लक्ष्य पूर्ति हेतु एवं किसी कार्य-विशेष हेतु कोई भी अनिवार्य संशोधन/परिवर्तन हेतु निर्देश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा पृथक से प्रेषित कर दिये जायेंगे।

- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षाओं का संचालन केजीबीवी के नोडल विद्यालय में होगा। शिक्षण एवं मूल्यांकन निदेशालय/विभाग द्वारा देय निर्देशानुसार किया जाएगा।
- कठिन विषय- विज्ञान, गणित, अंग्रेजी एवं कक्षा 11 एवं 12 में विज्ञान/वाणिज्य संकाय के विषयों के अतिरिक्त शिक्षण के लिए एवं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यकतानुसार विषयों हेतु पार्ट टाईम शिक्षिका का प्रावधान किया जा सकता है। जिससे कि बालिकाओं को केजीबीवी परिसर में ही अतिरिक्त तैयारी एवं मार्गदर्शन मिल सके। विस्तृत विवरण आवर्ती मद में सैलेरी मद/स्टॉफ के अर्न्तगत दिया गया है।

#### 4.3.5 विशेष आवश्यकता वाली (CWSN) बालिकाओं हेतु शिक्षण व्यवस्था

**आईडी प्रकोष्ठ से निर्देश एवं समन्वय**

1. जिला परियोजना समन्वयक संबंधित जिले द्वारा जिले में चिन्हित विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं (प्राथमिकता पर, पूर्ण दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित) का केजीबीवी में नामांकन कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में बाधारहित वातावरण का निर्माण करवाया जाये।
3. संबंधित विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक के दौरान अन्य बालिकाओं के समान ही विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के अभिभावकों को बुलवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. संदर्भ व्यक्ति CWSN के सहयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुकूल कक्षा कक्ष प्रबंधन कराया जाये।
5. अध्यापकों को समावेशित शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु भिजवाना सुनिश्चित करावे।
6. विद्यालय के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को संबलन हेतु रिसोर्स रूम भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
7. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सह शैक्षणिक गतिविधि में सामान्य बच्चों के साथ शामिल करवाया जाये।
8. अन्य खेलकूद प्रतियोगिता में भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भाग दिलवाना सुनिश्चित करें।



9. विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को असेसमेन्ट कैम्प एवं चिन्हित बच्चों को अंग उपकरण वितरण कैम्प में आवश्यक रूप से भिजवाया जाये।

#### 4.4. सह-शैक्षिक गतिविधियों का संचालन

चूँकि केजीबीवी में समाज की मुख्यधारा से पिछड़ी हुई (आउट ऑफ स्कूल) बालिकाएं आती हैं, उनके साथ शैक्षिक और सह-शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से विशेष प्रयास कर काम किये जाने की आवश्यकता है जिससे बालिकाओं में आत्मविश्वास का संचार हो, जीवन कौशल का विकास हो और वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वयं के स्तर पर ले सकें, जैसे शिक्षा पूर्ण करना, विषयों का चयन करना, उम्र से पूर्व विवाह का विरोध कर पाना और किसी भी प्रकार की हिंसा से स्वयं की रक्षा कर पाना, आदि।

केजीबीवी योजना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तरह शिविरा कलेण्डर 2019-20 के अनुसार समस्त गतिविधियों का आयोजन किया जाए। इसके अतिरिक्त निम्नांकित सह-शैक्षिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाये। जिसमें केजीबीवी की समस्त बालिकाएं प्रतिभाग करेंगी। संचालन संबंधी वित्तीय एवं प्रबंधन निर्देश परिपत्र में पृथक से दिये गये हैं, उनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। प्रभावी संचालन हेतु केजीबीवी प्रधानाध्यापिका एवं वार्डन पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

- बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं सत्र पर्यन्त उसका अभ्यास।
- वोकेशनल प्रशिक्षण/ बालिकाओं में विशेष कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण का संचालन।
- बालिकाओं हेतु नियमित खेलकूद को प्रोत्साहन एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में बालिकाओं की भागीदारी।
- केजीबीवी टूर्नामेन्ट में बालिकाओं की सक्रिय भागीदारी।
- मीना मंच का पुर्नगठन, सक्रिय संचालन द्वारा इसमें बालिकाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करें जिससे उनका आत्मविश्वास एवं जीवन कौशल का विकास हो सके।
- क्रिटिकल डायलॉग विधा से बालिकाओं से चर्चा एवं बाल-अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं पॉक्सो एक्ट की जानकारी।
- स्काउट एवं गाइड में बालिकाओं की सहभागिता एवं प्रत्येक केजीबीवी से किसी एक शिक्षिका का गाइडर हेतु जिला स्तरीय प्रतिवर्ष प्रशिक्षण।
- नाट्य कला, लोकगीत एवं लोक नृत्यकला एवं अन्य आर्ट व क्रॉफ्ट विधाओं का बालिकाओं को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन।
- उच्च कक्षाओं की बालिकाओं को बेसिक कम्प्यूटर ऑपरेशन पर केजीबीवी स्तर पर प्रशिक्षण।
- हाउस व्यवस्था एवं इंटर-हाउस कॉम्पीटिशन।
- किशोरी अकादमिक खेलों/मीना-राजु-गार्गी मेला का आयोजन एवं बालिकाओं की शैक्षिक प्रतिभा को प्रोत्साहन।
- बालिकाओं को अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण।
- पीटीए एवं एल्मनाई मीट।

#### 5. आवासीयता संबंधित विशेष प्रावधान

एकीकृत केजीबीवी में बालिकाओं की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित कार्यवाही को प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त शैक्षिक, गैर-शैक्षिक कर्मचारी, नोडल विद्यालय की प्रिंसिपल का शैक्षिक स्टाफ एवं परियोजना से संबंधित ब्लॉक एवं जिला अधिकारी/समन्वयक प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, गरिमा, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि हेतु स्वयं के अधिकार क्षेत्र अनुसार जिम्मेदार होंगे।

##### 5.1. बालिकाओं की सुरक्षा

प्रत्येक केजीबीवी बालिकाओं की सुरक्षा हेतु समस्त बालिकाओं, शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक स्टाफ एवं एसएमसी से चर्चा कर स्वयं के केजीबीवी हेतु "बाल सुरक्षा नीति" बनायेगा और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। बाल-सुरक्षा नीति में निम्नलिखित आयामों पर विशेष ध्यान दिया जाये।

1. सुरक्षित बुनियादी सुविधाएं एवं सुरक्षित वातावरण।
2. आपातकाल एवं आपदा की स्थिति हेतु तैयारियां।
3. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य।
4. सहयोगात्मक व्यवहार एवं बालिकाओं की निर्णयों में सहभागिता।
5. शैक्षिक संबलन।
6. शारीरिक, भावनात्मक, यौनिक सुरक्षा एवं सामाजिक समता।
7. शिकायत निवारण तंत्र (गरिमा पेटी) का रिकार्ड संधारण व तुरन्त निस्तारण।

62

केजीबीवी में उपरोक्त आयामों में से कोई भी ऐसा कृत्य/कार्यों की प्रति उपेक्षा जिससे की किसी भी एक/कुछ/समस्त बालिकाओं की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक स्तर पर सुरक्षा और संरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो, गैर जिम्मेदाराना माना जायेगा। समस्त केजीबीवी में यह सुनिश्चित किया जाये कि -

1. प्रवेश के समय बालिकाओं के अभिभावक/संरक्षक को परिचय कार्ड दिया जाये जिसमें बालिका के अभिभावक एवं संरक्षक का फोटो एवं परिचय हो।
2. प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकित समस्त बालिकाओं के माता-पिता अथवा संरक्षक का फोटो खिंचवा कर विद्यालय के अभिलेख में सुरक्षित रखें तथा आवश्यकतानुसार चौकिदार एवं अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा उसका उपयोग करके अभिभावक की पहचान सुनिश्चित करना अनिवार्य हैं। इसका व्यय केजीबीवी की विविध मद से करें।
3. अभिभावकों एवं आगंतुकों हेतु कोड ऑफ कन्डक्ट (क्या करें क्या न करें) के दिशा निर्देश बताये जायें और प्रवेश द्वारा पर वॉल पेन्टिंग करवाई जावें।
4. जब भी बालिका अवकाश अथवा किसी भी कारण से केजीबीवी से अपने घर जाना चाहे तो बालिका को माता-पिता या उनके द्वारा अधिकृत परिवार के सदस्य, जिनका फोटो अभिलेखों में संलग्न है, के साथ आवेदन पत्र प्राप्त कर आवागमन पंजिका में प्रविष्टि कर ही विद्यालय परिसर छोड़ने की अनुमति दें।
5. बालिकाएं वॉर्डन की पूर्व अनुमति के बिना छात्रावास परिसर नहीं छोड़ेंगी। कोई भी बालिका खाद्य सामग्री क्य हेतु अथवा कोई भी सामान हेतु केजीबीवी परिसर से बाहर नहीं जायेगी इसकी पूर्ण जिम्मेदारी वॉर्डन की होगी।
6. बालिकाओं से भेंट करने वालों के लिए निम्नानुसार रजिस्टर संधारित किया जाए। पर्यवेक्षण पर आए अधिकारीगण का भी इन्द्राज इस रजिस्टर में करें। बिना रजिस्टर में प्रविष्टि के किसी भी आगंतुक को बालिकाओं से मिलने की अनुमति न दी जावे।

#### आगंतुक रजिस्टर

##### तालिका-9

| क्र. सं. | आगंतुक का नाम | आने की दिनांक व समय | आगंतुक का फोन नं. /मोबाइल | छात्रा का नाम जिससे मिलना है | छात्रा से मिलने का कारण | छात्रा की कक्षा | छात्रा से सम्बन्ध | प्रस्थान समय | हस्ताक्षर आगंतुक | हस्ताक्षर वॉर्डन | वि. वि. |
|----------|---------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------|
|          |               |                     |                           |                              |                         |                 |                   |              |                  |                  |         |

7. अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि किसी बालिका का घर जाना बहुत ज़रूरी हो और उसके परिवार का अधिकृत सदस्य उपस्थित न हो तो छात्रा को किसी एक स्टाफ कार्मिक के साथ ही भेजा जावे। वह कार्मिक बालिका के माता, पिता अथवा उनके द्वारा अधिकृत परिवार के सदस्य से बालिका के घर पहुँचने की लिखित सूचना प्राप्त कर वॉर्डन को प्रस्तुत करेगा। इस हेतु केजीबीवी में रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।
8. छात्रावास के मुख्य द्वार को बंद रखा जाए तथा मुख्य द्वार के बाहर कॉल बेल की व्यवस्था Electricity & Water Charge मद से की जावे।
9. अभिभावक कार्यालय कक्ष में ही वॉर्डन की उपस्थिति में बालिकाओं से भेंट कर सकेंगे। आगंतुकों का छात्रावास के अन्य कक्षों में प्रवेश पूर्णतया वर्जित है।
10. बालिकाओं से भेंट का समय सर्दियों में प्रातः 8.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक तथा गर्मियों में प्रातः 08.00 बजे से सांय 7 बजे तक ही होना चाहिए। पर्यवेक्षण पर आये पुरुष अधिकारी भी इस नियम की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। किसी अपरिहार्य स्थिति में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की अनुमति से ही प्रवेश किया जा सकेगा।
11. उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थिति, अनुपस्थिति व अवकाश का योग लगा कर दोनों समय सम्बन्धित शिक्षिका अपने लघु हस्ताक्षर अनिवार्यतः करें। छात्रावास में शयन से पूर्व सभी बालिकाओं की उपस्थिति लिया जाना अनिवार्य है।
12. केजीबीवी में पुरुषों का रात्रिकालीन विश्राम पूर्णतया: वर्जित है। शिक्षिकाओं के पुरुष संबंधियों का प्रवेश एवं विश्राम भी वर्जित है।

✓

13. चौकीदार का निवास बाहर वाले कक्ष में ही होगा। जिसका प्रवेश द्वार केजीबीवी भवन के बाहर की ओर होना अनिवार्य हैं। चौकीदार हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था चैनल गेट के बाहर रखी जानी अनिवार्य है।
14. केजीबीवी में राज्य सरकार की प्रतिनियुक्ति पॉलिसी के तहत प्रतिनियुक्त राजकीय एवं प्लेसमेन्ट शिक्षिकाएं/वॉर्डन को बालिकाओं के साथ आवासीय परिसर में रहना अनिवार्य होगा। शिक्षिकाओं की उपस्थिति एवं रात्री विश्राम की मॉनीटरिंग हेतु संबंधित सीबीईओ जिम्मेदार होगा।
15. किसी अप्रिय घटना के घटित होने पर छात्रावास वॉर्डन/शाला प्रधान से सम्पर्क करते हुए संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एडीपीसी का सहयोग लिया जाए। अभिभावकों से सम्पर्क किया जाए। परिषद कार्यालय पर स्थित Helpline No. 0141-2715517 पर सूचित करें।
16. किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी परिषद में केजीबीवी उपायुक्त, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक को व्यक्तिशः दूरभाष पर तत्काल सूचित करने का दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का होगा।
17. छात्रावास में 24 घण्टे चौकीदार की उपस्थिति सुनिश्चित करें। चौकीदार द्वारा छात्रावास में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण आगन्तुक रजिस्टर में दर्ज किया जावे।
18. बालिकाओं के परिचितों/संबंधियों को बालिकाओं से मिलने हेतु निर्धारित नियम व समय स्वागत कक्ष तथा शाला कार्यालय दोनों जगह पर लगे होने चाहिए।
19. गरिमा पेटी :- प्रत्येक केजीबीवी में गरिमा पेटी की व्यवस्था की जानी है। गरिमा पेटी प्रत्येक माह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक के समक्ष खोली जानी है। गरिमा पेटी में प्राप्त शिकायतों का रिकॉर्ड भी संधारण किया जाना अनिवार्य है। गरिमा पेटी के माध्यम से प्राप्त शिकायतों/परिवेदनाओं का निस्तारण का दायित्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का होगा।
20. स्वागत कक्ष की दीवार पर व शाला कार्यालय में सीबीईओ, नोडल प्रिंसिपल परिषद कार्यालय के दूरभाष नं०, केजीबीवी हेल्पलाईन नम्बर एवं चार्ज्ड हेल्पलाईन नम्बर अनिवार्य रूप से लिखवायें।

उपर्युक्त समस्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करवाने का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पीईईओ, प्रधानाध्यापिका तथा वॉर्डन का होगा। पालना नहीं होने की स्थिति में ये सभी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

## **5.2. भवन में सुरक्षा प्रबंधन एवं आपदा प्रबंधन**

केजीबीवी परिसर में बालिकाओं की सुरक्षा हेतु विभिन्न कार्यों को किया जाना अत्यावश्यक है। इस क्रम में पूर्व में प्रकोष्ठ द्वारा प्रेषित पत्र की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त समस्त केजीबीवी निम्नलिखित परिस्थितियों में बालिकाओं से चर्चा कर उपायों को चिन्हित करें और उसे एसएमसी में पारित करवा उसे विभिन्न स्तरों पर करवाया जाना सुनिश्चित करें— बालिका के स्तर पर, स्टॉफ के स्तर पर, समुदाय के स्तर पर, नोडल के स्तर पर, ब्लॉक, जिला एवं राज्य के स्तर पर)। उक्त कार्य हेतु समय-समय पर समस्त बालिकाओं को मॉकड्रिल प्रशिक्षण दिलवाया जाना सुनिश्चित करावें। केजीबीवी के नोडल प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका एवं वार्डन प्रमुख रूप से उत्तरदायी होंगे।

- भूकंप आने पर
- आग लगने पर
- गैस सिलेण्डर रिसने/फटने पर
- आसमान से बिजली गिरने पर
- बाढ़ आने पर
- लू लगने पर
- आंधी/तूफान आने पर
- अत्यधिक सर्दी होने पर
- पानी नहीं होने या कम होने पर
- उपद्रव की स्थिति होने पर
- सांप काटने पर
- भवन में पानी टपकने पर
- भोजन विषाक्त हो जाने पर

- जल प्रदूषित हो जाने पर
- स्कूल आने-जाने के समय सड़क पर खड़के/ किनारे खाईयां होने पर
- स्कूल आते जाते समय झाड़वें पर जाते समय/कॉस करते समय
- छात्रावास में अजनबी के घुस जाने पर

### 5.3. स्वास्थ्य एवं संरक्षा

- केजीबीवी में एक साथ 200/250 बालिकाओं का आवास हैं। ऐसी स्थिति में बालिकाओं का स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाये रखना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु पूर्व में दिये गये समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन करें।
- इसके अतिरिक्त स्वच्छ वातावरण बनाये रखने का दायित्व भी प्रधानाध्यापिका एवं वार्डन का होगा। इसमें गन्दे पानी का निस्तारण, बेकार खाद्य/अखाद्य सामग्री का निस्तारण।
- प्रयोग किये गये सैनेटरी नेपकिन का निस्तारण एवं बालिकाओं के गद्दे-चादर की नियमित सफाई व रखरखाव सम्मिलित हैं।
- भवन में प्रतिदिन सफाई, टॉयलेट की दिन में कम से कम तीन बार पानी-फिनाईन से सफाई, किचन की दिन में दो बार सफाई, किचन स्टोर की माह में कम से कम दो बार सफाई एवं भवन के खुले परिसर की प्रतिसप्ताह सफाई, झाड़ियों आदि की आवश्यकतानुसार प्रतिमाह कटाई सफाई आदि।
- उक्त के अतिरिक्त बालिकाओं को जागरूक करने, उनकी समस्याओं को जानने व उनका निस्तारण करने एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्नलिखित कार्यों को भी सुनिश्चित किया जाये:-
- एसएमसी की बैठकों में बालिका सुरक्षा के विषयों पर चर्चा बिन्दु रखना।
- स्वास्थ्य जांच के दौरान बालिकाओं के साथ केजीबीवी से किसी भी एक स्टॉफ की भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- मौसमी बीमारियां, आंख बहना, त्वचा की बीमारियां, अलर्जी, डेंगू, मलेरिया आदि से बचने हेतु पूर्व योजना बना सभी को जागरूक करना एवं Preventive and Curative Measures लेना।
- सैनेटरी नैपकिन वितरण रजिस्टर बनाया जाये और वार्डन द्वारा उसकी मासिक समीक्षा कर केजीबीवी से जुड़े नर्स/डॉक्टर से पर्सनल हाईजीन पर सुझाव लिये जायें।
- केजीबीवी में बाल-संरक्षण के मुद्दों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना। इस हेतु बालिकाओं के साथ मासिक वार्ता की जाये जिसमें उन्हें बाल अधिकार, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्कॉलरशिप, करियर काउन्सिलिंग, जेण्डर एवं रूढ़ीवादिता, भेदभाव, रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य व महावारी स्वास्थ्य, बाल श्रम, बाल विवाह, हिंसा व घरेलू हिंसा, असुरक्षित व्यवहार एवं उसे समझना, यौन शोषण, मानसिक-शारीरिक अब्युज आदि पर चर्चा की जाये।
- चर्चाओं के संचालन हेतु मीना मंच का नेतृत्व दिया जाये। ब्लॉक में कार्यरत सरकारी/गैर-सरकारी महिला कार्यकर्ताओं एवं कर्मचारियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।
- छात्रावास एवं विद्यालय के मध्य छेड़छाड़ एवं अन्य आंशकाओं के होने पर, फोन पर, चिट्ठी द्वारा अथवा साधन द्वारा केजीबीवी की छात्रा को परेशान किये जाने पर प्रधानाध्यापिका, नोडल प्रधानाचार्य एवं वार्डन द्वारा संयुक्त रूप से बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे।

### 6. आवर्ती/रैकरिंग राशि का उपयोग

आवर्ती मद में प्राप्त राशि 2019-20

तालिका-10

| Type-3                                                          |                      |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Activity                                                        | Unit cost            | Period | Budget | Budget | Budget | Budget |
|                                                                 |                      |        | (100G) | (150G) | (200G) | (250G) |
| 1. Fooding & Lodging                                            | Per girl Rs. 1650 pm | Month  | 19.80  | 29.70  | 39.60  | 49.50  |
| 2. Stipend for girl                                             | Rs.150 pm            | Month  | 1.80   | 2.70   | 3.60   | 4.50   |
| 3. Supplementary TLM, stationery and other educational material | Per girl Rs. 1100 pa | Annual | 1.10   | 1.65   | 2.20   | 2.75   |
| 4. Examination Fee                                              | Per girl Rs. 800     | Annual | 0.40   | 0.40   | 0.40   | 0.40   |

|                                                 |                       |        |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|------|------|------|------|
| 5. Vocational training/ specific skill training | Per girl Rs. 1500 pa  | Annual | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.75 |
| 6. Electricity/ water charges                   | Per girl Rs. 1800 pa  | Annual | 1.80 | 2.70 | 3.60 | 4.50 |
| 7. Medical care/ Contingencies                  | Per girl Rs. 1500 pa  | Annual | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.75 |
| 8. Maintenance                                  | Per girl Rs. 1000 pa  | Annual | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 9. Miscellaneous                                | Per girl Rs. 1500 pa  | Annual | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.75 |
| 10. Preparatory camps                           | Per KGBV Rs. 7000 pa  | Annual | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 11. PTAs/ school functions                      | Per girl Rs. 200 pa   | Annual | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 12. Capacity building                           | Per kgbv Rs. 10000 pa | Annual | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 13. Physical / Self Defence training            | Per Kgbv Rs. 10000 pa | Annual | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 14. Salary                                      | as per state norms    |        |      |      |      |      |

उक्त राशि का उपयोग BF&AR, GF&AR, RTPP Act & Rules में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जावे।

#### 6.1. बालिकाओं का रखरखाव (Fooding & Lodging)

सत्र 2019-20 में एकीकृत केजीबीवी टाईप-3 में समस्त 100/150/200/250 बालिकाओं हेतु Maintenance per Girls student per month @ Rs.1650.00 के अनुसार प्रतिवर्ष कुल वार्षिक व्यय रुपये 19,800/- प्रति बालिका का प्रावधान है। जिसमें से रुपये 16500/- प्रतिवर्ष प्रति बालिका का व्यय भोजन एवं रुपये 3,300/- का व्यय अन्य निजी उपयोग की वस्तुओं पर किया जाना है। निजी उपयोग की वस्तुएँ सितम्बर 2019 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।

##### 6.1.1. बालिकाओं का रखरखाव- समुचित मात्रा में, पौष्टिक एवं गुणवत्तायुक्त भोजन

समस्त केजीबीवी में प्रत्येक बालिकाओं को पौष्टिक, गुणवत्तापूर्ण, समय पर, पर्याप्त मात्रा में, मेन्यू अनुसार एवं गरिमा के साथ भोजन मिले इसकी जिम्मेदारी संयुक्त रूप से प्रिन्सीपल एवं प्रधानयापिका/वार्डन की होगी। भोजन हेतु सामग्री का क्रय निम्नानुसार गठित भोजन समिति द्वारा किया जाएगा।

#### भोजन समिति तालिका-11

|   |                                                    |                                                                            |
|---|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | केजीबीवी के नोडल प्रिन्सीपल                        | अध्यक्ष                                                                    |
| 2 | अभिभावक-02                                         | सदस्य                                                                      |
| 3 | केजीबीवी वार्डन-02<br>(दोनों भवनों के लिए अलग-अलग) | सदस्य सचिव (कक्षा 9 से 12 के भवन से)                                       |
| 4 | छात्रावास की बालिका-01                             | सदस्य (कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा) |
| 5 | एसडीएमसी/एचएमसी सदस्य-02                           | सदस्य<br>(जो कि अभिभावक अथवा जनप्रतिनिधि होना चाहिए)                       |
| 6 | केजीबीवी प्रधानाध्यापिका                           | सदस्य                                                                      |

भोजन समिति चार सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति में न्यूनतम 15/30 दिवस की माँग के आंकलन अनुसार बाजार से न्यूनतम दर पर अच्छी गुणवत्ता वाली एगमार्क युक्त सामग्री क्रय करेगी।

- सामग्री क्रय करते समय अभिभावक/जनप्रतिनिधि सदस्य का साथ होना अनिवार्य होगा।
- सामग्री क्रय करते ही बिल प्राप्त किये जावें।
- क्रय समिति द्वारा प्रत्येक बिल पर सामग्री क्रय का प्रमाणीकरण न्यूनतम तीन सदस्यों (प्र.अ., वार्डन एवं अध्यक्ष) द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। जिस पर क्रय समिति के स्पष्ट हस्ताक्षर एवं नाम उल्लेखित होंगे। तदनुसार भण्डार पंजिका में प्रविष्टि लिपिक/अकाउण्टेन्ट द्वारा की जायेगी। लिपिक का पद रिक्त होने की स्थिति में उपरोक्त कार्य उस शिक्षिका द्वारा संपादित किया जायेगा, जो क्रय समिति की सदस्य नहीं है।
- खाद्य सामग्री की भण्डार पंजिका प्रविष्टि के उपरान्त ही उपयोग/वितरण हेतु वार्डन अथवा शिक्षिका के सुपूर्द की जायेगी।
- शाला प्रबंधन समिति क्रय समिति में अतिरिक्त सदस्य को शामिल करने के निर्देश दे सकती है। यह सदस्य भोजन समिति में उपरोक्तानुसार निर्धारित किये गये सदस्यों से पृथक होगा।
- शाला प्रबंधन समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय की गई सामग्री समिति से अनुमोदित है एवं समस्त खर्चों का अनुमोदन समिति से करा लिया गया है।



- भोजन सामग्री पर 55 रुपये प्रति बालिका तक प्रतिदिवस खर्च किया जा सकता है। (बालिकाओं की उपस्थिति अनुसार)

#### भोजन व्यवस्था

- उक्त समिति भोजन सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी तथा उक्त समिति कच्चा माल प्राथमिकता से सहकारी समितियों/तिलम संघ/उपभोक्ता भण्डार अथवा अन्य सरकारी संस्थाओं से क्रय करेगी।
- भोजन सामग्री खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जारी दिशा-निर्देशानुसार रियायती दरों पर क्रय की जा सकती है।
- निकटतम ब्लॉक अथवा शहरी क्षेत्रों में उक्त सहकारी प्रतिष्ठान होने पर सामग्री उक्त प्रतिष्ठानों से ही खरीदी जा सकेगी। सामग्री लाने का किराया बालिका मेन्टिनेन्स मद से दिया जा सकेगा।
- स्थानीय सहकारी समितियों/अन्य सरकारी संस्थाओं से सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता असंतोषजनक पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी से सम्पर्क कर सामग्री को क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
- यदि उक्त प्रतिष्ठान उपलब्ध नहीं होने पर गाँव/कस्बों के प्रतिष्ठित किराना व्यापारियों (विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति/विद्यालय प्रबंध समिति (SDMC/SMC), क्रय समिति (Perchage Commette) के न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा अनुमोदित गुणवत्तायुक्त किराना सामग्री (विक्रेता) से बाजार दरों का आकलन कर क्रय की जा सकेगी। इस हेतु टेण्डर की प्रक्रिया को अपनाया जाना होगा, जिस हेतु संबंधित नोडल प्रधानाचार्य एवं जिला परियोजना कार्यालय आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- राज्य स्तर से इस मद की राशि त्रैमासिक आधार पर केजीबीवी की SDMC/HMC को अग्रिम हस्तान्तरित की जाएगी।
- दोनों वॉर्डन द्वारा मासिक बजट प्लान बनाया जाये। आवश्यक सामग्री की क्रय योजना बनाकर एक मुश्त खरीदे जाने वाले सामान का भुगतान चैक से करवाने हेतु SDMC/HMC को प्रस्तुत किया जाये।
- एसडीएमसी द्वारा प्रत्येक भवन की वार्डन को रू0 10000/- अग्रिम राशि स्थानांतरित की जाये तथा 75 प्रतिशत राशि व्यय होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर पुनः राशि जारी की जाए। उक्त व्यवस्था की पालना करना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।
- 2000 रुपये से अधिक राशि के बिलों का भुगतान करने हेतु प्रत्येक भवन की वार्डन द्वारा बिल SDMC/HMC को प्रस्तुत किये जाये ताकि उनका भुगतान Account payee चैक द्वारा किया जा सके।
- भोजन व्यवस्था हेतु रू. 2000/- तक के बिलों का नगद भुगतान वार्डन द्वारा किया जा सकेगा। यह नगद भुगतान की व्यवस्था केजीबीवी की अन्य व्यवस्थाओं पर लागू नहीं होगी।
- वार्डन द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में अग्रिम राशि का समायोजन करवाने हेतु आवेदन किया जायें।

अग्रिम राशि हेतु समायोजन प्रपत्र

तालिका-12

|                                                                                                                               |         |        |             |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|---------|------|
| प्रेषित,<br>अध्यक्ष<br>विद्यालय/छात्रावास प्रबंधन समिति<br>केजीबीवी .....                                                     |         |        |             |         |      |
| <b>विषय : अग्रिम राशि समायोजन कराने के सम्बन्ध में।</b>                                                                       |         |        |             |         |      |
| महोदय/महोदय,<br>उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप के द्वारा दी गई अग्रिम राशि का मेरे द्वारा निम्नानुसार व्यय किया गया है। |         |        |             |         |      |
| क्र.सं.                                                                                                                       | बिल नं0 | दिनांक | फर्म का नाम | सामग्री | राशि |
| 1.                                                                                                                            |         |        |             |         |      |
| 2.                                                                                                                            |         |        |             |         |      |
| योग :- ..... मेरे द्वारा व्यय की गयी राशि का समायोजन किया जाए तथा रू0 ...<br>..... मात्र की राशि उपलब्ध करायी जाए।            |         |        |             |         |      |
| हस्ताक्षर<br>नाम एवं पदनाम/वॉर्डन                                                                                             |         |        |             |         |      |

- भोजन पकाने/परोसने का कार्य एजेन्सी कार्मिकों द्वारा ही किया जाए। आवश्यकता होने पर भोजन परोसने के कार्य में छात्राओं के समूह बनाकर बारी-बारी से मदद प्राप्त की जा सकती है।
  - बालिकाओं से भोजन पकाने सम्बन्धी कार्य नहीं करवाये जायें।
  - बालिकाओं को दोनों समय का भोजन तथा सुबह-शाम नाश्ता भोजन मेन्यूनुसार देने की व्यवस्था करें।
  - दिन में दो बार चाय, एक बार दूध एवं दोपहर भोजन के साथ दही/रायता दिया जायेगा।
  - जो बालिकाएं नोडल विद्यालय पढ़ने जाती हैं, उन्हें साथ में टिफिन दिया जाये और वापस आने पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाये।
  - सप्ताह का भोजन मेन्यू बड़े फ्लैक्सी चार्ट पर लिखकर भोजनकक्ष, स्वागत- कक्ष तथा कार्यालय में अवश्य लगाएं।
  - बालिकाओं को नाश्ता, दोपहर भोजन, रात्रि भोजन भोजन कक्ष (डायनिंग हॉल) में ही करवाया जाए।
  - भोजन कक्ष, स्वागत कक्ष तथा कार्यालय में भोजन नाश्ते/चाय की समय सारणी भी लगी होनी चाहिए।
  - भोजन में परोसी गई सामग्री की गुणवत्ता तथा मेन्यू के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना भोजन समिति की ज़िम्मेदारी होगी।
  - मेन्यू अनुसार दिये जाने वाले भोजन का विवरण उल्लेखित किया जावे एवं रजिस्टर संधारित करे, जिसमें वॉर्डन, प्रधानाध्यापक एवं प्रत्येक कक्षा से एक छात्रा के हस्ताक्षर कराये जाए।
- विशेष- भोजन व्यवस्था के निर्देशों की अक्षरशः पालना करना अनिवार्य है अन्यथा इस संबंध में कठोर कार्यवाही की जाएगी।**

10 से 14 आयु की बालिकाओं हेतु सन्तुलित आहार का आवश्यकता

**तालिका-13**

| क्र.सं. | संतुलित आहार                            | मात्रा                       |
|---------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 1       | अनाज (गेहूं व चावल)                     | 350 ग्राम प्रतिदिवस          |
| 2       | दालें                                   | 50 ग्राम प्रतिदिवस           |
| 3       | हरी पत्तेदार सब्जियां (मौसम के अनुसार ) | 100 ग्राम प्रतिदिवस          |
| 4       | अन्य सब्जियां (मौसम के अनुसार )         | 75 ग्राम प्रतिदिवस           |
| 5       | जड़-कन्द सब्जियां (मौसम के अनुसार )     | 75 ग्राम प्रतिदिवस           |
| 6       | फल (मौसम के अनुसार )                    | 100 ग्राम प्रतिदिवस          |
| 7       | दूध                                     | 300 मि. ग्राम प्रतिदिवस      |
| 8       | दही/छाछ                                 | 150 मि. ग्राम प्रतिदिवस      |
| 9       | घी व तेल (कुल मात्रा)                   | 35 ग्राम प्रतिदिवस           |
| 10      | शक्कर एवं गुड़                          | 30 ग्राम प्रतिदिवस           |
| 11      | मूंगफली                                 | 50 ग्राम (सप्ताह में एक दिन) |
| 12      | पनीर                                    | 50 ग्राम (सप्ताह में एक दिन) |
| 13      | मसालें                                  | आवश्यकतानुसार                |

15 से 18 आयु की बालिकाओं हेतु सन्तुलित आहार का आवश्यकता

**तालिका-14**

| क्र.सं. | संतुलित आहार                            | मात्रा                  |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1       | अनाज (गेहूं व चावल)                     | 400 ग्राम प्रतिदिवस     |
| 2       | दालें                                   | 60 ग्राम प्रतिदिवस      |
| 3       | हरी पत्तेदार सब्जियां (मौसम के अनुसार ) | 120 ग्राम प्रतिदिवस     |
| 4       | अन्य सब्जियां (मौसम के अनुसार )         | 100 ग्राम प्रतिदिवस     |
| 5       | जड़-कन्द सब्जियां (मौसम के अनुसार )     | 100 ग्राम प्रतिदिवस     |
| 6       | फल (मौसम के अनुसार )                    | 100 ग्राम प्रतिदिवस     |
| 7       | दूध                                     | 300 मि. ग्राम प्रतिदिवस |
| 8       | दही/छाछ                                 | 150 मि. ग्राम प्रतिदिवस |

*Handwritten signature*

|    |                       |                              |
|----|-----------------------|------------------------------|
| 9  | घी व तेल (कुल मात्रा) | 35 ग्राम प्रतिदिवस           |
| 10 | शक्कर एवं गुड़        | 30 ग्राम प्रतिदिवस           |
| 11 | मूंगफली               | 50 ग्राम (सप्ताह में एक दिन) |
| 12 | पनीर                  | 50 ग्राम (सप्ताह में एक दिन) |
| 13 | मसाले                 | आवश्यकतानुसार                |

नोट :- उक्त दर्शाई गई मात्रा में आंशिक परिवर्तन संभव है।

- केजीबीवी में दूध प्राथमिकता से सरस/अमूल/डेयरी मिल्क/मदर डेयरी/लोट्स/मिल्क फूड डेयरी आदि ब्रान्डेड डेयरियों का पैक बन्द ही लिया जावे।
- प्रति बालिका 300 मि.ली. दूध का प्रावधान किया गया है जिसमें 100 मि.ली. दूध दही/छाछ के लिए शेष दूध बालिकाओं के नाश्ते एवं प्रातः/सायं कालीन चाय हेतु नियत है।
- दैनिक आने वाली सामग्री जैसे-दूध, सब्जी, फल आदि प्राप्त करने हेतु पृथक-पृथक डायरी/रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें सामग्री प्राप्तकर्ता एवं उपयोगकर्ता द्वारा हस्ताक्षर प्राप्ति तिथि में ही किये जायेंगे। बिल के साथ डायरी/रजिस्टर की प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रमाणित मूल प्रति बिल के साथ संलग्न करने पर ही बिल पारित किया जा सकेगा। बिल का भुगतान Account payee चैक द्वारा किया जायेगा।
- घी व तेल का औसत उपभोग 35 ग्राम प्रति बालिका प्रति दिवस है जिसमें लगभग 10ग्राम देशी घी (सरस/गोरस/अमूल/कृष्णा आदि) एवं 25 ग्राम तेल (चम्बल/फारटयून/रिफाण्ड आदि) का उपयोग किया जा सकता है। प्रतिदिन घी/तेल का उपयोग कम/अधिक हो सकता है। घी-तेल 15 किलोग्राम के टीन पैक में ही खरीदा जाना है। मिलावटी खाद्य सामग्री के प्रति हमेशा सचेत रहे।
- खाद्य-सामग्री की खरीद के बाद तत्काल बिल में अंकित सामग्री की स्टॉक एन्ट्री की जावेगी एवं प्रतिदिन स्टॉक रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के भवन की वार्डन/सहवार्डन एवं प्रधानाध्यापिका इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगी।
- केजीबीवी किशोरी मेलों में बालक-बालिकाओं एवं शिक्षिकाओं को भोजन-नाश्ता व्यय रु. 55/- प्रति व्यक्ति इस मद से किया जाएगा।
- सभी केजीबीवी में भोजन/नाश्ता आदि पकाने हेतु एलपीजी गैस का ही उपयोग किया जावे। यदि अभी भी किसी केजीबीवी में गैस कनेक्शन नहीं है तो तत्काल तक गैस कनेक्शन लिया जावे। इसके लिए जिला प्रशासन की मदद ली जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक को उक्त तिथि पश्चात प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि "उनके जिले में समस्त केजीबीवी में भोजन पकाने हेतु गैस कनेक्शन उपलब्ध है एवं उसका उपयोग किया जा रहा है।"
- प्रति 6 माह में सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार गैस का रबर पाईप बदला जाए तथा रेग्युलेटर, चूल्हे की जांच करवायी जाए। इसके लिए नियमित अन्तराल पर गैस कम्पनी के डीलर से प्रशिक्षित कार्मिक द्वारा जांच करवाकर, जांच की दिनांक का अंकन भी रसोई की दीवार पर करावे।
- प्रत्येक मंजिल पर एक अग्निशमन यंत्र लगवाया जाकर प्रतिवर्ष अथवा यंत्र पर दिये गये निर्देशानुसार रिफिल करवाया जाए। भूतल पर यंत्र को सुरक्षा की दृष्टि से रसोई घर के समीप लगवाया जाए। इसके उपयोग का प्रशिक्षण प्रत्येक बालिका को दिलवाया जावे।

#### तालिका-15. भोजन मेन्यू

| क्रसं | दिवस    | प्रातः                | सुबह का नाश्ता                               | दोपहर का भोजन                                                                                                 | शाम का नाश्ता                                                                         | रात्रि का भोजन                                           |
|-------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | सोमवार  | चाय एवं बिस्किट/टोस्ट | दूध - 1 गिलास<br>सेण्डवीच - 2/<br>आलू कोफ्ता | रोटी, पालक की दाल, अरबी/टिण्डे की सूखी सब्जी, पुलाव, बूंदी का रायता, सलाद (प्याज टमाटर, खीरा, गाजर, मूली आदि) | चाय, फलों की चाट (सेब, पपीता, अंगूर, केला, खरबूज, तरबूज, आम, अनार आदि नमकीन सेवई)     | रोटी, तोरई-रसे वाली, सूखे आलू प्याज की सब्जी, गुड        |
| 2     | मंगलवार | चाय एवं बिस्किट/टोस्ट | दूध - 1 गिलास<br>मीठा दलिया - 1 प्लेट        | रोटी, अरहर की दाल, मिण्डी/गोभी की सूखी सब्जी, सादा चावल, दही सलाद (प्याज टमाटर, खीरा, गाजर, मूली आदि)         | चाय, कोई भी एक मौसमी फल (सेब, संतरा, केला, खरबूज, तरबूज, आम, अमरुद आदि, मिक्स पकोड़े) | रोटी, मगोड़ी-आलू रसे वाली, शिमला मिर्च आलू की सब्जी, गुड |
| 3     | बुधवार  | चाय एवं बिस्किट/टोस्ट | दूध - 1 गिलास                                | रोटी, मिक्स दाल(अरहर, मूंग, चना, मसूर), मिक्स                                                                 | चाय, कोई भी एक मौसमी फल (सेब,                                                         | रोटी, पालक-आलू                                           |

|   |          |                              |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                      |
|---|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | टोस्ट                        | इडली सांभर<br>-2 / आलू का<br>परांठा                                | सब्जी/सेम आलू की सूखी<br>सब्जी, जीरा चावल, छाछ,<br>सलाद (प्याज टमाटर, खीरा,<br>गाजर, मूली आदि)                                                                      | संतरा, केला, खरबूज,<br>तरबूज, आम, अमरुद<br>आदि, बेसन का चीला                                     | गाजर की<br>सब्जी, गुड                                                                |
| 4 | गुरुवार  | चाय एवं<br>बिस्किट/<br>टोस्ट | दूध - 1<br>गिलास<br>अंकुरित साबुत<br>मूंग/ मोठ की<br>चाट - 1 प्लेट | रोटी, चूना, घीया की दाल,<br>मेथी-आलू/ गाजर मटर की<br>सूखी सब्जी, ब्राउन राईस<br>(प्याज से छोंके हुये), पुदीना<br>रायता, सलाद (प्याज टमाटर,<br>खीरा, गाजर, मूली) आदि | चाय, फलों की चाट<br>(सेब, पपीता, अंगूर,<br>केला, खरबूज, तरबूज,<br>आम, अनार आदि,<br>कटलेट         | (हरी मेथी की<br>रोटी, आलू<br>टमाटर रसे<br>वाली सब्जी,<br>पत्ता गोभी की<br>सब्जी, गुड |
| 5 | शुक्रवार | चाय एवं<br>बिस्किट/<br>टोस्ट | दूध - 1<br>गिलास<br>पौहा - 1 प्लेट                                 | रोटी, मूंग छिलका दाल,<br>कदमू/ प्याज आलू की सूखी<br>सब्जी, सादा चावल, बथुआ/<br>मीठा रायता, सलाद (प्याज<br>टमाटर, खीरा, गाजर, मूली)<br>आदि                           | चाय, कोई भी एक<br>मौसमी फल (सेब,<br>संतरा, केला, खरबूज,<br>तरबूज, आम, अमरुद<br>आदि), ब्रेडरोल    | रोटी, सोयाबीन<br>की दाल,<br>भिण्डी की<br>सब्जी, गुड                                  |
| 6 | शनिवार   | चाय एवं<br>बिस्किट/<br>टोस्ट | दूध - 1<br>गिलास<br>उपमा - 1<br>प्लेट                              | रोटी, उडद मोगर की दाल,<br>पत्ता गोभी/ टमाटर घीया की<br>सूखी सब्जी, पुलाव, खीरा/<br>ककड़ी का रायता, सलाद<br>(प्याज टमाटर, खीरा, गाजर)<br>आदि                         | चाय, कोई भी एक<br>मौसमी फल (सेब,<br>संतरा, केला, खरबूज,<br>तरबूज, आम, अमरुद<br>आदि), अंकुरित चाट | रोटी, घीया<br>टमाटर की<br>रसे वाली<br>सब्जी, गटटे की<br>सब्जी, गुड                   |

नोट : सब्जी, सलाद एवं फल मौसम के अनुसार उपयोग में लिए जावें।

#### तालिका-16. रविवार - विशेष दिवस - विशेष भोजन मेन्यू

| क्रसं | दिवस              | प्रातः                       | सुबह का नाश्ता                                             | दोपहर का भोजन                                                                                                    | शाम का नाश्ता                                                                                                        | रात्रि का भोजन                                                                         |
|-------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | प्रथम<br>रविवार   | चाय एवं<br>बिस्किट/<br>टोस्ट | दूध - 1<br>गिलास<br>समोसा - 1<br>सूजी का हलवा<br>- 1 प्लेट | रोटी, राजमा, भरवा<br>टिण्डे, चावल, दही बड़ा<br>सलाद ( प्याज टमाटर,<br>खीरा, गाजर, मूली<br>आदि)                   | चाय, फलों की चाट<br>(सेब, पपीता, अंगूर,<br>केला, खरबूज, तरबूज,<br>आम, अनार आदि),<br>नमकीन सेवई                       | रोटी, अरहर की<br>दाल, फली की<br>सब्जी, पापड, कोई<br>भी एक मीठा व्यंजन                  |
| 2     | द्वितीय<br>रविवार | चाय एवं<br>बिस्किट/<br>टोस्ट | भरवां परांठा -<br>2, दही, अचार,<br>चटनी                    | रोटी, कढ़ी, भरवां भिण्डी<br>सादा चावल, बूंदी का<br>रायता सलाद (प्याज<br>टमाटर, खीरा, गाजर,<br>मूली आदि)          | चाय/नींबू की शिकंजी,<br>कोई भी एक मौसमी फल<br>(सेब, संतरा, केला,<br>खरबूज, तरबूज, आम,<br>अमरुद आदि), आलू का<br>कोपता | रोटी, मिक्स दाल,<br>पालक पनीर की<br>सब्जी, पापड, फुट<br>कस्टर्ड                        |
| 3     | तृतीय<br>रविवार   | चाय एवं<br>बिस्किट/<br>टोस्ट | मीठा दलिया,<br>दूध, उपमा                                   | पूड़ी छोले सब्जी, जीरा<br>चावल, मिक्स फुट<br>रायता, सलाद (प्याज<br>टमाटर, खीरा, गाजर,<br>मूली आदि)               | चाय, कोई भी एक<br>मौसमी फल (सेब, संतरा,<br>केला, खरबूज, तरबूज,<br>आम, अमरुद आदि),<br>नमकीन सेवई                      | रोटी, सोयाबीन की<br>मंगोडी की सब्जी,<br>मिर्ची के टपोरे<br>पुलाव, पापड, चावल<br>की खीर |
| 4     | चतुर्थ<br>रविवार  | चाय एवं<br>बिस्किट/<br>टोस्ट | दूध-सेवई की<br>खीर, पकौड़े-<br>पालक पनीर                   | दाल, बाटी, ब्राउन राईस<br>(प्याज से छोंके हुये),<br>पुदीना रायता, सलाद<br>(प्याज टमाटर, खीरा,<br>गाजर, मूली आदि) | चाय/ बील का<br>ज्यूस/कोई भी एक<br>मौसमी फल (सेब, संतरा,<br>केला, खरबूज, तरबूज,<br>आम, अमरुद आदि),<br>भेलपूरी         | रोटी, घीया के<br>कोपते, पापड, कोई<br>भी एक मीठा व्यंजन                                 |
| 5     | पंचम<br>रविवार    | चाय एवं<br>बिस्किट/<br>टोस्ट | दूध - 1<br>गिलास<br>पौहा - 1 प्लेट                         | रोटी, मसूर की दाल,<br>दमआलू की सब्जी,<br>पुलाव, दही की पकोड़ी<br>सलाद (प्याज टमाटर,<br>खीरा, गाजर, आदि)          | चाय/नींबू की सकंजी,<br>कोई भी एक मौसमी फल<br>(सेब, संतरा, केला,<br>खरबूज, तरबूज, आम,<br>अमरुद आदि), आलू का<br>कोपता  | परांठे, काले चने की<br>सब्जी, भिण्डी की<br>सब्जी, पापड, कोई<br>भी एक मीठा व्यंजन       |

नोट : सब्जी, सलाद एवं फल मौसम के अनुसार उपयोग में लिए जावें, उपलब्धता के आधार पर हरी सब्जी भी बनाई जा सकती है।

### 6.1.2. बालिकाओं का रखरखाव— आधारभूत सामग्री

आधारभूत आवश्यकताओं पर कुल वार्षिक व्यय की राशि रु 3,300/मात्र, कक्षा 6 से 12 की प्रति बालिका के लिए निम्नानुसार व्यय किये जायेंगे।

तालिका-17

| क्र.सं. | वस्तु का नाम | मात्रा   | क्र.सं. | वस्तु का नाम                                | मात्रा  |
|---------|--------------|----------|---------|---------------------------------------------|---------|
| 1       | स्लीपर       | 1 जोड़ी  | 11      | स्कार्फ                                     | 1       |
| 2       | जूते         | 1 जोड़ी  | 12      | शू पालिश                                    | 2       |
| 3       | शूज ब्रश     | 1        | 13      | रूमाल                                       | 3       |
| 4       | रिबन         | 2 मी.    | 14      | तौलिया                                      | 1       |
| 5       | कंधा         | 1        | 15      | ब्रश (कपड़े धोने का)                        | 1       |
| 6       | हेयर क्लिप   | 6        | 16      | कपड़े सुखाने की क्लिप                       | 3       |
| 7       | शमीज         | 3        | 17      | स्कूल यूनिफॉर्म                             | 2 जोड़ी |
| 8       | अण्डरवीयर    | 3        | 18      | ब्लेजर                                      | 1       |
| 9       | मोजे         | 02 जोड़ी | 19      | रंगीन ड्रेस                                 | 1 जोड़ी |
| 10      | नेलकटर       | 01       | 20      | अन्य दैनिक उपयोग हेतु सामग्री आवश्यकतानुसार |         |

- उक्त सामग्री गुणवत्ता युक्त (ब्राण्डेड) थोक विक्रेताओं से खरीदी जावें। खराब गुणवत्ता की सामग्री खरीदी जाने पर क्रय समिति जिम्मेदार होगी।
- सामग्री प्राप्त होने पर सर्व प्रथम प्राप्त बिल अनुसार स्टॉक एन्ट्री की जावें। तत्पश्चात वितरण हेतु सामग्री प्रत्येक भवन की वार्डन/कक्षा अध्यापिका को दी जावें। एसडीएमसी/एसएमसी सचिव प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।
- बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूल यूनिफॉर्म, ब्लेजर, रंगीन ड्रेस, बेग आदि पर केजीबीवी का नाम एवं वितरण सत्र अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- बालिकाओं को वितरित की गई कोई भी सामग्री सत्रांत पर वापस नहीं ली जावेगी।

नोट— उक्त सामग्री प्रतिवर्ष 15 अगस्त से पूर्व वितरित किया जाना अनिवार्य है।

विशेष : दैनिक आवश्यकता वाली प्रतिवर्ष एवं प्रतिमाह देय सामग्री की सूची व मात्रा केजीबीवी की बाहर की दीवार (चैनल द्वार के निकट) पर पेन्ट द्वारा सुपाठ्य शब्दों में अनिवार्य रूप से लिखवाया जाना सुनिश्चित करें।

निजी उपयोग की निम्न वस्तुएँ प्रतिमाह/आवश्यकतानुसार वितरित की जाएं—

- नहाने का साबुन—2 (125 gm) एवं कपड़े धोने का साबुन—2 (125 gm/per month) प्रति माह
- हेयर आयल 100 एमएल प्रति माह (1लीटर आंवला/नारियल का तेल प्रतिवर्ष)
- टूथ ब्रश (4 प्रति वर्ष) एवं टूथ पेस्ट— (50 gm per month)
- सेफटी पिन (12 प्रति वर्ष) एवं अन्य कास्मेटिक सामान — आवश्यकतानुसार।

नोट : अच्छी गुणवत्ता की ब्राण्डेड एवं थोक विक्रेता से ही सामग्री खरीदी जावें। उक्त सामग्री प्रत्येक माह की 5 तारीख को वितरित किया जाना आवश्यक है।

### 6.2. बालिकाओं को स्टाइपेण्ड

उपरोक्त मद में प्रतिवर्ष प्रति बालिका हेतु Rs. 150/- की दर से कुल रु. 1800.00 प्रतिवर्ष प्रतिबालिका राशि का प्रावधान है। इस राशि को केजीबीवी में अध्ययनरत बालिकाओं के बचत बैंक खाता में जमा करवाई जानी है। इसके संबंध में निम्न बिन्दुओं की पालना की जानी है :-

- केजीबीवी में अध्ययनरत बालिकाओं का निकटतम बैंक में बचत खाता खुला हो।
- समस्त नवप्रवेशी बालिकाओं का बैंक में खाता अधिकतम 15 सितम्बर 2019 तक खुलवाया जाना है।
- प्रधानाध्यापिका द्वारा केजीबीवी में अध्ययनरत बालिकाओं के बचत बैंक खाता में रु0 450/- प्रति त्रैमासिक जमा करवाया जाना। प्रति बालिका प्रति वर्ष रु0 1800/- केजीबीवी प्रधानाध्यापिका द्वारा सीधे बालिका के बचत बैंक खाता में जमा करवाना अनिवार्य है।
- इस राशि का उपयोग बालिका द्वारा अपनी इच्छानुसार किया जायेगा।

- बालिकाओं में बैंक में खाता खुलवाना, राशि जमा करवाना, राशि निकलवाना एवं एटीएम कार्ड के उपयोग करने का कौशल विकसित कराया जाना आवश्यक है।
- नव प्रवेशित बालिकाओं को जिस माह में उन्होंने प्रवेश लिया है उस माह से स्टाईफण्ड जमा किया जाए।
- केजीबीवी में पूर्व से नामांकित बालिकाओं का स्टाईपेण्ड ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवधि के दौरान भी उनके खाते में ट्रान्सफर किया जायेगा।
- समस्त बालिकाओं का आधार कार्ड भी अनिवार्य रूप से बनवाया जाये।

### 6.3. सहायक टीएलएम, स्टेशनरी एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री

- सत्र में एक बार उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री – वर्ष में एक बार वितरित कराई जाने वाली निम्न शैक्षणिक सामग्री सत्र के आरम्भ में ही बालिकाओं को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

तालिका-18

| Name of Stationery / Material            | Total Quantity |
|------------------------------------------|----------------|
| • Drawing/Geometry set                   | 1-Pcs.         |
| • School bag – 1 (With KGBV Name & Year) | 1- Pcs.        |
| • Graph Exercise Book                    | 1-Pcs.         |
| • Map Exercise Book                      | 1- Pcs.        |
| • Drawing Exercise Book                  | 1-Pcs.         |
| • Scrap Book                             | 1-Pcs.         |

- सत्र में दो बार उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री – निम्न शैक्षिक सामग्री वर्ष में दो बार जुलाई एवं नवम्बर में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

तालिका-19

| Name of Stationery / Material                        | Total Quantity |
|------------------------------------------------------|----------------|
| • Qualitative wax pencils Packs of 8 assorted colors | 1- Packet      |
| • Pencil Colours                                     | 1- Packet      |
| • Poster Colours                                     | 1- Packet      |
| • Ruler, (Plastic-15 cm)                             | 3- Pcs.        |
| • Themocal Sheet                                     | 2-Pcs.         |
| • Drawing Sheet                                      | 6-Pcs          |
| • Qualitative Adhasive tape (Min. 5 Mtr.)            | 1- Pcs.        |
| • Coloured Paper (Full Sheet)                        | 4-Pcs.         |

- सत्र में समय-समय पर उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री – आवश्यकतानुसार बालिकाओं को निम्नांकित सामग्री उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

तालिका-20

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Exercise Book A5, (25X20mm), 150 pages, (Four Line English & Two Line Hindi Copy) | 2- Dozen  |
| • Pencil, HB grade black, box of 10                                                 | 2- Packet |
| • Eraser, Box of 20                                                                 | 1-Packet  |
| • Pencil Sharpener, plastic                                                         | 6-Pcs.    |
| • Pen, ball point, blue                                                             | 12 -Pcs.  |
| • Other Items                                                                       | To Need   |

नोट- उपरोक्त शिक्षण सामग्री मानक एवं गुणवत्ता पूर्ण लिया जाना सुनिश्चित करें। प्रचलित ब्राण्डेड सामग्री केमलिन, कोरस, एचबी एवं नटराज आदि की खरीदी जा सकती है।

### अन्य निर्देश-

- किशोरी मेले हेतु निर्देशित स्टेशनरी आदि सामग्री हेतु रू0 10,000 का प्रावधान इसी मद मे से किया जायेगा।
- बालिकाओं के वार्षिक/मासिक प्रोजेक्ट वर्क हेतु रुपये 8000.00 का उपयोग इस मद से किया जा सकेगा।
- विद्यालय के लिये आवश्यक टीएलएम इस मद से खरीदे जावे।

- आवश्यकता होने पर विज्ञान गणित किट, ग्लोब नक्शे, संदर्भ पुस्तके, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ई-लर्निंग सामग्री (पहाड़े, अंग्रेजी वाक्य रचना इत्यादि की सीडियां) आदि इस मद से खरीदे जा सकते हैं।
- उक्त मद में से केजीबीवी में कक्षा 6 से 12 की बालिकाओं हेतु लाईब्रेरी का विकास किया जाये।  
**नोट- उक्त मद की बचत राशि के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे। अतः अनावश्यक राशि व्यय न की जावे न ही आवश्यकता से अधिक सामग्री खरीदी जावे।**

#### 6.4. विशेष कौशल प्रशिक्षण

- केजीबीवी में स्किल प्रशिक्षण कक्षा 6 से 12 की समस्त बालिकाओं हेतु अनुमोदित हुआ है। जिसके लिए प्रतिबालिका रु. 1500/- प्रतिवर्ष दिये जा रहे हैं। अतः वर्तमान सत्र में एनआईओएस द्वारा संचालित दो कोर्स के अतिरिक्त एक और स्किल/सर्टिफाईड कोर्स जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि संचालन किया जा सकेगा। इस सत्र NIOS ने आवेदन ऑन लाईन प्रारम्भ कर दिये गये हैं।
  - यह सुनिश्चित किया जाये कि तीसरे कोर्स में केजीबीवी की समस्त बालिकाएं लाभान्वित हों। कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को भी उक्त कोर्स करवाया जा सकता है।
  - केजीबीवी में एनआईओएस के माध्यम से 30-30 बालिकाओं के चार (04) समूह बनाकर कटिंग टेलरिंग ड्रेस मेकिंग एवं ब्यूटीकल्चर का प्रशिक्षण आयोजित करवावे।
  - जिन केजीबीवी की बालिकाएं नोडल विद्यालय में नामांकित हैं उस छात्रावास अथवा विद्यालय में NIOS से प्रशिक्षण दिलाने के लिए केजीबीवी को AVI No. प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे। केजीबीवी में कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के कोर्स के लिए भी NIOS के साथ आवश्यक प्रक्रिया करके अपग्रेड करवाया जाना सुनिश्चित करें। जिले में ये प्रशिक्षण बालिकाओं को भावी जीवन में आत्म निर्भरता एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा के साथ-साथ विशेष कौशल प्रशिक्षण से छात्राओं में कौशल अभिवृद्धि होती है।
  - राज्य में वर्तमान में 200 में से 156 केजीबीवी को राष्ट्रीय खुला विद्यालयी संस्थान (NIOS) के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। सभी 156 केजीबीवी को AVI No. प्राप्त हो चुके हैं।
  - जिन केजीबीवी का एनआईओएस (NIOS) में रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें सितम्बर 2019 तक AVI No. प्राप्त करने की प्रक्रिया अन्य केजीबीवी की भांति अपनाई जाए। निर्देशित किया जाता है कि सत्र आरम्भ होते ही मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिन केजीबीवी को AVI No. प्राप्त वे इस सत्र में ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी हैं।
  - एनआईओएस में एवीआई के लिए आवेदन संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अथवा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा से प्रतिहस्ताक्षर करवाकर ही करें जिससे की आपका विद्यालय राजकीय विद्यालय के रूप में प्रमाणित माना जावे।
  - राज्य में संचालित टाईप-3 के कक्षा 6 से 8 के 09 केजीबीवी एवं कक्षा 9 से 12 के 109 केजीबीवी जहां छात्रावास सुविधा है और बालिकाएं नोडल विद्यालय में नामांकित हैं, को भी एनआईओएस से एवीआई के रूप में मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया अन्य केजीबीवी की भांति अपनाई जाए।
  - सभी जिला परियोजना समन्वयक (DPC) समग्र शिक्षा अभियान यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में कक्षा 6 से 12 के संचालित केजीबीवी टाईप-3, के सभी 109 ईकाईयां सत्र 2019-20 में एनआईओएस से एवीआई के रूप में मान्यता प्राप्त हों।
  - टाईप-1 एवं 3 के सभी 200 केजीबीवी में राष्ट्रीय खुला विद्यालयी संस्थान (NIOS) द्वारा बालिकाओं हेतु विशेष कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करवाये जायेंगे। उपरोक्त प्रशिक्षणों के लिये निम्न बिन्दुओं पर व्यय इस मद की राशि से किये जायेंगे:-
1. केजीबीवी मान्यता शुल्क:- एक बार (एन.आई.ओ.एस द्वारा मान्यता शुल्क समाप्त कर दी गई है)
  2. बालिकाओं का NIOS में पंजीकरण शुल्क :- प्रतिवर्ष
  3. प्रशिक्षक मानदेय :- प्रतिवर्ष
  4. परीक्षा शुल्क :- प्रतिवर्ष
  5. कच्ची सामग्री व्यय :- प्रतिवर्ष
  6. अन्य आवश्यक सामग्री

- भविष्य में मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (केजीबीवी), एनआईओएस का विशेष कौशल प्रशिक्षण से अप्रैल माह में बालिकाओं के प्रवेश तथा परीक्षा के आवेदन हेतु समस्त पत्राचार स्वयं के स्तर पर करेंगे।
- कटिंग टेलरिंग (ड्रेस मेकिंग)/ब्यूटी कल्चर/ग्राम सखी (कोई दो) के 6 माह के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रायः प्रतिवर्ष जुलाई से दिसम्बर तथा जनवरी से जून चरण के लिए ऑन लाईन फॉर्म भरे जाते हैं तथा परीक्षाएं अक्टूबर व अप्रैल माह में आयोजित होती हैं। अतः केजीबीवी स्वयं अपने स्तर से NIOS के क्षेत्रीय कार्यालय के सम्पर्क में रहें।
- विशेष कौशल प्रशिक्षण अन्तर्गत निर्मित सामग्री कम से कम दो सत्रों की रिकार्ड में उपलब्ध होनी चाहिये। निर्मित की जाने वाली सामग्री उपयोगी हो केवल प्रतिकात्मक सामग्री तैयार न की जावे।

**तालिका-21. वोकेशन कोर्स में अनुमानित व्यय**

| क्र. सं. | विवरण                                                                                        | प्रति समूह व्यय                      | 30 बालिकाएं X 2 समूह पर व्यय |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1        | प्रतिकोर्स विशेषज्ञ का मानदेय कुल 200/- X 100 दिन (2 घंटा प्रतिदिन प्रति कोर्स) कुल दो कोर्स | 200 X 100 = 20,000<br>2 X @ 20000.00 | 40,000                       |
| 2        | कच्चे सामान की व्यवस्था 200/- प्रति बालिका                                                   | 200 X 30 = 6000<br>2 X @ 6000.00     | 12,000                       |
| 3        | पंजीकरण + प्रोस्पेक्टस + परीक्षा शुल्क                                                       | 750 X 30 = 22500<br>2 X @ 22500.00   | 45,000                       |
|          | कुल राशि                                                                                     |                                      | 97,000                       |

नोट: एन.आई.ओ.एस में पंजीकरण राशि में वृद्धि होने पर तदनुसार शुल्क देय है।

- उपरोक्त विशेष कौशल प्रशिक्षणों के अतिरिक्त यदि कोई केजीबीवी स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत विशेष कौशल प्रशिक्षण करवाना चाहती है, तो उसका विस्तृत प्रस्ताव जिला परियोजना कार्यालय के माध्यम से परिषद कार्यालय को 15 सितम्बर 2019 से पूर्व भिजवाया जावे। इस तिथि के बाद विशेष कौशल प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं होगा।
- अवकाश वाले दिन विशेष कौशल प्रशिक्षण की कक्षा 2 घंटे से अधिक अवधि के लिए चलाई जाये ताकि निर्धारित अवधि में कोर्स पूरा किया जा सके। इस प्रकार के विशेष कौशल प्रशिक्षणों को प्राथमिकता दी जाए जिसको पूर्ण किये जाने पर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्र से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता हो।
- विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली प्रशिक्षिका को मानदेय का भुगतान Account payee चैक द्वारा ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में नकद भुगतान नहीं किया जावे।

**विशेष कौशल प्रशिक्षण कराये जाने हेतु निर्देश**

1. प्रशिक्षण के समय, प्रतिदिवस काल एवं दिवसों का निर्धारण वार्डन एवं SDMC/SMC/HMC की सहमति एवं दैनिक कार्य योजना के अनुसार सुनिश्चित करें।
2. प्रशिक्षण की अवधि दो घण्टा प्रतिदिवस होनी चाहिए।
3. व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्पन्न होने के उपरान्त बालिकाओं द्वारा तैयार की गई सामग्री की प्रदर्शनी लगावें, तथा इसके अवलोकन हेतु मीडिया, जनप्रतिनिधियों एवं अभिभावकों को आमंत्रित करें। प्रदर्शनी के कार्यक्रम में फोटोग्राफी, पोस्टर लगाने जनसमुदाय को सूचना देने एवं चाय आदि की व्यवस्था का व्यय 'विविध' मद से करें।
4. मानदेय पर जिस विषय का प्रशिक्षण चलाया जाता है। उस विषय में पारंगत महिला प्रशिक्षक को लगाया जाए। प्रशिक्षक का बॉयो-डाटा एवं योग्यता प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में रखा जावे। मानदेय भुगतान नियमानुसार बैंक खाते अथवा रेखांकित चैक के माध्यम से किया जावे।
5. कच्चा माल विषय से संबंधित होना चाहिए। सिलाई में- धागा, सूई, कपड़ा, चॉक, फीता, मशीन, ऑयल इत्यादि।

विशेष कौशल प्रशिक्षण हेतु संस्था अथवा विशेषज्ञों के चयन समिति

**तालिका 22.**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| सीबीईओ                   | अध्यक्ष |
| नोडल प्रिन्सिपल/पीईईओ    | सचिव    |
| केजीबीवी प्रधानाध्यापिका | सचिव    |

*lm*

**प्रशिक्षण स्थल :-** उक्त विशेष कौशल प्रशिक्षणों हेतु प्रशिक्षण स्थल केजीबीवी में होगा। प्रशिक्षण स्थल पर निम्न रजिस्टर अनिवार्य रूप से संधारित किये जाने हैं।

**विशेष कौशल प्रशिक्षण रजिस्टर:-** विशेष कौशल प्रशिक्षणों के रजिस्ट्रों का संधारण निम्न सारिणी के अनुसार कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार उपस्थिति एवं सामग्री (कच्चा एवं तैयार सामान) रजिस्टर संधारित किये जायेंगे।

**तालिका 23. प्रशिक्षक उपस्थिति रजिस्टर**

| क्र. सं. | प्रशिक्षक का नाम मय योग्यता | दिनांक माह |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|-----------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |                             | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|          |                             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**तालिका-24. छात्रा उपस्थिति रजिस्टर**

| क्र. सं. | छात्रा का नाम | पिता का नाम | कक्षा | दिनांक माह |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|---------------|-------------|-------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |               |             |       | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|          |               |             |       |            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**तालिका-25. स्टॉक रजिस्टर**

(इसमें प्रशिक्षण से संबंधित कच्चा माल एवं वस्तु की स्टॉक एन्ट्री की जायेगी)

| क्र. सं. | फर्म का नाम | बिल नं./ दिनांक | वस्तु जो क्रय की गई | मूल्य प्रति. | मात्रा जो खरीदी | विवरण | शेष | हस्ताक्षर प्रभारी | हस्ताक्षर एच.एम. |
|----------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-------|-----|-------------------|------------------|
|          |             |                 |                     |              |                 |       |     |                   |                  |

**तालिका-26. तैयार सामग्री रजिस्टर**

| क्र. सं. | तैयार सामग्री का नाम | मात्रा | प्रशिक्षक का हस्ताक्षर | निरीक्षण कर्ता की टिप्पणी | निरीक्षणकर्ता हस्ताक्षर |
|----------|----------------------|--------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|          |                      |        |                        |                           |                         |

जिन प्रशिक्षणों में सामग्री तैयार नहीं होगी उनमें प्रगति रजिस्टर संधारित किये जाये।

**विशेष कौशल प्रशिक्षण हेतु सूचनाओं का प्रेषण -**

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विशेष कौशल प्रशिक्षणों का आयोजन परिषद निर्देशानुसार करवाकर निम्न प्रपत्र में सूचना उपलब्ध करवाई जावे -

**तालिका-27. कौशल प्रशिक्षण की सूचना**

| क्र.सं. | केजीबीवी का नाम | प्रशिक्षण का नाम | प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि | लामान्वित बालिकाओं की सं० | प्रशिक्षण पर किया गया व्यय |
|---------|-----------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|         |                 |                  |                                 |                           |                            |

#### 6.5. बिजली एवं जल शुल्क

इस मद में वृद्धि कर प्रतिबालिका प्रतिवर्ष रू० 1800/- का प्रावधान किया गया है। अतः सत्रपर्यन्त तालिका-10 के अनुसार केजीबीवी टाईप-3 में बालिकाओं के नामांकन लक्ष्य के आधार पर अधिकतम बजट राशि 1.80, 2.70, 3.60 एवं 4.50 लाख प्रतिवर्ष प्रति केजीबीवी का प्रावधान किया गया है।

- केजीबीवी के दोनों भवनों में बिजली, पानी के बिलों के भुगतान इस मद से किये जाने हैं। यदि पानी की समस्या के कारण टैंकर मंगवाये जायें तो इस मद से व्यय किया जाये।
- यदि किसी केजीबीवी में व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है तो उसे घरेलू विद्युत कनेक्शन में परिवर्तित करवाना सुनिश्चित करें। इस हेतु जिले के सहायक अभियंता तथा संबंधित ब्लॉक के कनिष्ठ अभियंता द्वारा सहयोग किया जाना अपेक्षित है।

#### 6.6. चिकित्सीय सुविधाएं एवं आकस्मिक व्यय

- चिकित्सा एवं आकस्मिक मद में प्रतिबालिका, प्रतिवर्ष 1500/- रुपये प्रावधायित किये गये हैं। इसमें से बालिकाओं को चिकित्सा सुविधा, सेनेटरी नेपकिन तथा स्वास्थ्य जांच (मासिक तथा त्रैमासिक विस्तृत), पौधारोपण एवं किचन गार्डन एवं खेलों के मैदान तैयार करना आदि अन्य कार्य किये जाएंगे।

*Handwritten signature*

#### 6.6.1. चिकित्सा सुविधाएं

चिकित्सा सुविधा हेतु निम्नलिखित कार्य किये जायें -

- संस्था में प्रत्येक बालिका का प्रति माह स्वास्थ्य जाँच का स्वास्थ्य रजिस्टर संधारित किया जाए।
- प्रत्येक बालिका को मार्ग-दर्शिका के अनुसार स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाये जिसमें उससे संबंधित समस्त जानकारी दर्ज हो।
- प्रति माह स्वास्थ्य जाँच हेतु नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र से प्रशिक्षित डॉक्टर को केजीबीवी में बुलाकर स्वास्थ्य जाँच कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रति विजिट प्रति माह सभी बालिकाओं के लिए 750/- रु. का भुगतान यात्रा व्यय सहित किया जा सकेगा।
- स्वास्थ्य जाँच माह के प्रथम सप्ताह में किसी दिवस में कराया जाना सुनिश्चित करें।
- जहाँ तक संभव हो महिला चिकित्सक को ही प्राथमिकता से बुलाया जाए।
- प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर संबंधित विशेष बीमारी/स्वास्थ्य जागरूकता आदि पर डॉक्टर द्वारा चर्चा/परिचर्चा किया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु वार्ताकार को राज्य स्तर से आमंत्रित करने पर 500 रु0, जिला/ब्लॉक स्तर से आमंत्रित करने पर रुपये 400/- रुपये संबंधित विशेषज्ञ व्यक्ति को मानदेय दिया जाये।
- बालिकाओं के आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए किसी चिकित्सक/नर्स के द्वारा माहवारी/एवं माहवारी के दौरान आने वाली कठिनाईयों के बारे में जानकारी चर्चा/परिचर्चा के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित करें, विशेष ध्यान रखा जावे कि यह परिचर्चा वॉर्डन की उपस्थिति में किसी महिला के द्वारा ही की जाए।
- आवश्यकता होने पर बालिकाओं को बीमारियों के निदान हेतु नजदीकी जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/मान्य स्वास्थ्य केन्द्र पर लेकर जाएं।
- किशोरी बालिकाओं की हीमोग्लोबिन जांच, नेत्र जांच, लम्बाई, वजन एवं दांतों की जांच प्रति तिमाही यथा जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में अत्यावश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य रजिस्टर में अवश्य दर्ज की जावे। यह जाँच सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जाना सुनिश्चित हो।

#### 6.6.2. बालिकाओं का अन्तर्जिला भ्रमण

केजीबीवी में अन्तर्जिला भ्रमण के दौरान बालिकाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए समस्त सावधानी बरती जाये। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि भ्रमण में साथ जाने वाले स्टॉफ/अधिकारी के पास लिखित आदेश हो। भ्रमण में रात्रि विश्राम की व्यवस्था एवं बालिकाओं की सुरक्षा की पूर्व में समीक्षा की जाये।

- अन्तर्जिला भ्रमण हेतु प्रति बालिका रु0 400/- का प्रावधान है।
- जिले की समस्त केजीबीवी में दी गई समय सारणी के अनुसार नवम्बर माह में ही शैक्षिक भ्रमण अनिवार्यतः करवाया जाए, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट मय फोटोग्राफ, व्यय विवरण तथा बालिकाओं के हस्त लिखित अनुभव के साथ भ्रमण के 10 दिन के भीतर परिषद मुख्यालय पर भिजवाना सुनिश्चित करे।
- शैक्षिक भ्रमण में बालिकाओं को विज्ञान म्यूजियम, तारा मण्डल, ऐतिहासिक स्थल, शैक्षिक संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, बड़े औद्योगिक इकाईयों आदि का भ्रमण करवाया जाना अनिवार्य है। ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थलों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके इस हेतु पर्यटक स्थल पर पंजीकृत गाइड की सुविधा अवश्य ली जावे।
- अंतर्जिला भ्रमण में कम से कम एक रात्रि का विश्राम उस जिले में किया जाना अनिवार्य है। लेकिन बालिकाओं की सभी प्रकार की सुरक्षा सर्वोपरी हैं। रात्रि विश्राम हेतु व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। रात्रि विश्राम के लिए उक्त राशि में से व्यय किया जा सकता है।
- भ्रमण के दौरान खर्च राशि का समायोजन एक सप्ताह के अंदर कराएं।
- भ्रमण की तैयारी समय-समय पर प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों अनुसार की जाए।
- 30 नवम्बर 2018 के बाद भ्रमण कार्यक्रम नियोजित नहीं किया जाए।



## 6.7. भवन का रखरखाव

इस उपमद में प्रति बालिका प्रतिवर्ष रुपये 1000/- प्रावधायित किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करावाये जा सकेंगे -

- भवन के कक्षों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हेतु बल्ब/ट्यूब लगवाएं। झोरमेट्री में न्यूनतम 4 ट्यूब लाईट एवं 02 सीएफएल 20 वॉट वॉट हमेशा चालू स्थिति में होना आवश्यक है।
- रसोई एवं बाथरूम में नलों एवं ड्रेनेज लाइन की मरम्मत कराएं। नल टपकना, नल में पानी न आना वासबेसिन न होना अथवा खराब होना जैसी स्थिति नहीं पाई जावे।
- बिजली के उपकरणों यथा कम्प्यूटर, पंखों, टीवी, इन्वर्टर, कूलर, फ्रिज, वॉटर कूलर आदि हमेशा चालू स्थिति में होने चाहिए आवश्यकतानुसार तत्काल इनकी मरम्मत करवाई जानी अनिवार्य है।
- इस मद से गद्दे एवं रजाई की भराई-पिनाई, धागा, तिराई एवं कवर की धुलाई, रसोई में काम आने वाले उपकरण एवं बर्तन, पानी की टंकी की धुलाई एवं मरम्मत तथा इस मद से करवाई जा सकेंगी।
- सत्र 2019-20 से संलग्न 109 केजीबीवी की सूची वाले विद्यालयों पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, टाईप-3 लिखवाया जाना सुनिश्चित करें।
- अन्य मरम्मत कार्य करवाया जा सकता है जैसे -
  1. रंगाई/पुताई।
  2. खिड़की दरवाजों, कुर्सी की मरम्मत।
  3. सेनेटरी मरम्मत
  4. श्यामपट्ट रंग रोगन।
  5. छत, फर्श, दीवार की मरम्मत, कुर्सी मरम्मत (पिलिंथ प्रोटेक्शन) उपरी मंजिलों की बाउण्डरी आदि जिला परियोजना कार्यालय की स्वीकृति से सीविल अभियन्ता की देखरेख में करवाई जावे।
  6. बिस्तरों की धुलाई।
- शैक्षिक दीवार लेखन, (प्रत्येक बालिका), डस्टबिन, गमले - फूल वाले -10, आल आउट -15. बल्ब, ट्यूबलाईट।
- नोट 1 - ग्रीष्मावकाश, मध्यावधि अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान केजीबीवी भवन की मरम्मत एवं रखरखाव संबंधी समस्त आवश्यक कार्य पूरे कर लिये जायें। ताकि बालिकाओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ध्यान रखें कि उक्त मद से पूरे सत्र में केजीबीवी के रखरखाव संबंधी कार्य किया जाना है, अतः इस उपमद की राशि का व्यय सत्रपर्यन्त आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए किया जाये। विशेष आवश्यकता होने की दशा में भामाशाहों से सहयोग लिया जाये।
- नोट 2 - केजीबीवी आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं हेतु संचालित किये जा रहे हैं। केजीबीवी का भवन सिर्फ विद्यालय भवन परिसर नहीं बल्कि आवासीय घर भी है जिसमें बालिकाएं रहती भी हैं। केजीबीवी में उपलब्ध सुविधाएं बालिकाओं हेतु हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि केजीबीवी परिसर को केजीबीवी बालिकाओं के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति अथवा कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जायेगा। किसी भी विशेष प्रयोजन हेतु श्रीमान राज्य परियोजना निदेशक महोदय, समग्र शिक्षा, जयपुर के स्तर से लिखित अनुमति के बिना केजीबीवी परिसर एवं उसकी सुविधाओं का उपयोग जिला स्तर/ब्लॉक स्तर पर नहीं किये जावें अन्यथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जायेगी।
- केजीबीवी भवन में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम/ बैठक/ प्रशिक्षण/ भ्रमण/ समीक्षा/ विदाई/ स्वागत/अन्य प्रायोजन हेतु कार्यक्रम/गतिविधि आयोजित नहीं की जायेगी। अन्यथा इसे राजकीय संसाधनों का दुरुपयोग एवं बालिकाओं की सुरक्षा व सुविधाओं में हस्तक्षेप मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ग्रीष्म एवं शीत कालीन अवकाश में केजीबीवी के भवन को आवासीय प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लिये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएं सुनिश्चित की जायें।
  1. केजीबीवी भवनों का प्रयोग का आदेश परिषद कार्यालय से श्रीमान आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक महोदय, समग्र शिक्षा, जयपुर के लिखित आदेश पर ही प्रयोग में लिया जाये। जिला स्तरीय आदेश मान्य नहीं होगा।
  2. यदि एक भी छात्रा अवकाश के समय केजीबीवी में उपस्थित है/रह रही है, तो केजीबीवी में कोई भी प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जाये और न ही बालिका को किसी और स्थान/केजीबीवी में भेजा जाये/दबाव बनाया जाये।

3. केजीबीवी भवन के अतिरिक्त केजीबीवी की किसी भी सामग्री का उपयोग वर्जित है। बालिकाओं के बिस्तर, रसोईघर से सामग्री व बर्तन इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जावे।
  4. केजीबीवी भवन एवं टॉयलेट को गन्दा/ब्लॉक नही कर दिया जावे, इस हेतु शिविर संचालक प्रतिदिन छात्रावास में विजिट कर भवन एवं टॉयलेट के कियाशील होने की रिपोर्ट दर्ज करेगा। जिसका प्रिन्सिपल द्वारा व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया जाये।
  5. प्रिन्सिपल स्वयं विजिट कर सुनिश्चित करे कि प्रशिक्षण की समाप्ति से पूर्व –
    - भवन एवं टॉयलेट, साफ-सुथरे एवं बालिकाओं के उपयोग हेतु कियाशील हों।
    - प्रशिक्षण के दौरान उपयोग में ली गयी बिजली, जल के व्यय का पूर्ण भुगतान प्रशिक्षण मद से केजीबीवी को कर दिया गया हो।
    - केजीबीवी की किसी भी सामग्री, किचन की सामग्री एवं बालिकाओं हेतु उपलब्ध किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया हो।
    - डोरमेट्री एवं अन्य कमरे साफ-सुथरे हों और किसी भी प्रकार से गन्दे नहीं किये गये हों।
  6. छात्रावास में प्रतिदिन साफ-सफाई का कार्य प्रशिक्षण मद से करवाया जाये न कि केजीबीवी की सहायिका एवं चौकीदार से।
  7. टॉयलेट पिट के भरने की संभावना होने के दशा में और तत्काल कोई उपाय/राशि के आभाव में प्रधानाध्यापिका केजीबीवी को प्रशिक्षण हेतु देने से मना कर सकेगा।
- नोट—** प्रधानाध्यापिका यह सुनिश्चित करें कि केजीबीवी परिसर का किसी भी अन्य प्रयोजन से उपयोग किये जाने पर केजीबीवी के संचालन में व्यवधान नहीं हो- भवन के दुरुपयोग, भवन के मेन्टेन्स खराब होना, बालिकाओं के सुविधाओं में बाधा/कमी होना, टॉयलेट का ब्लॉक होना, बिजली-पानी का बिल बढ़ना, बालिकाओं एवं केजीबीवी हेतु खरीदी गयी सामग्री का अन्य द्वारा प्रयोग किया जाना, इत्यादि।

#### 6.8. विविध मद

इस उपमद में प्रति बालिका प्रतिवर्ष रुपये 1500/- प्रावधायित किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करावाये जा सकेंगे –

- किशोरी मेलो के आयोजन पर टेन्ट, माईक एवं साउण्ड सिस्टम पर होने वाले व्यय को इस मद में से व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।
- केजीबीवी हेतु समाचार पत्र मासिक बाल पत्रिकाएं, परिचय पत्र, डिस्प्ले बोर्ड-03, श्रृंखला-20, दीवार घड़ियाँ-10, बड़े साईज के दर्पण-6 इत्यादि का क्रय किया जा सकता है। (पूर्व में क्रय नहीं किए गए हैं अथवा अतिरिक्त की आवश्यकता है अथवा मरम्मत योग्य नहीं होने की स्थिति में)
- यदि किसी केजीबीवी इन्टरनेट हेतु डाटाकार्ड कार्य नहीं कर रहा है तो इस मद में से अधिकतम ₹ 2000/- का डाटा कार्ड खरीदा जा सकता है। इन्टरनेट एवं टेलीफोन के बिलों का भुगतान इस मद में से किया जावे।
- बाथरूम/शौचालय की सुविधा हेतु :- वाइपर, प्लास्टिक बाल्टी, प्लास्टिक मग, टायलेट ब्रश-तेजाब, फिनाइल, विम पाउडर, वॉशबेसन हेतु साबुन अथवा लिक्विड सोप आवश्यकतानुसार खरीदे जा सकते हैं। ऑवर हैड वाटर टैंक बाथरूम शौचालय हेतु न्यूनतम 3000 लीटर स्टोरज क्षमता होनी आवश्यक है। यदि स्टोरेज टैंक एवं उनके ढक्कन टूटे हुये हैं तो उन्हें इस मद राशि से बदलवाये जावे।
- खेलकूद सामग्री, यूनिफार्म इत्यादि का क्रय इस मद में से किया जायेगा।
- बालिकाओं के फोटो मय परिचय पत्र एवं बालिकाओं के माता-पिता/अभिभावकों के फोटोयुक्त परिचय पत्र।

##### 6.8.1. अन्य सुविधाएं /व्यवस्थाएं

- प्रत्येक के.जी.बी.वी. हॉस्टल में पौधारोपण एवं किचन गार्डन विकसित किया जावे तथा पौधों की सुरक्षा एवं पौधे क्रय करने का व्यय, किचन गार्डन हेतु बीज व गुड़ाई आदि का व्यय इस मद से 50 रुपये प्रति बालिका प्रतिवर्ष के अनुपात में व्यय किया जा सकेगा।
- छात्रावास में बालिकाओं को खेलकूद हेतु बॉलीबाल, खो-खो, बॉस्केटबाल आदि खेलों के मैदान तैयार करने का व्यय इस मद से 50 रुपये प्रति बालिका प्रतिवर्ष के अनुपात में व्यय किया जा सकेगा।

*lm*

- बालिकाओं को खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु किराया अथवा पोशाक आदि पर आवश्यकता की स्थिति में अधिकतम 10000.00 रुपये इस मद से व्यय किये जा सकेंगे।
- स्काउट गाइड हेतु चयनित 30-35 बालिकाओं को गाइड की सम्पूर्ण युनिफॉर्म Medical Care and contingency उपमद में से उपलब्ध करवाई जावे। जिन केजीबीवी के द्वारा गत वर्ष आवश्यक संख्या में गाइड युनिफॉर्म क्रय कर ली है। उनके द्वारा इस वर्ष गाइड युनिफॉर्म क्रय नहीं की जावे।
- किशोरी मेलों में भाग लेने वाले बालक-बालिकाओं एवं शिक्षिकाओं को वास्तविक किराया एवं संदर्भ व्यक्तियों का टीए/डीए पर अधिकतम रु. 20000.00 तक व्यय किया जा सकेगा।
- रसोई उपकरण एवं अन्य उपकरण :- मसाले रखने के स्टील के डिब्बे, बर्तन रखने के स्टील के टोकरे, भोजन बनाने व खाने के बर्तन, गैस चूल्हा, स्टील चलनी, पानी भरने के स्टील डोंगे, स्टील चाय चलनी, स्टील चाय भगोनी, कप, झाड़ू-मटके इत्यादि खरीदे जा सकते हैं।
- अन्य उपकरण:- मटकी स्टैण्ड, पायदान, कूलर स्टैण्ड, टीवी स्टैण्ड, उपकरणों (टीवी, फ्रिज, कम्प्यूटर) के कवर इत्यादि खरीदे जा सकते हैं। (यदि पूर्व में क्रय नहीं किए गए हैं अथवा अतिरिक्त की आवश्यकता है अथवा मरम्मत योग्य नहीं होने की स्थिति में)

### 6.9. तैयारी शिविर

तैयारी शिविर हेतु इस सत्र से कुल राशि 7000/- रुपये प्रति केजीबीवी प्रतिवर्ष कर दी गयी है। बालिकाओं, उनके अभिभावकों एवं समाज का उपरोक्त योजना के प्रति आमुखीकरण करने एवं पात्र बालिकाओं का केजीबीवी में प्रवेश करवाने हेतु दो दिवसीय गैर आवासीय शिविर मोटिवेशन कैम्प मई व जून माह में आयोजित किये जायेंगे। इसके पश्चात् भी आवश्यकता होने पर 15 जुलाई से पूर्व मोटिवेशन कैम्प निर्देशानुसार आयोजित किये जावे।

- मोटिवेशन कैम्प की जहाँ आवश्यकता हो वहीं लगाया जावे।
- मोटिवेशन कैम्प से पूर्व इसकी योजना बना पूरी तैयारी की जाये। यथा सीबीईओ के माध्यम से समस्त पंचायतों से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूची प्राप्त करना और सीटीएस सर्वे के आंकड़ों का विश्लेषण करना, संबंधित पंचायत के प्रधानाध्यापक से सम्पर्क कर गाँव में सूचना करवाना, इत्यादि।
- इस वर्ष मोटिवेशन कैम्पों का आयोजन ब्लॉक स्तर पर नहीं किया जायेगा। ब्लॉक की सर्वाधिक आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं वाले ग्राम पंचायत के किसी भी स्थान का चयन कर मोटिवेशन कैम्प का आयोजन किया जायेगा।
- प्रति ब्लॉक के लिये प्राप्त राशि का उपयोग ब्लॉक में चिन्हित ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुरूप से व्यय किया जा सकता है। इस हेतु व्यय का विवरण निम्नानुसार है-
  - अधिकतम रुपये 3000.00 प्रति ग्राम पंचायत व्यय किया जा सकता है। इस प्रकार अधिकतम 2-3 ग्राम पंचायतों में मोटिवेशन कैम्प आयोजित किये जा सकेंगे।
  - एक ग्राम पंचायत पर मोटिवेशन कैम्प हेतु आवंटित बजट राशि रुपये 3000.00 निम्न मदों पर व्यय किये जा सकेंगे- चाय-नाश्ता, साउंड सिस्टम, वाहन किराया/सहमत अभिभावकों को केजीबीवी का यात्रा भत्ता।
- नोट 1 - मोटिवेशन कैम्प में बचत राशि का उपयोग किशोरी मेलों (स्टेशनरी, प्रोत्साहन पुरस्कार, फोटोग्राफी, दस्तावेजीकरण एवं संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय) में किया जायेगा।
- नोट 2 - यदि केजीबीवी में मोटिवेशन कैम्प लगाये बिना ही पात्र बालिकाओं का नामांकन पूर्ण हो जाता है तो अनावश्यक मोटिवेशन कैम्प नहीं लगाये जावे एवं उक्त मद में बचत राशि का उपयोग परिषद के निर्देशानुसार ही किया जावे।
- सूचनाओं का प्रेषण- केजीबीवी में नव प्रवेशी बालिकाओं की सूचना परिपत्र में पूर्व में दी गयी तालिकानुसार भेजा जाना सुनिश्चित करें।

### 6.10. पीटीए एवं विद्यालय कार्यक्रम

इस उपमद से दो प्रकार की गतिविधियाँ की जायेंगी।

1. अभिभावक शिक्षक बैठक
2. खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं

#### 6.10.1 अभिभावक - शिक्षक बैठक (PTA)

अभिभावकों के साथ शिक्षकों की बैठक को अभिभावक शिक्षक बैठक (Parent Teacher Meeting) कहते हैं।

62

- एक केजीबीबी में यह बैठक वर्ष में तीन बार आयोजित की जाए। प्रथम बैठक अगस्त (प्रथम परख परीक्षा के बाद) दिसम्बर (अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद) एवं फरवरी (वार्षिक परीक्षा से पूर्व) बुलाई जानी चाहिए।
- उपरोक्त बैठक एक दिवसीय होगी। इसके निम्न उद्देश्य होने चाहिए।

**उद्देश्य :**

- केजीबीबी की अवधारण समझाना एवं आपसी समझ पैदा करना
- बालिकाओं को दी जाने वाली सुविधाओं को अभिभावकों को बताना
- छात्राओं की शैक्षिक स्थिति के बारे में अभिभावकों को बताना एवं समस्याओं पर चर्चा
- बालिकाओं के अभिभावकों को शैक्षिक उपलब्धि से अवगत करवाना, प्रगति पत्रों का वितरण
- सह शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावकों की सहभागिता / जन सहभागिता
- कक्षा 8 उत्तीर्ण, कक्षा 10 उत्तीर्ण बालिकाओं की शिक्षा जारी रखने हेतु अभिमुखीकरण करना
- कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाओं की शिक्षा को जारी रखने एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु जानकारी देना
- स्नेह मिलन-बालिकाओं की निरन्तर उपस्थिति हेतु आग्रह
- पारदर्शिता-केजीबीबी के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की जानकारी अभिभावकों को देना
- प्रचार-प्रसार
- फरवरी की बैठक में बालिकाओं को कक्षा 8 पास करने के पश्चात आगामी शिक्षण व्यवस्था हेतु काउन्सिलिंग की जाए। व्यावसायिक प्रशिक्षणों एवं स्वरोजगार हेतु जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- बालिकाओं की रूचि के अनुसार खेलकूद, साहित्यिक गतिविधियां, शैक्षिक गतिविधियां आदि में तरक्की करने हेतु विशेष कोच की व्यवस्था करने पर विचार किया जाए।
- इन बैठकों में खुलकर विचारों का आदान-प्रदान किया जाए।
- **नोट- प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर एवं रा.स्कूल.शि.प जयपुर के सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ द्वारा पीटीए पर समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।**

#### **6.10.2. खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ**

बालिकाओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास, आत्म-विश्वास एवं उत्साहवर्धन हेतु खेलकूद को बढ़ावा देना विद्यालय वातावरण का एक अभिन्न अंग है- इस हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 की बालिकाओं को खेलों की जानकारी देना एवं सम्बलन प्रदान करना। विशेष - केजीबीबी की छात्राओं को केजीबीबी टूर्नामेंट तक सीमित नहीं रखा जाये। समस्त केजीबीबी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा सितम्बर-अक्टूबर माह में आयोज्य खेलकूद प्रतियोगिताओं में बालिकाओं के प्रतिभाग करवाया जाना सुनिश्चित करें। बालिकाओं की तैयारी हेतु अंशकालीन शारीरिक शिक्षिका को भी सीबीईओ के माध्यम से लगाया जाये।

केजीबीबी की अधिकतम बालिकाओं को खेलकूद में प्रतिभाग करने का अवसर मिले, उनमें आत्मविश्वास, शारीरिक व मानसिक विकास सहित मूलभूत जीवन कौशलों का भी विकास हो, इस हेतु केजीबीबी के लिए पृथक से टूर्नामेंट का आयोजन किया जाये। जिसमें कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएँ उनके आयु वर्ग के आधार पर भाग ले सकेंगी। जिस हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:-

- खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन शिविरा क्लैण्डर के अनुसार विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त पृथक रूप से सम्पन्न किया जायेगा। खेलकूद प्रतियोगिताएँ विद्यालय स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर एवं राज्यस्तर पर आयोजित की जायेंगी।
- खेलों के अतिरिक्त बालिकाओं के क्रियात्मक रुझान के अनुसार निबन्ध, सुलेख, गायन, नृत्य, कविता, प्रश्नोत्तरी, भाषा चित्रकला हस्तकला कशीदाकारी, सिलाई इत्यादि को भी प्रतियोगिता में गतिविधि के रूप में शामिल किया जा सकता है।
- खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली बालिकाओं के आने-जाने का किराया एवं भोजन व्यवस्था का व्यय केजीबीबी विद्यालय की इस मद से किया जायेगा। खेलकूद प्रतियोगिताएँ निम्न स्तर पर आयोजित होंगी:-

1. जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु - केजीबीबी के जिला स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ निर्देशित तिथियों पर आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें। गतिविधि पश्चात् प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ्स, सीडी आदि आयोजन के पश्चात् 10 दिवस के भीतर जिला एवं परिषद कार्यालय पहुँचाना सुनिश्चित करावें।

bm

2. **संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु** – केजीबीवी की संभाग स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं निर्देशित तिथियों पर आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें। मेजबान जिले को उसके संभाग के समस्त जिले उनके जिले में स्थित समस्त केजीबीवी की नामांकन क्षमतनुसार राशि चैक/डीडी द्वारा भेजना सुनिश्चित करेंगे। मेजबान जिला अपने संभाग की समस्त जिलों को प्रतियोगिता में आयोजित की जाने वाली खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रेषित कर उक्त प्रतियोगिताओं का आयोजन सम्पन्न करावें। गतिविधि पश्चात् प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ्स, सीडी आदि आयोजन के पश्चात् 10 दिवस के भीतर परिषद कार्यालय पहुँचाना सुनिश्चित करावें।
2. **राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु** – केजीबीवी की राज्य स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं निर्देशित तिथियों पर आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें। मेजबान जिले को राज्य के समस्त जिले उनके जिले में स्थित समस्त केजीबीवी की नामांकन क्षमतानुसार राशि चैक/डीडी द्वारा भेजना सुनिश्चित करेंगे। मेजबान जिला अपने राज्य के समस्त जिलों को प्रतियोगिता में आयोजित की जाने वाली खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रेषित कर उक्त प्रतियोगिताओं का आयोजन सम्पन्न करावें। गतिविधि पश्चात् प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ्स, सीडी आदि आयोजन के पश्चात् 10 दिवस के भीतर परिषद कार्यालय पहुँचाना सुनिश्चित करावें।

■ **खेलकूद प्रतियोगिता :-** निम्न समय चक्रानुसार आयोजित की जाएं :

- 1 जिला स्तर पर – 22-24 सितम्बर 2019
- 2 संभाग स्तर पर – 14-16 अक्टूबर 2019
- 3 राज्य स्तर पर – 18-20 नवम्बर 2019

**इस मद की राशि का व्यय निम्नानुसार किया जायेगा –**

**तालिका 28 : खेलकूद प्रतियोगिताओं की व्यवस्था पर व्यय**

| क्र.सं.  | गतिविधियों के नाम                                                                                                          | व्यय                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | शिक्षक अभिभावक बैठक वर्ष में (तीन बैठकें- चाय-नाश्ता, नियमानुसार वास्तविक बस किराया इत्यादि)                               | प्रति बालिका ₹0 40/-           |
| 2        | जिले पर आयोजित प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक केजीबीवी द्वारा जमा की जाने वाली राशि (भोजन, आवास, पुरस्कार, बैनर इत्यादि हेतु) | प्रति बालिका ₹0 45/-           |
| 3        | संभाग पर आयोजित प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक केजीबीवी द्वारा सम्बन्धित जिले को दी जानी वाली राशि।                           | प्रति बालिका ₹0 35/-           |
| 4        | राज्य पर आयोजित प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक केजीबीवी द्वारा सम्बन्धित जिले को दी जानी वाली राशि।                           | प्रति बालिका ₹0 30/-           |
| 5        | नियमानुसार वास्तविक यात्रा – भाड़ा एवं विविध व्यय                                                                          | प्रति बालिका ₹0 50/-           |
| कुल राशि |                                                                                                                            | कुल राशि ₹0 200/- प्रति बालिका |

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में निम्नलिखित खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी।  
अतः जिला एवं संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं निम्नांकित श्रेणियों के अनुसार आयोजित करवावें –

**(क) खेलकूद प्रतियोगिता –**

**तालिका-29**

| क्र.सं. | मुख्य खेल                               | क्र.सं. | एथलेटिक्स             |
|---------|-----------------------------------------|---------|-----------------------|
| 1       | खो-खो।                                  | 1       | 100 मीटर दौड़।        |
| 2       | कबड्डी                                  | 2       | 200 मीटर दौड़।        |
| 3       | वॉलीबाल।                                | 3       | 4X100 मीटर रिले दौड़। |
| 4       | जुडो 23, 27, 32, 36, 40, 44 किग्रा वर्ग | 4       | 4X200 मीटर रिले दौड़। |
| 5       | बेडमिंटन                                | 5       | उंची कूद।             |
| 6       | धीमी साइकिल दौड़                        | 6       | लंबी कूद।             |
| 7       | तेज साइकिल दौड़                         | 7       | गोला फेंक।            |
|         | ✓                                       | 8       | डिस्कस थ्रो।          |
|         |                                         | 9       | भाला फेंक।            |

(ख) सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं -

तालिका-30

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. गायन (लोकगीत/देश भक्ति (फिल्मी नहीं)) | 2. नृत्य (लोकगीत/देश भक्ति (फिल्मी नहीं)) |
| 1.1. एकल                                 | 2.1. एकल नृत्य                            |
| 1.2. सामूहिक गायन                        | 2.2. सामूहिक नृत्य                        |
| 3. फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता              | 4. एकल अभिनय                              |
| 5. नाटक                                  | 6. कविता पाठ                              |

नोट :-

- उपरोक्त में से कोई भी प्रतियोगिता कम से कम 3 टीम/प्रतिभागी होने पर ही आयोजित की जायेगी।
- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को पुरस्कृत किया जायेगा। जिले से मुख्य खेलों में मिश्रित दल ही भाग लेंगे एवं एकल प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त दल/प्रतिभागी संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।
- संभाग स्तर पर एकल प्रतियोगिताओं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीमों/प्रतिभागी राज्य स्तर प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे तथा संभाग स्तर समूह/टीम प्रतियोगिताओं में मिश्रित टीमों/प्रतिभागी ही राज्य स्तर प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे।
- रेफरी/निर्णायक आयोजित प्रतियोगिता के मैच विशेषों में भाग लेने वाली टीमों से संबंधित नहीं होने चाहिए।

निर्देश - संभागी प्रतियोगिता स्थल पर निम्नानुसार तैयारी/सूचना के साथ उपस्थित हों -

- प्रत्येक संभागी का आयोजक जिले द्वारा उपलब्ध करवाये गये प्रारूप में "योग्यता प्रमाण पत्र" की दो प्रतियों में पंजीयन के समय ही संभाग स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने वाले जिले के एपीसी के द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजक जिले को जमा करवाया जाएगा, अन्यथा उस दल/प्रतिभागी को प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा।
- एक प्रतियोगी अधिकतम दो मुख्य खेल एवं तीन फिल्ड व ट्रेक प्रतियोगिता में ही भाग ले सकेगा।
- निम्नांकित प्रारूप (तालिका) में संभाग वार विवरण समेकित रूप से तैयार कर निर्धारित तिथि तक आयोजक जिले को ई-मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करे एवं एक प्रति योग्यता प्रमाण पत्रों के साथ एक फाईल में पंजीयन के समय प्रस्तुत करें।

तालिका : संभागवार प्रतिभागियों की सूची एवं रजिस्ट्रेशन

तालिका-31

| संभाग का नाम ..... |               |             |           |       |          |      |                  |                 |                               |
|--------------------|---------------|-------------|-----------|-------|----------|------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| क्र.सं.            | बालिका का नाम | पिता का नाम | जन्म तिथि | कक्षा | केजीबीवी | जिला | मुख्य खेल का नाम | फिल्ड एवं ट्रेक | सांस्कृतिक प्रतियोगिता का नाम |
|                    |               |             |           |       |          |      |                  |                 |                               |

- चूंकि जिला व संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में अलग-अलग केजीबीवी के दल विजेता रहे होंगे अथवा मिश्रित दल बने होंगे। अतः संभाग व राज्य स्तर की उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बालिकाओं के साथ प्रत्येक जिले से एक प्रभारी (20 बालिकाओं पर एक) ही उपस्थित होगा।
- संभाग स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करवाने वाले जिले द्वारा राज्य स्तर पर संभाग का 4X6-2X3 Feet का ध्वज साथ लाना अनिवार्य होगा जिसका उपयोग उद्घाटन एवं समापन समारोह में किया जा सकेगा।
- पंजीयन एवं आवास की व्यवस्था संभागवार होगी। अतः संभाग स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करवाने वाला जिला सम्बन्धित अन्य जिलों के साथ समन्वय कर साथ-साथ पहुँचने की योजना बनाए।
- संभागियों हेतु बिस्तर, आवास, अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था आयोजक जिले द्वारा की जा रही है। फिर भी सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक बालिका एक बेडशीट एवं सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारी के साथ आवें।
- बालिकाओं के यात्रा पर होने वाला व्यय तथा यात्रा अवधि में (5 घण्टे से अधिक अवधि हेतु) रु. 40/- प्रति व्यक्ति एक तरफा भोजन/चाय नाश्ता आदि हेतु देय होगा। यह व्यय सम्बन्धित जिलों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

- जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के लिये परियोजना द्वारा प्रावधित राशि ही उपलब्ध कराई जायेगी। प्रतियोगिता आयोजन पर अधिक व्यय होने की स्थिति में आयोजक जिले द्वारा जनसहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- परिषद के निर्देशानुसार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों एवं प्रभारियों का यात्रा एवं दैनिक भत्ते का भुगतान सम्बन्धित जिले द्वारा ही किया जायेगा।
- समस्त संभागी प्रतियोगिता से एक दिवस पूर्व सायं 4.00 बजे तक आवास स्थल पर पहुँचना सुनिश्चित करें। इसी दिवस सायं 6.00 बजे बैठक आयोजित कर प्रतियोगिता आयोजन के निर्देश, ड्राइंग संबंधी कार्यवाही की जायेगी

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में निम्नलिखित प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएगी।

(अ) खेलकूद प्रतियोगिता -

तालिका-32

| खेल / प्रतियोगिता | प्रतियोगिता का नाम | प्रतियोगी | अतिरिक्त प्रतियोगी | कुल प्रतियोगी | निर्देश                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुख्य खेल         | कबड्डी             | 7         | 2                  | 9             | संभाग/राज्य स्तर पर मिश्रित दल ही भाग लेगा                                                                                                 |
|                   | खो-खो              | 9         | 3                  | 12            |                                                                                                                                            |
|                   | बेडमिन्टन          | 2         | 2                  | 4             |                                                                                                                                            |
|                   | वालीबॉल            | 6         | 2                  | 8             |                                                                                                                                            |
|                   | जूडो               | 2         | 2                  | 4             |                                                                                                                                            |
|                   | साईकिल (तेज)       | 1 + 1     | 0                  | 2             | संभाग/राज्य स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतियोगी ही भाग लेगा                                                                  |
|                   | साईकिल (धीमी)      | 1 + 1     | 0                  | 2             |                                                                                                                                            |
| ट्रेक एवं फ़िल्ड  | 100 मीटर दौड़      | 1 + 1     | 0                  | 2             | संभाग/राज्य स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतियोगी ही भाग लेगा                                                                  |
|                   | 200 मीटर दौड़      | 1 + 1     | 0                  | 2             |                                                                                                                                            |
|                   | उंचीकूद            | 1 + 1     | 0                  | 2             |                                                                                                                                            |
|                   | लम्बीकूद           | 1 + 1     | 0                  | 2             |                                                                                                                                            |
|                   | भालाफेंक           | 1 + 1     | 0                  | 2             |                                                                                                                                            |
|                   | गोलाफेंक           | 1 + 1     | 0                  | 2             |                                                                                                                                            |
|                   | तत्तरी फेंक        | 1 + 1     | 0                  | 2             |                                                                                                                                            |
|                   | 4 X 100 रिले दौड़  | 4         | 0                  | 4             | संभाग/राज्य स्तर पर मिश्रित दल ही भाग लेगा                                                                                                 |
|                   | 4 X 200 रिले दौड़  | 4         | 0                  | 4             |                                                                                                                                            |
| सामान्य खेल       | रस्साकस्ती         | 10        | 0                  | 10            | रस्साकस्ती के लिए अलग से टीम लेकर नहीं आवें, इसके लिए 10 बालिकाओं की टीम का गठन अन्य खेलों के लिए आने वाली बालिकाओं में से ही किया जायेगा। |

(ब) सांस्कृतिक प्रतियोगिता -

तालिका-33

| खेल / प्रतियोगिता                      | प्रतियोगिता का नाम | प्रतियोगी | अतिरिक्त प्रतियोगी | कुल प्रतियोगी | निर्देश                                                                   | अधिकतम समयावधि |
|----------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| लोकगीत अथवा देशभक्ति गायन (गैर फिल्मी) | एकल                | 1 + 1     | 0                  | 2             | संभाग/राज्य स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतियोगी ही भाग लेगा | 3 मिनट         |
|                                        | सामूहिक            | 7         | 0                  | 7             | संभाग/राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त दल ही भाग लेगा                    | 3 मिनट         |
| लोकगीत अथवा देशभक्ति गीत पर नृत्य      | एकल                | 1 + 1     | 0                  | 2             | संभाग/राज्य स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतियोगी ही भाग लेगा | 5 मिनट         |
|                                        | सामूहिक            | 7         | 0                  | 7             | संभाग/राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त दल ही भाग लेगा                    | 7 मिनट         |

सांस्कृतिक प्रतियोगिता हेतु निर्देश -

1. नृत्य हेतु गीत की सी.डी. / कॅसेट/पेनड्राइव प्रतियोगी को स्वयं लाना होगा।
2. कोई भी प्रस्तुति किसी भी धर्म, जाति, प्रान्त या व्यक्ति की भावनाओं को आहत करने वाली नहीं हो, गीत/नृत्य के बोल व हाव भाव मर्यादित हो, अन्यथा उसे प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
3. प्रतियोगिता हेतु निर्धारित समय एवं क्रम के अनुसार प्रतियोगिता स्थल पर संभागी उपस्थित रहे। समय पर उपस्थित नहीं होने पर प्रतियोगिता से अनुपस्थित मान लिया जायेगा।
4. मान लिया जायेगा।

### 6.11. क्षमता अभिवर्द्धन (10000/-प्रतिवर्ष प्रति केजीबीवी)

इस उपमद में से निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किए जायेंगे -

1. प्रधानाध्यापिका, वॉर्डन, शिक्षिका एवं छात्रावास स्टाफ का प्रशिक्षण।
2. स्काउट गाइड
3. किशोरी मेले

#### 6.11.1. शिक्षक-प्रशिक्षण (केजीबीवी स्टाफ हेतु)

उपरोक्त मद की राशि से केजीबीवी की शिक्षिका एवं छात्रावास स्टाफ के क्षमता अभिवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। जिसके विस्तृत निर्देश परिषद कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

केजीबीवी की शिक्षिकाओं की क्षमता अभिवृद्धि हेतु समय-समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित कराए जाते हैं। जिससे शिक्षिकाओं में कन्डेन्स कोर्स शिक्षण दक्षता, Attitudinal, जीवन कौशल, विद्यालय प्रबन्धन एवं विषय वस्तु आधारित सम्बलन प्रदान किया जा सके। उक्त मद में ही प्रधानाध्यापिका, वॉर्डन, शिक्षिका एवं छात्रावास स्टाफ के संबंधी क्षमता अभिवर्द्धन प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। इन प्रशिक्षणों में शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है।

क्षमता अभिवर्द्धन प्रशिक्षणों में भाग लेने वाले संभागियों का यात्रा व्यय एवं दैनिक भत्ता बिलों को नियमानुसार ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के लेखाकार से जांच कराने के उपरान्त उसी माह में कैपेसिटी बिल्डिंग उपमद से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी कार्मिक का प्रशिक्षण में भाग लेने के व्यय लंबित न रहें।

#### 6.11.2. स्काउट एवं गाइड

- प्रशिक्षित शिक्षिकाएँ स्कूल में केजीबीवी की कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के लिए गाइड ग्रुप का एवं कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं के लिए बुलबुल ग्रुप का पंजीकरण अनिवार्यतः करवायेंगे। तत्पश्चात् विद्यालय में गाइड गतिविधिया प्रारम्भ करेंगी। प्रशिक्षण में दिये गये निर्देशानुसार सप्ताह में दो दिन (मंगलवार अनिवार्य) ग्रुप मिटिंग करवायें।
- संबंधित स्थानीय संघ सचिव (एल.ए.) से सम्पर्क कर स्थानीय संघ की गतिविधियों की कार्ययोजना से अवगत होकर गतिविधियों में गाईड की सहभागिता करावें। केजीबीवी की प्रत्येक गतिविधियों एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इन बालिकाओं की भूमिका सुनिश्चित की जावें।
- स्थानीय संघ स्तरीय बैठकों में भाग लेकर संघ की गतिविधियों में सहभागिता निभायें। प्रभारी कमिश्नर से भी सम्पर्क रखें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के सी.ओ. साहब से भी दूरभाष द्वारा सम्पर्क बनाये रखें।
- सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा यह सुनिश्चित करेंगे कि यह गतिविधि सत्र 2016-17 में पुनः आरंभ की गयी, इस सत्र 2019-20 में भी समस्त 200 केजीबीवी में संचालित रहे।
- समस्त केजीबीवी का स्काउट गाइड हेतु पंजीयन, गाइडर शिक्षिका का प्रशिक्षण, एल.ए. स्तर के प्रशिक्षण आदि पर होने वाला व्यय इस मद में से किया जाएगा।

#### 6.11.3. किशोरी अकादमिक मेला

सत्र 2019-20 में किशोरी अकादमिक मेलो का आयोजन समस्त केजीबीवी में करवाया जायेगा। किशोरी मेले में संदर्भ व्यक्तियों के मानदेय, यात्रा, आवास, भोजन आदि का भुगतान हेतु अधिकतम रु0 5000/- तक इस मद में से व्यय किया जा सकेगा। किशोरी मेले 21-31 जनवरी 2020 में प्रस्तावित है। किशोरी मेले के आयोजन हेतु गत सत्र में भेजे गये दिशा-निर्देश के अनुसार करवाया जाये।

#### 6.12. शारीरिक शिक्षा एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सत्र 2014-15 से सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों एवं शारीरिक शिक्षा पर प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस सत्र में भी कुल 10,000/-रुपये प्रतिवर्ष प्रति केजीबीवी के लिए प्रावधान किया है।
- गत सत्र तक प्रति केजीबीवी एक शारीरिक/अन्य शिक्षिका आत्मरक्षा तकनीकों पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस सत्र में भी प्रशिक्षित शिक्षिकाओं का सहयोग लेते हुए जिले स्तर पर रणनीति बनाकर सभी केजीबीवी में आत्मरक्षा तकनीकों पर सभी बालिकाओं का प्रशिक्षित करवाया जाए।

- कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं का प्रशिक्षण उनके नामांकन वाले विद्यालय में करवाया जाना अनिवार्य हैं ही लेकिन अन्य बालिकाओं के साथ भी इनका प्रशिक्षण हो सके यह सुनिश्चित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जावे। यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है।
- प्रत्येक केजीबीवी में बालिकाओं को 14 दिवस का आत्मरक्षा प्रशिक्षण दो चरणों में दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण के दौरान केजीबीवी में कार्यरत शिक्षिकाएं भी बालिकाओं के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। जिससे बाद में आत्मरक्षा तकनीकों पर अभ्यास अनवरत रखा जा सके। प्रथम चरण में दक्ष प्रशिक्षिका जिन केजीबीवी में शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण देगी। द्वितीय चरण में भी उन्हें उसी केजीबीवी में प्रशिक्षण देना होगा। केजीबीवी में आत्मरक्षा प्रशिक्षण आवासीय रहकर दिया जायेगा एवं प्रशिक्षण को प्रातःकालीन एवं सायं कालीन सत्रों में न्यूनतम प्रति सत्र 02.00 घण्टे नियोजित किया जाएगा। बालिकाओं का समूह छोटा बनाया जाये जिससे कि सभी बालिकाओं को समान ध्यान एवं प्रशिक्षण प्राप्त हो।
- सभी दक्ष प्रशिक्षकों की जिला परियोजना कार्यालयों पर एक दिवसीय बैठक रख कर जिला इन्हें स्तर से केजीबीवी का आवंटन किया जाएगा। दक्ष प्रशिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षणों के नियमानुसार रुपये 400/- प्रतिदिन मानदेय एवं यात्रा/दैनिक भत्ता देय होगा। जो प्रत्येक चरण की समाप्ति के पश्चात दक्ष प्रशिक्षक द्वारा केजीबीवी के स्तर पर बिल प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित दक्ष प्रशिक्षक के बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। नकद भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रशिक्षक की उपस्थिति संस्थाप्रधान के माध्यम से नोडल प्रधानाचार्य द्वारा वेरिफाई की जायेगी।

#### 6.13. सैलेरी

- केजीबीवी में कार्य करने वाले समस्त स्टाफ यथा वॉर्डन-कम-अध्यापिका, अध्यापिकाओं, अंशकालिक अध्यापिकाओं एवं अन्य कार्मिकों को वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा तय मानदण्डों के अनुरूप सैलेरी मद से किया जायेगा।
- इस मद का उपयोग जिला स्तर पर किया जाएगा। केजीबीवी में प्रतिनियुक्त राजकीय शिक्षिकाओं का वेतन जिला स्तर से ही देय होगा।
- प्लेसमेंट एजेंसी स्टाफ के मानदेय का भुगतान प्राथमिकता से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक किया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रमाणित उपस्थिति प्लेसमेंट एजेंसी को प्रत्येक माह की 1 तारीख तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
- प्लेसमेंट एजेंसी को पाबन्द करें कि वह भुगतान संबंधी बिल प्रत्येक माह की 3 तारीख तक प्रस्तुत करें तथा जिला कार्यालय से प्राप्त होने के अगले दिन संबंधित कार्मिकों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जानी सुनिश्चित करें। सैलेरी मद में बजट की उपलब्धता के मध्यनजर प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिकों का मानदेय भुगतान अन्य की तुलना में प्राथमिकता से किया जावे।
- नकद अथवा चैक द्वारा मानदेय भुगतान नहीं किया जावे।
- प्रतिनियुक्ति नीति के बाद प्रतिनियुक्ति पर केजीबीवी में कार्यरत राजकीय सेवा की शिक्षिकाओं को आवासीय सेवायें देने पर हार्ड ड्यूटी भत्ता नोडल पीईईओ द्वारा शिक्षिकाओं के आवासीय रहने के प्रमाणीकरण एवं सीबीईओ के प्रति हस्ताक्षर के प्रमाणीकरण के आधार पर ही देय होगा। आवासीयता का प्रमाण पत्र प्रतिमाह बिल के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में हार्ड ड्यूटी भत्ता देय नहीं होगा एवं सेवायें संतोषप्रद नहीं मानी जावेंगी।
- अंशकालीन शिक्षिकाओं को उनके खाते में मानदेय भुगतान जिला परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा। शिक्षिकाओं की उपस्थिति का प्रमाणीकरण प्रधानाध्यापिका द्वारा किया जाकर प्रति हस्ताक्षर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये जायेंगे।

**6.14. समसा अन्तर्गत अनुदान राशि :** कम्पोजिट ग्रांट के अन्तर्गत प्राप्त राशि का व्यय औपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के जारी निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

#### 7. स्टॉफ संबंधी प्रावधान एवं प्रबंधन

केजीबीवी में समस्त स्टॉफ महिला ही होगी, केवल चौकीदार को छोड़कर। यदि चौकीदार महिला उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में महिला चौकीदार को ही प्राथमिकता दी जाये।



तालिका-34

| केजीबीवी आवासीय विद्यालय<br>School cum Hostel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | केजीबीवी छात्रावास<br>Only Hostels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कक्षा 6 से 8 के परिसर में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कक्षा 8 से 8 के परिसर में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>पद- पूर्णकालिक (राजकीय) शिक्षिकाएं - कुल 5</p> <p>(1) प्रधानाध्यापिका-1 (ग्रेड-II अथवा वरिष्ठ राजकीय शिक्षिका)</p> <p>(2) शिक्षिका एवं वार्डन-1</p> <p>(3) शिक्षिका एवं सहवार्डन-1</p> <p>(4) अन्य शिक्षिकाएं-2</p> <p>चयन- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के स्तर से डेप्यूटेशन पॉलिसी के अन्तर्गत विज्ञप्ति द्वारा।</p> <p>पात्रता - राजकीय शिक्षिका-5</p> <p>(द्वितीय श्रेणी/तृतीय श्रेणी अध्यापिका लेवल- 2 के 4 पद विज्ञान/गणित, अंग्रेजी, हिन्दी/संस्कृत एवं सामाजिक ज्ञान)</p> <p>एवं</p> <p>(तृतीय श्रेणी अध्यापिका लेवल-1 का 1 पद)</p> <p>व्यवस्थार्थ शिक्षिका-</p> <p>स्वीकृत के सापेक्ष रिक्त पदों हेतु</p> <p>पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की कमी होने पर विद्यालय समय के दौरान शिक्षण कार्य हेतु (वेतन शिक्षिका के स्वयं के विद्यालय से ही आहरित होगा)</p> <p>पात्रता - राजकीय शिक्षिका।</p> <p>चयन- बीईओ प्रा.शि. (मुख्यालय)के स्तर से अस्थायी व्यवस्था।</p> <p>उर्दू शिक्षिका - कुल 2</p> <p>सिर्फ अल्पसंख्यक केजीबीवी में</p> <p>पात्रता - बी.एड. एवं उर्दू भाषा में स्नातक।</p> <p>चयन- रा.प्रा.शि.प. के निर्णय के अनुसार।</p> <p>अंशकालिक शिक्षिकाएं - कुल 3</p> <p>एक अंशकालिक शिक्षिका एक बार में अधिकतम 3 माह हेतु एवं एक सत्र में कुल दो सेवाकाल हेतु सेवाएं दे सकेंगी।</p> <p>चयन- निर्देशानुसार केजीबीवी स्तर से।</p> | <p>पद- पूर्णकालिक (राजकीय) शिक्षिकाएं- कुल 2</p> <p>(1) वार्डन (राजकीय शिक्षिका)-1</p> <p>(2) शिक्षिका एवं सह-वार्डन-1</p> <p>चयन- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के स्तर से डेप्यूटेशन पॉलिसी के अन्तर्गत विज्ञप्ति द्वारा।</p> <p>पात्रता - शिक्षिका- 2 पद</p> <p>(द्वितीय श्रेणी/तृतीय श्रेणी अध्यापिका लेवल- 2 का 1 पद- विषय की बाध्यता नहीं होगी)।</p> <p>एवं</p> <p>(तृतीय श्रेणी अध्यापिका लेवल-1 का 1 पद)</p> <p>लागू नहीं।</p> <p>लागू नहीं।</p> <p>अंशकालिक शिक्षिकाएं - कुल 3</p> <p>एक अंशकालिक शिक्षिका एक बार में अधिकतम 3 माह हेतु एवं एक सत्र में कुल दो सेवाकाल हेतु सेवाएं दे सकेंगी।</p> <p>चयन- निर्देशानुसार केजीबीवी स्तर से।</p> |
| कक्षा 9 से 12 के परिसर में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कक्षा 9 से 12 के परिसर में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>नोट-केजीबीवी परिसर में कक्षा 9 से 12 का शिक्षण नहीं करवाया जाता है।</p> <p>बालिकाएँ निकटवर्ती विद्यालय में शिक्षण करती हैं।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>पद- पूर्णकालिक (राजकीय) शिक्षिका- कुल 2</p> <p>(1) वार्डन (राजकीय शिक्षिका)-1</p> <p>(2) सह-वार्डन-1 (केवल प्लेसमेंट एजेन्सी की कार्मिक)</p> <p>चयन- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के स्तर से डेप्यूटेशन पॉलिसी के अन्तर्गत विज्ञप्ति द्वारा।</p> <p>पात्रता -</p> <p>(द्वितीय श्रेणी/तृतीय श्रेणी अध्यापिका लेवल- 2 का 1 पद- विषय की बाध्यता नहीं होगी प्रायः नोबल/फीडर विद्यालय में रिक्त पद एवं विषय के अनुसार की जाती है)।</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>नोट :- 1. प्रतिनियुक्त राजकीय शिक्षिकाएँ स्वयं के 0 से 4 वर्ष की आयु तक के बच्चों के रखरखाव के लिये विद्यालय समय में स्वयं के खर्च पर Attendent रख सकते हैं। 2. केवल छात्रावास के लिये वार्डन शिक्षिकाओं को अन्तिम 02 कालांशों में शिक्षण कार्य से मुक्त रखा जावे ताकि वह छात्रावास में बालिकाओं के पहुंचने से पहले आवश्यक व्यवस्थायें कर सकें।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

7.1 शैक्षिक स्टाँफ

शिक्षण कार्य हेतु चयनित/कार्यरत समस्त स्टाँफ में महिलाएँ ही होंगी। केजीबीवी आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास में शैक्षिक स्टाँफ केजीबीवी की क्षमता के आधार पर निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं।

तालिका-35

| Type - III<br>KGBV                      | School cum Hostels |               |               |               | Only Hostels  |               | Grand<br>TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                         | 250<br>Seater      | 200<br>Seater | 150<br>Seater | 100<br>Seater | 200<br>Seater | 100<br>Seater |                |
| Total KGBV's                            | 1                  | 60            | 1             | 38            | 6             | 3             | 109            |
| Enrollment Capacity                     | 250                | 12000         | 150           | 3800          | 1200          | 300           | 17700          |
| Approved Posts in PAB 2019-20           |                    |               |               |               |               |               |                |
| Warden                                  | 1                  | 60            | 1             | 38            | 6             | 3             | 109            |
| Assistant Warden<br>for 9 to 12 Hostels | 1                  | 60            | 0             | 0             | 6             | 0             | 67             |

|                     |    |     |   |     |    |    |      |
|---------------------|----|-----|---|-----|----|----|------|
| Head Teacher        | 1  | 60  | 1 | 0   | 0  | 0  | 62   |
| 4-Full Time Teacher | 4  | 240 | 4 | 152 | 0  | 0  | 400  |
| 3-Part Time Teacher | 5  | 300 | 3 | 114 | 30 | 9  | 461  |
| 2-Urdu Teacher      | 0  | 0   | 0 | 16  | 0  | 0  | 16   |
| Total =             | 12 | 720 | 9 | 320 | 42 | 12 | 1115 |

## 7.2 शैक्षिक स्टाफ संबंधी प्रावधान एवं प्रबंधन:-

प्रबंधन एवं शैक्षणिक कार्यों हेतु केजीबीवी निम्नलिखित स्टाफ की व्यवस्था होगी।

- "एकीकृत केजीबीवी टाईप-3" विद्यालय मय छात्रावास में शैक्षणिक पदों पर कुल 06 शिक्षिकाओं हेतु पद स्वीकृत हैं। केवल छात्रावास वाले केजीबीवी जिनमें कक्षा 6 से 12 की बालिकाएं निकटतम विद्यालय में पढ़ने जा रही हैं तो वहां पर कुल 03 पद स्वीकृत हैं।
- केजीबीवी टाईप-3 में निम्न दो प्रकार की स्थितियां होंगी-
  1. केजीबीवी टाईप-3, जिनमें कक्षा 6 से 8 का शिक्षण केजीबीवी परिसर में संचालित है और कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं शिक्षण हेतु निकटतम विद्यालय में जाती हैं वहाँ पर शैक्षणिक स्टाफ की व्यवस्था निम्नानुसार होगी-
  - केजीबीवी (कक्षा 6 से 8) की 05 शिक्षिकाएं एवं केजीबीवी (कक्षा 9 से 12) के बालिका छात्रावास की 01 वॉर्डन, ये सभी अधिकांशतः राजकीय शिक्षिकाएं होंगी। सभी 06 शिक्षिकाएं विद्यालय समय में अपने-अपने संबंधित विद्यालय में शिक्षण का कार्य सम्पादित करेंगी। विद्यालय समय के पश्चात इनकी आवासीयता तालिका-35 के अनुसार रहेगी।

तालिका-36

| पदनाम                                                                      | वर्तमान में पदस्थापन स्थिति       | शिक्षण / प्रबंधन                                        | आवास                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. केजीबीवी के नोडल प्रिन्सिपल (गैर केजीबीवी पद)                           | नोडल विद्यालय में                 | नोडल विद्यालय एवं केजीबीवी का समस्त प्रबंधन की व्यवस्था | स्वयं का निजी आवास                |
| 2. केजीबीवी की संस्थाप्रधान (कक्षा 6 से 8)                                 | केजीबीवी में                      | कक्षा 6-8 की बालिकाओं का शिक्षण                         | कक्षा 6-8 की बालिकाओं के भवन में  |
| 3. केजीबीवी वार्डन-1 (कक्षा 6 से 8)                                        | केजीबीवी में                      | कक्षा 6-8 की बालिकाओं का शिक्षण                         | कक्षा 6-8 की बालिकाओं के भवन में  |
| 4. केजीबीवी शिक्षिका-1                                                     | केजीबीवी में                      | कक्षा 6-8 की बालिकाओं का शिक्षण                         | कक्षा 6-8 की बालिकाओं के भवन में  |
| 5. केजीबीवी शिक्षिका, एल-1                                                 | केजीबीवी से                       | कक्षा 6-8 की बालिकाओं का कन्डेन्स कोर्स                 | कक्षा 6-8 की बालिकाओं के भवन में  |
| 6. केजीबीवी शिक्षिका-1                                                     | केजीबीवी में                      | कक्षा 6-8 की बालिकाओं का शिक्षण                         | कक्षा 9-12 की बालिकाओं के भवन में |
| 7. केजीबीवी वार्डन-1 (कक्षा 9 से 12)                                       | केजीबीवी नोडल / फीडर विद्यालय में | नोडल / फीडर विद्यालय में कक्षा 9-12 की बालिकाओं को      | कक्षा 9-12 की बालिकाओं के भवन में |
| 8. केजीबीवी सहायक वार्डन-1 (कक्षा 9 से 12) हेतु (प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिक) | केजीबीवी (कक्षा 9 से 12) में      | कक्षा 9-12 की बालिकाओं का प्रबंधन कार्य                 | कक्षा 9-12 की बालिकाओं के भवन में |
| 9. बिन्दु संख्या 7.4 के अनुसार आवश्यकता होने पर अंशकालिक शिक्षिकाएं        |                                   |                                                         |                                   |

2. केजीबीवी टाईप-3, परिसर में केवल छात्रावास की सुविधा है और कक्षा 6 से 12 की समस्त बालिकाएं शिक्षण हेतु निकटतम विद्यालय में जाती हैं। वहाँ पर शैक्षणिक स्टाफ की व्यवस्था निम्नानुसार होगी-

- केजीबीवी (कक्षा 6 से 8) की 02 शिक्षिकाएं एवं केजीबीवी (कक्षा 9 से 12) के बालिका छात्रावास की 01 वॉर्डन, ये सभी अधिकांशतः राजकीय शिक्षिकाएं होंगी। सभी 03 शिक्षिकाएं विद्यालय समय में अपने-अपने संबंधित विद्यालय में शिक्षण का कार्य सम्पादित करेंगी। विद्यालय समय के पश्चात इनकी आवासीयता तालिका-36 के अनुसार रहेगी।

6

तालिका-37

| पदनाम                                                                       | वर्तमान में पदस्थापन स्थिति     | शिक्षण/ प्रबन्धन                                         | आवास                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. केजीबीवी के नोडल प्रिन्सिपल (गैर केजीबीवी पद)                            | नोडल विद्यालय में               | नोडल विद्यालय एवं केजीबीवी का समस्त प्रबन्धन की व्यवस्था | स्वयं का निजी आवास                |
| 2. केजीबीवी वार्डन-1 (कक्षा 6 से 8)                                         | केजीबीवी के निकटतम विद्यालय में | कक्षा 6-8 की बालिकाओं का शिक्षण                          | कक्षा 6-8 की बालिकाओं के भवन में  |
| 3. केजीबीवी शिक्षिका, एल-1                                                  | केजीबीवी के निकटतम विद्यालय में | कक्षा 6-8 की बालिकाओं का कन्डेन्स कोर्स                  | कक्षा 6-8 की बालिकाओं के भवन में  |
| 4. केजीबीवी वार्डन-1 (कक्षा 9 से 12)                                        | केजीबीवी नोडल/फीडर विद्यालय में | नोडल/फीडर विद्यालय में कक्षा 9-12 की बालिकाओं को         | कक्षा 9-12 की बालिकाओं के भवन में |
| 5. केजीबीवी सहायक वार्डन-1 (कक्षा 9 से 12) हेतु (प्लेसमेंट ऐजेन्सी कार्मिक) | केजीबीवी (कक्षा 9 से 12) में    | कक्षा 9-12 की बालिकाओं का प्रबन्धन कार्य                 | कक्षा 9-12 की बालिकाओं के भवन में |
| 6. बिन्दु संख्या 7.4 के अनुसार आवश्यकता होने पर अंशकालिक शिक्षिकाएँ         |                                 |                                                          |                                   |

7.3 शैक्षणिक स्टॉफ हेतु डेप्यूटेशन पॉलिसी -

- केजीबीवी में राजकीय शिक्षिकाओं के प्रतिनियुक्ति हेतु नीति (Deputation Policy) निर्धारित की गई है। राजकीय शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति पॉलिसी जारी होने के पश्चात्, राज्य स्तर पर निश्चित चयन प्रक्रिया से चयनोपरांत शिक्षा विभाग के राज्यादेश से शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ती कक्षा 6 से 8 हेतु केजीबीवी में तथा कक्षा 9 से 12 के छात्रावास हेतु वार्डन को केजीबीवी के नोडल/फीडर विद्यालय में की जाती हैं। अध्यापन के अलावा इन्हें विद्यालय का कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जावे।
- प्रतिनियुक्ति नीति के आधार पर केजीबीवी में प्रतिनियुक्ति पर आई शिक्षिकाओं को केजीबीवी में आवासीय सेवायें देनी आवश्यक हैं।
- प्रतिनियुक्ति हेतु नीति में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधित नियम/उपनियम लागू होंगे। एकीकृत केजीबीवी हेतु प्रतिनियुक्ति की नयी पॉलीसी आने तक वर्तमान में केजीबीवी हेतु एवं छात्रावास हेतु दोनों प्रतिनियुक्ति नीतियां प्रभाव में रहेंगी।
- केजीबीवी में कक्षा 6 से 8 हेतु दिनांक 25.02.2011 से पूर्व की प्रतिनियुक्ति शिक्षिकाओं को विद्यालय समयावधि में ही अपनी सेवाएं देनी होगी। इन शिक्षिकाओं पर राज्य सरकार की प्रतिनियुक्ति नीति के प्रावधान लागू नहीं है।
- केजीबीवी के कक्षा 9 से 12 के छात्रावास में राज्य स्तर पर निश्चित चयन प्रक्रिया से चयनोपरांत प्रतिनियुक्त वार्डन शिक्षिका को उनकी आवासीय सेवाओं की ऐवज में राज्य द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह (पूरे 12 माह हेतु) के लिए देय होगा।
- यदि किसी केजीबीवी के कक्षा 9 से 12 के छात्रावास में जिला निष्पादन समिति की अनुशंसा पर राजकीय शिक्षिका (व्याख्याता, व.अ., तृतीय श्रेणी की शिक्षिका लेवल-1 व 2, अथवा अन्य किसी पद की महिला शिक्षिका) को वार्डन हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है तो भी उनकी आवासीय सेवाओं की ऐवज में राज्य द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह (पूरे 12 माह हेतु) के लिए देय होगा।
- लेकिन प्लेसमेंट ऐजेन्सी की कार्मिक की वार्डन/वार्डन साहयिका लिए मानदेय का भुगतान राज्य द्वारा निर्धारित समय के लिए ही निर्धारित दर पर देय होगा।

नोट:- 1. राज्य स्तर पर निश्चित चयन प्रक्रिया से चयनोपरांत शिक्षा विभाग के राज्यादेश से प्रतिनियुक्त राजकीय सेवा की शिक्षिकाओं को JD/CDEO/ADPC/DEO या अन्य अधिकारी द्वारा उन्हें मूल विभाग हेतु अथवा इच्छित जिला आवंटन हेतु निदेशालय के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

- 3. इसी प्रकार इन शिक्षिकाओं को "आदेशों की प्रतिका" में अथवा "निलम्बन" भी उक्त अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसा किया जाना अतिआवश्यक हो तो श्रीमान राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, जयपुर से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

## 7.4 अंशकालिक शिक्षिका -

केजीबीवी में अंशकालिक शिक्षिका लगाये जाने के संबंध में निर्देश निम्नानुसार रहेंगे -

1. प्रत्येक केजीबीवी में अधिकतम 03 अंशकालिक शिक्षिकाएं लगाई जा सकेंगी।
2. अंशकालिक शिक्षिकाएं अधिकतम 90 दिवस/तीन माह के लिए लगाई जा सकेंगी।
3. अंशकालिक शिक्षिका के लिए चयन पैनल, ब्लॉक स्तर पर एक चयन समिति द्वारा तैयार किया जाएगा। तृतीय श्रेणी की लेवल-II की अधिकतम दो शिक्षिकाओं को आवश्यक विषय के अनुसार अंशकालिक शिक्षिका के रूप में AWP&B 2019-20 के प्रावधानों अनुसार लगाया जा सकेगा।
4. अंशकालिक शिक्षिका लगाने से पूर्व शाला प्रबन्धन समिति द्वारा यह आंकलन किया जाय कि विद्यालय में किस विषय की शिक्षिका लगाये जाने की महती आवश्यकता है। शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव के अनुमोदन उपरान्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुमति से अंशकालिक शिक्षिका को लगाने की कार्यवाही की जावेगी। किसी भी स्थिति में एक ही विषय की दो शिक्षिकाएं विद्यालय में न हो।

चयन समिति निम्नानुसार होगी-

अंशकालीन शिक्षिका चयन समिति

तालिका-38

1. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी : अध्यक्ष
2. नोडल प्रधानाचार्य : सदस्य सचिव
3. केजीबीवी प्रधानाध्यापिका : सदस्य
5. एडीपीसी द्वारा प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि : सदस्य
6. उक्त चयन समिति द्वारा तैयार किये गये पैनल में से तृतीय श्रेणी लेवल-II की योग्यताधारी विषयवार शिक्षिकाओं को आवश्यकतानुसार शाला विकास एवं प्रबन्धन समिति/शाला प्रबन्धन समिति एक बार में अधिकतम 90 दिवस/तीन माह के लिए अंशकालिक शिक्षिका के रूप में लगाया जा सकेगा। अंशकालिक शिक्षिका को प्राथमिकता से अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन अथवा शारीरिक शिक्षा/संगीत/नृत्य/चित्रकला अथवा कक्षा 11 एवं 12 की विज्ञान वर्ग के विषयों के शिक्षण हेतु लगाया जा सकेगा। 90 दिवस पूर्ण होने के उपरान्त इनकी सेवाएं नहीं ली जावें। सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी।
7. अंशकालिक शिक्षिका को कम से कम 4 कालांशों में प्रतिदिन अध्यापन कार्य कराना होगा एवं नियमानुसार प्रधानाध्यापिका द्वारा दिये गये शैक्षिक दायित्व निभाने होंगे। दैनिक उपस्थिति पंजिका में अंशकालिक शिक्षिका का नाम नहीं लिखा जाएगा एवं ना ही हस्ताक्षर करवाये जाएंगे बल्कि दैनिक उपस्थिति कॉलम में केवल "P" अंकित किया जाएगा। इनकी मासिक उपस्थिति केजीबीवी की प्रधानाध्यापिका/छात्रावास की वार्डन से करवाते हुये नोडल प्रधानाचार्य से प्रमाणित कराई जायेगी तथा प्रति हस्ताक्षर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के होंगे। प्रमाणित उपस्थिति प्रमाण-पत्र के आधार पर उपलब्ध बजट प्रावधानों के अनुसार इनको मासिक मानदेय रु. 5000 प्रतिमाह का भुगतान जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सीधे ही इनके बैंक खाते के माध्यम से प्रतिमाह की 5 तारीख तक किया जा सकेगा। नोट- त्रैमास (अप्रैल-जून) में अंशकालीन शिक्षिकाएं नहीं रखी जावें।

केजीबीवी में अंशकालीन शिक्षिकाएं निम्नानुसार रखी जा सकेंगी -

तालिका-39

|                     | सामान्य केजीबीवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अंशकालिक शिक्षिका-1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• शारीरिक शिक्षिका (अधिकतम तीन-तीन माह की अवधि के दो कार्यकाल)</li> <li>• कौशल विकास हेतु शिक्षिका (तीन माह की अवधि के लिए-स्पोकन इंग्लिश, रचनात्मक लेखन, कम्प्यूनिक्शन स्किल आदि के विकास हेतु) अथवा संगीत/नृत्य/चित्रकला, परफॉर्मिंग आर्ट एवं विजुअल आर्ट के क्षेत्र से छात्रावास समय में</li> </ul> |
| अंशकालिक शिक्षिका-2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• मुख्य विषय गणित/विज्ञान/अंग्रेजी अथवा कक्षा 11 एवं 12 की विज्ञान वर्ग के कठिन विषयों की शिक्षिका (विद्यालय/छात्रावास समय में आवश्यकता के अनुसार)</li> </ul>                                                                                                                                          |
| अंशकालिक शिक्षिका-3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• कम्प्यूटर शिक्षिका उच्च प्राथमिक कक्षाओं/कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु छात्रावास समय में (अधिकतम तीन-तीन माह की अवधि के 2 कार्यकाल) अथवा कक्षा 8, 10, 12 बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रावास समय में</li> </ul>                                                                                |

### 7.5 समस्त केजीबीवी टाईप-3 में गैर-शैक्षणिक स्टाफ की व्यवस्था -

- गैर-शैक्षिक स्टाफ में पदों की स्वीकृति केजीबीवी में बालिकाओं की क्षमता पर आधारित है।  
केजीबीवी टाईप-3 के समस्त 109 केजीबीवी में गैर-शैक्षणिक पदों की व्यवस्था तालिका-37 एवं 38 के अनुसार रहेगी लेकिन गैर-शैक्षणिक पदों पर आगामी आदेश दिये जाने तक यथास्थिति बनी रहेगी।
- चौकीदार को छोड़ कर केजीबीवी में समस्त गैर-शैक्षणिक स्टाफ में महिलाएं ही होंगी।
- नोडल प्रधानाचार्य/पीईईओ/सीबीईईओ/सहायक जिला परियोजना समन्वयक की जिम्मेदारी होगी कि केजीबीवी में कोई भी गैर-शैक्षणिक पद अधिकतम 07 दिन से अधिक रिक्त नहीं रहें।  
समस्त केजीबीवी टाईप-3 में गैर-शैक्षणिक स्टाफ निम्नानुसार होंगे:-

तालिका-40

| Type - III<br>KGBV                            | School cum Hostels |               |               |               | Only Hostels  |               | Grand<br>TOTAL |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                               | 250<br>Seater      | 200<br>Seater | 150<br>Seater | 100<br>Seater | 200<br>Seater | 100<br>Seater |                |
| Total KGBV's                                  | 1                  | 60            | 1             | 38            | 6             | 3             | 109            |
| Enrolment Capacity                            | 250                | 12000         | 150           | 3800          | 1200          | 300           | 17700          |
| Approved Posts in PAB 2019-20                 |                    |               |               |               |               |               |                |
| Accountant cum LDC                            | 1                  | 60            | 1             | 38            | 6             | 3             | 109            |
| Head Cook                                     | 2                  | 120           | 1             | 38            | 12            | 3             | 176            |
| Assistant Cook                                | 5                  | 240           | 3             | 76            | 24            | 6             | 354            |
| 3-Support Staff                               | 5                  | 300           | 3             | 114           | 30            | 9             | 461            |
| Assistant Warden for<br>class 9 to 12 Hostels | 1                  | 60            | 0             | 0             | 6             | 0             | 67             |
| Total =                                       | 14                 | 780           | 8             | 266           | 78            | 21            | 1167           |

तालिका-41

| केजीबीवी आवासीय विद्यालय                       | केजीबीवी छात्रावास                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| कक्षा 6 से 8 के लिए                            |                                                |
| एकाउन्टेन्ट मय कम्प्यूटर ऑपरेटर- कुल पद 1      | एकाउन्टेन्ट मय कम्प्यूटर ऑपरेटर- कुल पद 1      |
| सहायिका (सहायक स्टाफ)- कुल पद 1                | सहायिका (सहायक स्टाफ)- कुल पद 1                |
| चौकीदार (सहायक स्टाफ)- कुल पद 1                | चौकीदार (सहायक स्टाफ)- कुल पद 1                |
| मुख्य रसोईया- कुल पद 1<br>(100 बालिकाओं पर 01) | मुख्य रसोईया- कुल पद 1<br>(100 बालिकाओं पर 01) |
| सहायक रसोईया- कुल पद 2<br>(50 बालिकाओं पर 01)  | सहायक रसोईया- कुल पद 2<br>(50 बालिकाओं पर 01)  |
| कक्षा 9 से 12 के लिए                           |                                                |
|                                                | चौकीदार (सहायक स्टाफ)- कुल पद 1                |
|                                                | मुख्य रसोईया- कुल पद 1<br>(100 बालिकाओं पर 01) |
|                                                | सहायक रसोईया- कुल पद 2<br>(50 बालिकाओं पर 01)  |
|                                                | सहायक वार्डन/वार्डन सहायिका कुल पद 1           |

1. नोट- केजीबीवी योजना अन्तर्गत उपरोक्त पदों के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक कार्यों हेतु लोक-जुम्बिश कार्यकर्ताओं को आगामी निर्देशों तक केजीबीवी में पदस्थापित किया गया है।

*km*

2. नोट- दीर्घकालीन अवकाश यथा ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन/मध्यावधि के समय चौकीदार अपनी सेवाएं यथावत देंगे। उक्त अवकाश समयावधि में दिन के समय सहायिका एवं रात्रि में चौकीदार अपनी सेवाएं देंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्णतया चौकीदार की ही होगी।

#### 7.5.1 समस्त केजीबीवी टाईप-3 में गैर-शैक्षणिक स्टॉफ की प्रक्रिया:-

- गैर-शैक्षणिक पद-वार्डन/सह-वार्डन, एकाउन्टेन्ट मय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सहायिका का चयन जिला स्तर पर चयनित प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से किया जायेगा। शेष पदों (चौकीदार, मुख्य एवं सहायक रयोईया) पर स्टॉफ का चयन केजीबीवी के एसडीएमसी/एसएमसी/एचएमसी के माध्यम से किया जायेगा।
- सहायक स्टॉफ/गैर-शैक्षणिक स्टॉफ का बजट प्रावधानों के अनुसार मासिक मानदेय का भुगतान प्लेसमेन्ट एजेन्सी द्वारा सीधे ही इनके बैंक खाते में प्रतिमाह 5 तारीख तक किया जायेगा।
- चौकीदार को छोड़कर गैर-शैक्षणिक पद पर कार्यरत कर्मिकों हेतु केजीबीवी परिसर में रात्री-विश्राम अनिवार्य नहीं होगा। किन्तु नियमित भोजन, सफाई इत्यादि की व्यवस्थाएँ बनाये रखना सभी के लिए अनिवार्यतः होगा। प्रिन्सिपल की सहमति से प्रधानाध्यापिका/वार्डन बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत एवं आवश्यकतानुसार कर्मिकों को केजीबीवी में रात्री विश्राम हेतु बाध्य कर सकेगी लेकिन विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए।
- एजेन्सी किसी भी सहायक स्टॉफ/गैर-शैक्षणिक स्टॉफ के नियत मानदेय में से वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.04.2018 के अनुसार किसी प्रकार के सर्विस टैक्स/जीएसटी की कटौती नहीं करेगी। बल्कि यह विभाग द्वारा ही देय होगी।

#### 8. वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंधन

केजीबीवी योजना के अन्तर्गत बजट की उपयोगिता, क्रय प्रक्रिया एवं व्यय नियमानुसार किया जाये और पारदर्शिता को सुनिश्चित करें।

#### 8.1 केजीबीवी टाईप-3 में नोडल प्रधानाचार्य के दायित्व एवं अन्य प्रावधान:-

1. केजीबीवी के नोडल प्रधानाचार्य, केजीबीवी टाईप-3 के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारी होंगे। ये केजीबीवी की समस्त प्रकार की व्यवस्थाएँ, बालिकाओं की सुरक्षा विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि के साथ-साथ शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ की मॉनीटरिंग हेतु जिम्मेदार होंगे। स्टॉफ की उपलब्धता, समय पर उपस्थिति, उपस्थिति में नियमितता, शिक्षिकाओं का केजीबीवी में आवासीयता, अवकाश की स्वीकृति, कर्मिकों के कार्यों में दक्षता एवं कार्य का निर्वहन, कार्य आवंटन, बालिकाओं से उचित व्यवहार एवं शिक्षिकाओं हेतु डेप्यूटेशन पॉलिसी के प्रावधानों की अनुपालना की समस्त जिम्मेदारी प्रधानाचार्य, के पास होगी।
2. केजीबीवी के नोडल प्रधानाचार्य, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के पत्रांक:-रास्कुशिप/जयपुर/बा.शि./नीतिगत निर्णय/2018-19/11371 दिनांक: 29.01.2019 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए केजीबीवी की प्रधानाध्यापिका के साथ संयुक्त रूप से राज्य/जिला स्तर से विभिन्न मदों/उपमदों में प्राप्त राशि का आहरण एवं वितरण अधिकारों का उपयोग करेंगे। मदवार केशबुक एवं लैजर बुक का संधारण करवायेगे एवं प्रतिमाह की 03 तारीख तक MPR जिला परियोजना समन्वयक को प्रमाणिकरण के साथ प्रेषित करेंगे। संलग्नक-7
3. क्रय संबंधी कार्यों में क्रय समिति का अध्यक्ष जो कि एसएमसी का अध्यक्ष भी है की उपस्थिति में गुणवत्ता पूर्वक सामग्री क्रय किया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवृत्ति एवं अनावृत्ति मद के अन्तर्गत क्रय का समस्त अधिकार एसएमसी के अधीन होगा। किसी भी मद के अन्तर्गत क्रय से पूर्व एसएमसी में प्रस्ताव लिया जाना एवं सामग्री क्रय उपरांत एसएमसी में अनुमोदन की कार्यवाही करवाई जानी अनिवार्य होगी। समस्त बिलों पर संयुक्त रूप से नोडल प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापिका केजीबीवी, वार्डन (कक्षा 9 से 12 भवन) के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणिकरण करवाना जाना अनिवार्य होगा।

## 8.2 वित्तीय प्रक्रिया

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों हेतु सत्र 2019-20 की गतिविधियों के संबंध में मदवार वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्देशों के अतिरिक्त, केजीबीवी हेतु उपलब्ध राशि के उपयोग एवं वित्तीय प्रबंधन संबंधी अन्य निर्देश निम्नलिखित हैं -

- कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय की जिला व केजीबीवी स्तर पर आवश्यक रूप से अलग से कैश बुक संधारित की जाए।
- मदवार आय-व्यय रिकार्ड रखने हेतु लैजर संधारित की जावें।
- जिस केजीबीवी में विद्यालय संचालित नहीं है वहाँ का फण्ड छात्रावास की छात्रावास प्रबन्धन समिति (HMC) को स्थानान्तरित होगा। लेकिन आहरण वितरण 8.1 के निर्देशों के अनुसार होगा।
- केजीबीवी में आवश्यक समस्त क्रय प्राथमिकता से सरकारी दुकानों से ही की जाये।
- पर्यवेक्षण अधिकारियों पीईईओ/सी.बी.ई.ओ./ए.डी.पी.सी./डी.पी.सी./ए.ए.ओ द्वारा केजीबीवी से व्यय के बिल आदि ब्लॉक/जिला कार्यालय पर नहीं मंगवाये जायेंगे। समस्त पर्यवेक्षण कार्य केजीबीवी में उपस्थित होकर किया जाना अनिवार्य है।
- अन्य कोई निर्देश नहीं होने पर वहाँ जी.एफ.एण्ड ए.आर. की अनुपालना किया जाना अपेक्षित।
- क्रय की प्रक्रिया, उपापन हेतु आरटीपीपी एक्ट की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु फण्ड का स्थानान्तरण सम्बन्धित एसडीएमसी/एसएमसी को किया जायेगा।
- जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक केजीबीवी नोडल प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यपिका, वॉर्डन, ब्लॉक कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, सहायक लेखाधिकारी, सहायक परियोजना समन्वयक (केजीबीवी), अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में केजीबीवी की मासिक प्रगति रिपोर्टों का संकलन एवं समीक्षा-नियोजन बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रत्येक केजीबीवी नोडल प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यपिका गत मास की गतिविधिवार प्रतिवेदन एवं मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र (संबंधित सी.बी.ई.ओ से प्रतिहस्ताक्षरित) प्रस्तुत करेंगी। जिले की सभी केजीबीवी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर राज्य स्तर पर 10 तारीख तक संकलित मासिक प्रगति रिपोर्ट मदवार प्रस्तुत की जायेगी। सूचनाओं के अभाव में राज्य स्तर से राशि जारी किया जाना संभव नहीं होगा।
- जिले के सहायक लेखाधिकारी प्रत्येक तिमाही में एक बार जिले की प्रत्येक केजीबीवी के वित्तीय-लेखा दस्तावेज-कैशबुक, लैजर बुक, चैक संधारण रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, बैंक पास बुक आदि का केजीबीवी में पहुंचकर अवलोकन करेंगे। उनके संधारण में आवश्यक दिशा-निर्देश व सम्बलन प्रदान करेंगे। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक केजीबीवी के दस्तावेजों को तिमाही में एक बार देख लिया जावे।
- गतिविधियों में किए जाने वाले व्यय का नियमानुसार निश्चित समयावधि में मदवार अनुमोदित राशि के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जावे अनुमादित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि नहीं किया जावे। जावे। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बजट सीमा से अधिक किए गए व्यय की वसूली की जावेगी।
- जिस माह में गतिविधि पर राशि व्यय की गई है उसे उसी माह की मासिक प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया जावे। निश्चित समयावधि में समायोजन हेतु जिला स्तर के कार्यक्रम प्रभारी पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।
- संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में पंजिकाओं का संधारण किया जावे तथा अंकेक्षण दल द्वारा पंजिकाएं मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
- गतिविधियों हेतु सामग्री क्रय तथा अन्य व्यवस्था (भोजन, आवास, टेन्ट इत्यादि) नियमानुसार निविदा प्रक्रिया अपनाकर किया जावे। आवश्यकता होने पर ब्लॉक के कनिष्ठ लेखाकार अथवा जिले लेखाकार की मदद ली जा सकती है।
- केजीबीवी में क्रय प्रक्रिया पारदर्शी एवं क्रय की गई सामग्री गुणवत्तापूर्ण होना अनिवार्य है।
- प्रत्येक माह की 10 तारीख तक केजीबीवी का मद वार व्यय विवरण परिषद कार्यालय को भिजवाने का दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक लेखाधिकारी (जिला परियोजना कार्यालय) का होगा।



### 8.3. उपयोगिता प्रमाण पत्र:-

तालिका-42

| उपयोगिता प्रमाण पत्र  |      |              |                                                                                                      |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|-----------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| केजीबीवी का नाम ..... |      |              | माह .....                                                                                            |                             |                        | जिला .....                             |                                    |                                                |        |
| मदवार व्यय विवरण -    |      |              | In Lakhs                                                                                             |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
| Advance given         |      |              | Detail                                                                                               |                             |                        | Expenditure                            |                                    |                                                |        |
| S. N.                 | Date | Amount       | Name of Activitiy                                                                                    | Previo<br>us<br>balanc<br>e | Approv<br>ed<br>budget | Expenditure<br>upto previous<br>mounth | Expenditure<br>in current<br>month | Total<br>Expenditure up<br>to current<br>month | Remark |
|                       |      |              | <b>Non Recurring ( in Lakhs)</b>                                                                     |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | New Building Construction for 100 Girls (Privious 2018-19) @ 183.00                                  |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | New Building Construction for 100 Girls (Privious 2019-20) @ 207.70                                  |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Dormitories (Previous) @21.74 per KGBV                                                               |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Major Repair (Previous) @ 2.5 per KGBV                                                               |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Furniture & equipment New 16 KGBV (inclu kitchen items) @0.030 per KGBV                              |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | TLM & equipment New 16 KGBV (inclu. Library books) ) @0.035 per KGBV                                 |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Bedding New 16 KGBV @0.015 per KGBV                                                                  |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Boundary Wall 2019-20                                                                                |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | <b>Recurring</b>                                                                                     |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Maintenance (food component) per girl student per month @ Rs. 1650/-                                 |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Stipend for girl student per month @ Rs. 150/-                                                       |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Supplementary TLM, Stationary and other educational material for girl student @ Rs. 1100/- per annum |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Specific skill training per girl @ Rs. 1500/- per girls student per annum                            |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Electricity / Water charges per girl @ Rs. 1800/- per girls student per annum                        |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Medical care / Contingencies @ Rs. 1500/- per girls student per annum                                |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Maintenance @ Rs. 1000/- per girls student per annum                                                 |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Miscellaneous @ Rs. 1500/- per girls student per annum                                               |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Preparatory camp @ Rs. 7000 per kgbv per annum                                                       |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | PTAs/school functions @ Rs. 200 per girls student per annum                                          |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Provision of Rent (NA)                                                                               |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Capacity building @ Rs. 10000/- per kgbv per annum                                                   |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | Physical/Self Defence training @ 10000/- per kgbv per annum                                          |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      |              | <b>Honorarium/Salaries Total</b>                                                                     |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |
|                       |      | <b>Total</b> |                                                                                                      |                             |                        |                                        |                                    |                                                |        |

नोट : प्रमाणित किया जाता है कि -

- 1 उक्त समस्त सामान का क्रय नियमों में विदित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।
- 2 सामग्री क्रय किये जाने एवं बिल प्रमाणीकरण पश्चात् भुगतान किये जाने का अनुमोदन शाला प्रबंधन समिति द्वारा कर दिया गया है।
- 3 क्रय किये गये सामान का सामग्रीवार स्टॉक इन्द्राज कर लिया गया है।
- 4 मूल बिल/व्यय वॉचर कार्यालय रिकॉर्ड में ऑडिट/भविष्य हेतु सुरक्षित रख लिए गए हैं एवं समस्त बिलों का भुगतान कर दिया गया है।

*(Signature)*

#### 8.4. वित्तीय पारदर्शिता (रिकार्ड का संधारण)

समस्त केजीबीवी में निम्न दस्तावेजों का संधारण किया जाए -

तालिका-43

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. एस.आर. रजिस्टर                        | 17. बैंक / ड्राफ्ट / प्राप्ति रजिस्टर            |
| 2. उपस्थिति रजिस्टर-                     | 18. बैंक / ड्राफ्ट / निर्गमन रजिस्टर             |
| 01 प्लेसमेंट के कार्मिक उपस्थिति रजिस्टर | 19. बिल पंजिका                                   |
| 01 शिक्षिकाओं के आवासीयता का रजिस्टर     | 20. मूवमेन्ट रजिस्टर (बालिकाओं के लिए)           |
| 01 छात्रा उपस्थिति रजिस्टर कक्षावार      | 21. मूवमेन्ट रजिस्टर (स्टाफ के कर्मिकों के लिए)  |
| 3. आगुन्तक रजिस्टर                       | 22. आकस्मिक अवकाश रजिस्टर                        |
| 4. स्थायी स्टॉक रजिस्टर                  | 23. खाद्य सामग्री स्टॉक रजिस्टर                  |
| 5. अस्थायी स्टॉक रजिस्टर                 | 24. खाद्य सामग्री वितरण रजिस्टर                  |
| 6. टी.सी. बुक                            | 25. स्टेशनरी वितरण रजिस्टर                       |
| 7. स्वास्थ्य पंजिका                      | 26. आधारभूत विविध सामग्री वितरण रजिस्टर          |
| 8. एसएमसी/एचएमसी बैठक कार्यवाही रजिस्टर  | 27. संस्थापन पंजिका                              |
| 9. परीक्षाफल रजिस्टर                     | 28. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण रजिस्टर          |
| 10. आदेश पंजिका                          | 29. वार्डन की बैठक का रिकॉर्ड                    |
| 11. अवकाश पंजिका                         | 30. आगन्तुक की टिप्पणी का रजिस्टर                |
| 12. परिपत्र फाईल                         | 31. कोरगुप की मीटिंग का रिकॉर्ड                  |
| 13. आवक पंजिका                           | 32. पुस्तकालय का स्टॉक रजिस्टर/इश्यू रजिस्टर     |
| 14. जावक पंजिका                          | 33. प्रत्येक बालिका को इश्यू कार्ड उपलब्ध करवाना |
| 15. कैश बुक                              | 34. अन्य आवश्यक अभिलेख                           |
| 16. लेजर पंजिका                          |                                                  |

**नोट :-** उक्त पंजिकाओं का संधारण लेखाकार सह लिपिक द्वारा प्रधानाध्यापिका/वार्डन कम शिक्षिका के मार्गदर्शन में किया जायेगा।

#### 9. मॉनीटरिंग एवं अकादमिक सहयोग

केजीबीवी के प्रभावी संचालन और गरिमामय, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में, स्वास्थ्य एवं पोषण की सुविधाओं के साथ, बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिये जाने की जिम्मेदारी समस्त स्तर पर है। केजीबीवी के प्रभावी संचालन हेतु समय-समय पर ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर से अकादमिक सहयोग, निरीक्षण किया जायेगा। प्रत्येक निरीक्षण में केजीबीवी के स्टॉफ एवं बालिकाओं को सम्बलन प्रदान करते हुए समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जावे। जिससे केजीबीवी में सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो।

केजीबीवी के सुचारु संचालन हेतु जिला प्रभारी (राज्य परियोजना कार्यालय से), जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रतिमाह केजीबीवी का अवलोकन एवं मॉनीटरिंग निम्नानुसार की जानी है -

तालिका-44

| पद                                                             | मॉनीटरिंग दायित्व                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला परियोजना समन्वयक DPC                                      | तीन माह में एक बार जिले के समस्त केजीबीवी का निरीक्षण।                                              |
| अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ADPC                            | दो माह में एक बार जिले के समस्त केजीबीवी का निरीक्षण।                                               |
| मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBEO                                | माह में दो बार निरीक्षण किया जाए।                                                                   |
| जिला प्रभारी (परिषद मुख्यालय)                                  | प्रत्येक यात्रा में न्यूनतम एक केजीबीवी एवं सत्र में जिले की समस्त केजीबीवी का अवलोकन।              |
| ए.पी.सी./प्रभारी (केजीबीवी)                                    | माह में एक बार समस्त केजीबीवी का निरीक्षण किया जाए।                                                 |
| कार्यक्रम अधिकारी/<br>प्रभारी (केजीबीवी)                       | माह में एक बार समस्त केजीबीवी का निरीक्षण किया जाए।                                                 |
| पीईईओ/नोडल प्रधानाचार्य<br>शैक्षिक एवं प्रबंधन व्यवस्था के लिए | सप्ताह में एक बार।                                                                                  |
| प्रभारी आर.पी. द्वारा<br>(ब्लॉक स्तर पर)                       | साप्ताहिक निरीक्षण किया जाए<br>(शैक्षणिक सम्बलन एवं गतिविधियों के संचालन में सहयोग के उद्देश्य से)। |

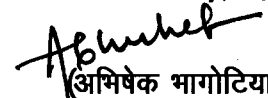
- प्रत्येक अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा केजीबीवी में प्रवेश से पूर्व गेट पर, चौकीदार के पास उपलब्ध आगुन्तक रजिस्टर में ऐन्ट्री करना अनिवार्य है।

62



- प्रत्येक अधिकारी की अवलोकन रिपोर्ट 3 दिवस के भीतर केजीबीवी वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। एक अधिकारी माह में एक बार ही सम्बन्धित केजीबीवी की रिपोर्ट तैयार करेगा।
- अवलोकन रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का विवरण भी कार्यवाही करने के उपरांत 3 दिवस के भीतर केजीबीवी वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- उपरोक्त अधिकारियों द्वारा प्रत्येक केजीबीवी विजिट के उपरांत निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है एवं अवलोकन रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर अनुपालना रिपोर्ट भी प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रपत्र/टिप्पणी केजीबीवी लिपिक द्वारा ऑन लाईन केजीबीवी सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाए।
- ऑन लाईन केजीबीवी सॉफ्टवेयर में केजीबीवी लिपिक द्वारा केजीबीवी प्रधानाध्यापिका/वॉर्डन के निर्देशन में प्रत्येक बालिका की प्रोफाइल, शिक्षिका की प्रोफाइल, स्टाफ की प्रोफाइल, सुविधाओं की प्रविष्टि/अपडेशन तत्काल प्रभाव से किये जायें।
- प्रभारी केजीबीवी द्वारा अपने निर्देशन में जिला एमआईएस/ऑपरेटर से केजीबीवी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक केजीबीवी की एमपीआर जिला स्तर से अपलोड की जाए।
- केजीबीवी प्रभारी को माह में कम से कम एक बार प्रत्येक केजीबीवी का निरीक्षण करने हेतु वाहन उपलब्ध करवाया जाए।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक/प्रभारी केजीबीवी द्वारा केजीबीवी मॉनिटरिंग हेतु की गई विजिट का प्रतिवेदन बालिका शिक्षा प्रकोष्ठ को प्रतिमाह प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। केजीबीवी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाये।
- सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित अवलोकनकर्ता के यात्रा भत्ता बिल तभी पारित किये जायें जब उनके द्वारा अवलोकन प्रतिवेदन/विजिट रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई हों।
- कम्पेन्डियम में दी गई मासिक कार्य योजना के आधार पर गतिविधियों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- एमएचआरडी को प्रेषणीय त्रैमासिक रिपोर्ट यथा समय भिजवाई जावें। जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा इस हेतु जिम्मेदार होंगे।

नोट- परियोजना से सम्बन्धित अथवा शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी/संदर्भ व्यक्ति/आगन्तुक केजीबीवी में निरीक्षण/अवलोकन करने जाए तो वह कोई न कोई शैक्षिक गतिविधि बालिकाओं के साथ अवश्य करवाए। यह कार्य प्रत्येक विजिट में करवाया जाना चाहिए।

  
(अभिषेक भागोटिया)  
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : 6280

दिनांक : 1.10.19

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, (स्कूल) शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 3 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक -1, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
- 4 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-2, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
- 5 वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 6 उपनिदेशक, आई.टी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ., जयपुर को पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में अपलोड कराने हेतु।
- 7 उपनिदेशक, समस्त जिले, समग्र शिक्षा अभियान।
- 8 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि पत्र की प्रति सभी संबंधित बी.ई.ई.ओ एवं प्रधानाध्यापिका केजीबीवी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 9 समस्त, जिला प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, ।
- 10 संबंधित ब्लॉक के सीबीईईओ एवं पीईईओ।
- 11 प्रधानाध्यापिका/वॉर्डन समस्त केजीबीवी।
- 12 रक्षित पत्रावली।

  
(स्नेहलता हारीत)  
उपायुक्त, केजीबीवी

| KGBV TYPE-3 LIST (CLASS 6-12) |             |                |                |      |          |                   |           |                 |
|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|------|----------|-------------------|-----------|-----------------|
| S.N.                          | Districts   | Block          | KGBV           | S/SH | Minority | KGBV Upgrade year | KGBV TYPE | Existing Target |
| 1                             | Ajmer       | Arain          | Arain          | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 2                             | Ajmer       | Bhiani         | Devliyakala    | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 3                             | Ajmer       | Kekri          | Taswariya      | SH   |          | 2019-20           | TYPE-III  | 100             |
| 4                             | Ajmer       | Masuda         | Kirap          | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 5                             | Ajmer       | Pisangan       | Tabiji         | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 6                             | Ajmer       | Srinagar       | Srinagar       | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 7                             | Alwar       | Kishganrgh     | B.K. Nagar     | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 8                             | Alwar       | Rajgarh        | Rajpurbada     | SH   |          | 2019-20           | TYPE-III  | 100             |
| 9                             | Alwar       | Ramgarh        | Changigarh     | SH   |          | 2019-20           | TYPE-III  | 100             |
| 10                            | Banswara    | TALWARA        | Aanbapura      | SH   |          | 2019-20           | TYPE-III  | 150             |
| 11                            | Baran       | ANTA           | Khajurnaklan   | SH   |          | 2019-20           | TYPE-III  | 100             |
| 12                            | Baran       | ATRU           | Chjava         | H    |          | 2019-20           | TYPE-III  | 100             |
| 13                            | Baran       | CHABRA         | Kdeyanohr      | H    |          | 2019-20           | TYPE-III  | 100             |
| 14                            | Baran       | CHIPABROD      | Harnavdashahji | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 15                            | Baran       | SHAHBAD        | Shahbad        | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 16                            | Barmer      | Balotra        | Ramsin Mungra  | SH   |          | 2019-20           | TYPE-III  | 100             |
| 17                            | Barmer      | Ramsar         | Siyani         | SH   |          | 2018-19           | TYPE-III  | 100             |
| 18                            | Barmer      | Sedwa          | Sata           | SH   |          | 2018-19           | TYPE-III  | 100             |
| 19                            | Barmer      | Shiv           | Harsani        | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 20                            | Barmer      | Siwana         | Mahilavas      | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 21                            | Bharatpur   | WEIR           | NITHAR         | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 22                            | Bhilwara    | Asind          | B. K. Sareri   | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 23                            | Bhilwara    | Banera         | Dabla          | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 24                            | Bhilwara    | Hurda          | Hurda          | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 25                            | Bhilwara    | Jahajpur       | Amarwasi       | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 26                            | Bhilwara    | Kotri          | Paroli         | H    |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 27                            | Bhilwara    | Mandal         | Bhagwanpura    | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 28                            | Bhilwara    | Mandalgarh     | Sarana         | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 29                            | Bhilwara    | Raypur         | Mokhunda       | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 30                            | Bhilwara    | Shahpura       | Kanechnkala    | H    |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 31                            | Bhilwara    | Suwana         | Mangrop        | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 32                            | Bikaner     | Bikaner        | Poogal         | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 33                            | Bikaner     | Nokha          | Kakku          | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 34                            | Bundi       | Bundi          | Matunda        | SH   |          | 2018-19           | TYPE-III  | 100             |
| 35                            | Bundi       | K.Patan        | Lakheri        | SH   |          | 2019-20           | TYPE-III  | 100             |
| 36                            | Bundi       | Nainwa         | Dei            | SH   |          | 2019-20           | TYPE-III  | 100             |
| 37                            | Chittorgarh | BHADESAR       | Nahargarh      | SH   |          |                   | TYPE-III  | 200             |
| 38                            | Chittorgarh | Bhainsroadgarh | Mndesara       | SH   |          | 2019-20           | TYPE-III  | 100             |

|    |             |             |              |    |          |         |          |     |
|----|-------------|-------------|--------------|----|----------|---------|----------|-----|
| 39 | Churu       | RAJGARH     | RAJGARH      | SH | Minority | 2018-19 | TYPE-III | 100 |
| 40 | Churu       | CHURU       | CHURU        | SH | Minority | 2018-19 | TYPE-III | 100 |
| 41 | Churu       | SARDARSAHAR | HARDESAR     | SH | Minority | 2018-19 | TYPE-III | 100 |
| 42 | Churu       | SUJANGARH   | SUJANGARH    | SH | Minority | 2018-19 | TYPE-III | 100 |
| 43 | Dausa       | Dausa       | Dausa        | SH |          | 2018-19 | TYPE-III | 100 |
| 44 | Dausa       | Sikrai      | Bhandari     | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100 |
| 45 | Dholpur     | Bari        | Hansai       | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 46 | Dholpur     | Baseri      | Mothiyapura  | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 47 | Dholpur     | Dholpur     | Prerna Nagar | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 48 | Dholpur     | Rajakhera   | Marena       | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 49 | Dungarpur   | Aspur       | Dhani Ghati  | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 50 | Dungarpur   | Bichiwara   | Ganji        | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 51 | Dungarpur   | Dovda       | Bhachadiya   | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100 |
| 52 | Dungarpur   | Sangwara    | Manakpura    | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 53 | Dungarpur   | Shimlawara  | Peeth        | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 54 | Hanumangarh | Hanumangarh | Tibbi        | SH |          |         | TYPE-III | 250 |
| 55 | Jaipur      | AMBER       | Anoppura     | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 56 | Jaipur      | SANGANER    | Pnvaliya     | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100 |
| 57 | Jaisalmer   | Jaisalmer   | Nachna       | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 58 | Jaisalmer   | Pokran      | Bhadariya    | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 59 | Jaisalmer   | Sam         | Sonu         | H  |          |         | TYPE-III | 200 |
| 60 | Jalore      | BHINMAL     | Punasa       | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 61 | Jalore      | RANIWARA    | Jalore Klan  | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100 |
| 62 | Jalore      | SANCHORE    | Arnay        | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 63 | Jhalawar    | Dag         | Chaumehala   | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 64 | Jhalawar    | M.Thana     | Jawar        | SH |          | 2018-19 | TYPE-III | 100 |
| 65 | Jodhpur     | Balesar     | Balesar      | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 66 | Jodhpur     | Pipadshahar | Ratkudiya    | SH |          | 2018-19 | TYPE-III | 100 |
| 67 | Jodhpur     | Bilara      | Bhavi        | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100 |
| 68 | Jodhpur     | Luni        | Nandwan      | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100 |
| 69 | Jodhpur     | Mandore     | Popawas      | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100 |
| 70 | Jodhpur     | Phalodi     | Phalodi      | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 71 | Jodhpur     | Shergarh    | Shergarh     | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 72 | Karauli     | Karauli     | Masalpur     | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 73 | Karauli     | Sapotra     | Naroli Dang  | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 74 | Kota        | Itawa       | Itawa        | H  |          |         | TYPE-III | 200 |
| 75 | Nagaur      | Didwana     | Molasar      | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 76 | Nagaur      | Jayal       | Jayal        | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 77 | Nagaur      | Kuchaman    | Kuchaman     | SH |          |         | TYPE-III | 200 |
| 78 | Nagaur      | Ladnun      | Ladnun Mino. | SH | Minority | 2018-19 | TYPE-III | 100 |
| 79 | Nagaur      | Ladnun      | Kusumbi      | SH |          |         | TYPE-III | 200 |

|     |            |              |                 |    |          |         |          |              |
|-----|------------|--------------|-----------------|----|----------|---------|----------|--------------|
| 80  | Nagaur     | Makrana      | Borawad         | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100          |
| 81  | Nagaur     | Mundwa       | Roon            | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 82  | Nagaur     | Nagaur       | Nagaur Mino.    | SH | Minority | 2018-19 | TYPE-III | 100          |
| 83  | Nagaur     | Nagaur       | Tankla          | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 84  | Nagaur     | Riyan        | Riyan           | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 85  | Pali       | Bali         | Khetarli        | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 86  | Pali       | Jaitaran     | Jaitaran        | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 87  | Pali       | Mar.Jun      | Sawarad         | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100          |
| 88  | Pali       | Rani         | Khod            | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 89  | Pratapgarh | Pipalkhunt   | Ghantali        | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 90  | Rajsamand  | Khamnor      | Nedach          | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100          |
| 91  | Rajsamand  | Kumalgarh    | Charbhuj        | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 92  | Rajsamand  | Railmagra    | Railmagara      | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 93  | Rajsamand  | Rajsamand    | Kelwa           | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100          |
| 94  | S.Madhupur | BOUNLI       | Bounli          | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 95  | S.Madhupur | GANGAPUR     | Khanpurbdoda    | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100          |
| 96  | S.Madhupur | SAWIMADHOPUR | Ckeri           | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 97  | Sikar      | Fatehpur     | Fatehpur Tajsar | SH | Minority | 2018-19 | TYPE-III | 100          |
| 98  | Sikar      | Piprali      | Sikar Sahar     | SH | Minority | 2018-19 | TYPE-III | 100          |
| 99  | Sirohi     | Reodar       | Mandar          | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 100 | Sirohi     | Sirohi       | Jawal           | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 101 | Tonk       | Malpura      | Malpura         | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 102 | Tonk       | Toda         | Toda            | SH |          |         | TYPE-III | 200          |
| 103 | Tonk       | Tonk         | Piplu           | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100          |
| 104 | Tonk       | Uniyara      | Aligareh        | H  |          |         | TYPE-III | 200          |
| 105 | Udaipur    | BHINDER      | Kheroda         | H  |          |         | TYPE-III | 200          |
| 106 | Udaipur    | GOGUNDA      | Nandeshma       | SH |          | 2018-19 | TYPE-III | 100          |
| 107 | Udaipur    | JHADOL       | Oda             | H  |          | 2019-20 | TYPE-III | 100          |
| 108 | Udaipur    | SALUMBAR     | Intali khera    | SH |          | 2019-20 | TYPE-III | 100          |
| 109 | Udaipur    | SARADA       | Semari          | SH |          | 2018-19 | TYPE-III | 100          |
|     |            | <b>Total</b> |                 |    |          |         |          | <b>17700</b> |

SH = school cum hostel  
H = only hostel

| Type-3 Financial Provision for the year 2019-20                 |                       |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Activity                                                        | Unit cost             | Period | Budget | Budget | Budget | Budget |
|                                                                 |                       |        | (100G) | (150G) | (200G) | (250G) |
| 1. Fooding & Lodging                                            | Per girl Rs. 1650 pm  | Month  | 19.80  | 29.70  | 39.60  | 49.50  |
| 2. Stipend for girl                                             | Rs.150 pm             | Month  | 1.80   | 2.70   | 3.60   | 4.50   |
| 3. Supplementary TLM, stationery and other educational material | Per girl Rs. 1100 pa  | Annual | 1.10   | 1.65   | 2.20   | 2.75   |
| 4. Examination Fee                                              | Per girl Rs. 800      | Annual | 0.40   | 0.40   | 0.40   | 0.40   |
| 5. Vocational training/ specific skill training                 | Per girl Rs. 1500 pa  | Annual | 1.50   | 2.25   | 3.00   | 3.75   |
| 6. Electricity/ water charges                                   | Per girl Rs. 1800 pa  | Annual | 1.80   | 2.70   | 3.60   | 4.50   |
| 7. Medical care/ Contingencies                                  | Per girl Rs. 1500 pa  | Annual | 1.50   | 2.25   | 3.00   | 3.75   |
| 8. Maintenance                                                  | Per girl Rs. 1000 pa  | Annual | 1.00   | 1.50   | 2.00   | 2.50   |
| 9. Miscellaneous                                                | Per girl Rs. 1500 pa  | Annual | 1.50   | 2.25   | 3.00   | 3.75   |
| 10. Preparatory camps                                           | Per KGBV Rs. 7000 pa  | Annual | 0.07   | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
| 11. PTAs/ school functions                                      | Per girl Rs. 200 pa   | Annual | 0.20   | 0.30   | 0.40   | 0.50   |
| 12. Capacity building                                           | Per kgbv Rs. 10000 pa | Annual | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
| 13. Physical / Self Defence training                            | Per Kgbv Rs.10000 pa  | Annual | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
| 14. Salary                                                      | as per state norms    |        |        |        |        |        |

| PROPOSAL FOR CAPACITY ENHANCEMENT (TYPE-III LIST) Approved in PAB 2018-19<br>Spill over for 2018-19 |                    |         |           |             |          |       |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-------------|----------|-------|--------------|--------------------------|
| S.N.                                                                                                | District           | Block   | KGBV Name | Category    | Capacity | Model | Budget       | Type of KGBV (1 / 2 / 3) |
| 1                                                                                                   | Jaisalmer          | Sam     | Sonu      | Same Campus | 100      | M3    | 21.74        | TYPE-III                 |
| 2                                                                                                   | Udaipur            | Bhinder | Kheroda   | Same Campus | 100      | M3    | 21.74        | TYPE-III                 |
|                                                                                                     | <b>GRAND TOTAL</b> |         |           |             |          |       | <b>43.48</b> |                          |

| KGBV TYPE-III LIST of Furniture and TLM Approved in PAB 2018-19<br>Spill over for 2018-19 |             |            |                |                     |                          |                                            |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| S.N.                                                                                      | District    | Block      | KGBV Name      | Capacity in 2018-19 | Type of KGBV (1 / 2 / 3) | Furniture & Equipment (per girl per annum) | TLM & Equipment including library books |
| 1                                                                                         | Ajmer       | Arain      | Arain          | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 2                                                                                         |             | Pisangan   | Tabiji         | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 3                                                                                         |             | Srinagar   | Srinagar       | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 4                                                                                         |             | Bhinai     | Devliyakala    | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 5                                                                                         |             | Masuda     | Kirap          | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 6                                                                                         | Alwar       | Kishangarh | B.K. nagar     | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 7                                                                                         | Baran       | Shahbad    | Shahbad        | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 8                                                                                         |             | Chipabarod | Harnavdashahji | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 9                                                                                         | Barmer      | Shiv       | Harsani        | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 10                                                                                        |             | Siwana     | Mahilavas      | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 11                                                                                        | Bharatpur   | Weir       | Nithar         | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 12                                                                                        | Bhilwara    | Mandal     | Bhagwanpura    | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 13                                                                                        |             | Hurda      | Hurda          | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 14                                                                                        |             | Banera     | Dabla          | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 15                                                                                        |             | Mandalgarh | Sarana         | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 16                                                                                        |             | Shahpura   | Kanechnkala    | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 17                                                                                        |             | Kotri      | Paroli         | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 18                                                                                        |             | Jahajpur   | Amarwasi       | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 19                                                                                        |             | Raypur     | Mokhunda       | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 20                                                                                        |             | Asind      | B.K.Sareri     | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 21                                                                                        |             | Suwana     | Mangrop        | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 22                                                                                        |             | Bikaner    | Poogal         | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 23                                                                                        |             | Nokha      | Kakku          | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 24                                                                                        | Chittorgarh | Bhadesar   | Nahargarh      | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 25                                                                                        | Dholpur     | Dholpur    | Prerna Nagar   | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 26                                                                                        |             | Baseri     | Mothiyapura    | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 27                                                                                        |             | Bari       | Hansai         | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 28                                                                                        |             | Rajakhera  | Marena         | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 29                                                                                        | Dungarpur   | Shimalwara | Peeth          | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 30                                                                                        |             | Bichwara   | Ganji          | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 31                                                                                        |             | Aspur      | Dhani Ghati    | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 32                                                                                        |             | Sangwara   | Manakpura      | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 33                                                                                        | Hanumangarh | Tibbi      | Tibbi          | 250                 | TYPE-III                 | 3.5                                        | 5.25                                    |
| 34                                                                                        | Jaipur      | Amber      | Anoppura       | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 35                                                                                        | Jaisalmer   | Pokran     | Bhadariya      | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 36                                                                                        |             | Sam        | Sonu           | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 37                                                                                        |             | Jaisalmer  | Nachna         | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 38                                                                                        | Jalore      | Bhinmal    | Punasa         | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 39                                                                                        |             | Sanchore   | Arnay          | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 40                                                                                        | Jhalawar    | Dag        | Chaumehala     | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 41                                                                                        | Jodhpur     | Shergarh   | Shergarh       | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 42                                                                                        |             | Balesar    | Balesar        | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 43                                                                                        |             | Phalodi    | Phalodi        | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 44                                                                                        | Karauli     | Karauli    | Masalpur       | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 45                                                                                        |             | Sapotra    | Naroli dang    | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 46                                                                                        | Kota        | Itawa      | Itawa          | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 47                                                                                        | Nagaur      | Mundwa     | Roon           | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |
| 48                                                                                        |             | Jayal      | Jayal          | 200                 | TYPE-III                 | 2.8                                        | 4.2                                     |

|    |             |              |           |       |          |       |        |
|----|-------------|--------------|-----------|-------|----------|-------|--------|
| 49 |             | Ladnun       | Kusumbi   | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 50 |             | Didwana      | Molasar   | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 51 |             | Kuchaman     | Kuchaman  | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 52 |             | Riyan        | Riyan     | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 53 |             | Nagaur       | Tankla    | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 54 |             | Rani         | Khod      | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 55 |             | Bali         | Khetarli  | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 56 |             | Jaitaran     | Jaitaran  | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 57 |             | Sojat        | Sojat     | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 58 | Pratapgarh  | Pipalkhunt   | Ghantali  | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 59 | Rajsamand   | Kumabhaigarh | Charbuja  | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 60 |             | Railmagra    | Railmagra | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 61 | S.Madhampur | S.Madhampur  | Ckeri     | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 62 |             | Bounli       | Bounli    | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 63 |             | Sirohi       | Jawal     | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 64 |             | Reodar       | Mandar    | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 65 |             | Malpura      | Malpura   | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 66 |             | Uniyara      | Aigarh    | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 67 |             | Toda         | Toda      | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
| 68 | Udaipur     | Bhinder      | Kheroda   | 200   | TYPE-III | 2.8   | 4.2    |
|    |             |              |           | 13650 |          | 191.1 | 286.65 |

| LIST OF 19 KGBV TYPE-III LIST (MAJOR REPAIR) Approved in PAB 2018-19<br>Spill over for 2018-19 |            |                             |                |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Sl. No                                                                                         | District   | Block/<br>Municipal<br>Area | Place of KGBV  | KGBV<br>TYPE | AMOUNT |
| 1                                                                                              | Ajmer      | Bhiani                      | Devliyakala    | Type- III    | 2.5    |
| 2                                                                                              | Ajmer      | Srinagar                    | Srinagar       | Type- III    | 2.5    |
| 3                                                                                              | Baran      | Chipabrod                   | Harnavdashahji | Type- III    | 2.5    |
| 4                                                                                              | Bhilwara   | Kotri                       | Paroli         | Type- III    | 2.5    |
| 5                                                                                              | Bhilwara   | Raypur                      | Mokhunda       | Type- III    | 2.5    |
| 6                                                                                              | Bikaner    | Bikaner                     | Poogal         | Type- III    | 2.5    |
| 7                                                                                              | Bikaner    | Nokha                       | Kakku          | Type- III    | 2.5    |
| 8                                                                                              | Dungarpur  | Bichiwara                   | Ganji          | Type- III    | 2.5    |
| 9                                                                                              | Dungarpur  | Shimlawara                  | Peeth          | Type- III    | 2.5    |
| 10                                                                                             | Jaisalmer  | Pokran                      | Bhadariya      | Type- III    | 2.5    |
| 11                                                                                             | Jaisalmer  | Sam                         | Sonu           | Type- III    | 2.5    |
| 12                                                                                             | Jalore     | BHINMAL                     | Punasa         | Type- III    | 2.5    |
| 13                                                                                             | Jhalawar   | Dag                         | Chaumehala     | Type- III    | 2.5    |
| 14                                                                                             | Kota       | Itawa                       | Itawa          | Type- III    | 2.5    |
| 15                                                                                             | Nagaur     | Jayal                       | Jayal          | Type- III    | 2.5    |
| 16                                                                                             | Nagaur     | Mundwa                      | Roon           | Type- III    | 2.5    |
| 17                                                                                             | Pratapgarh | Pipalkhunt                  | Ghantali       | Type- III    | 2.5    |
| 18                                                                                             | Sirohi     | Reodar                      | Mandar         | Type- III    | 2.5    |
| 19                                                                                             | Sirohi     | Sirohi                      | Jawal          | Type- III    | 2.5    |
| Grand Total                                                                                    |            |                             |                |              | 47.5   |

| Construction of building KGBV sanctioned earlier 2017-18<br>Spill over for 2018-19 |          |           |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------------|
| S.No.                                                                              | District | Block     | Name of KGBV | Spill over Amount |
| 1                                                                                  | Karauli  | Nadauti   | Dalpura      | 1.087             |
| 2                                                                                  | Karauli  | Todabheem | Mahaswa      | 1.087             |
| 3                                                                                  | Udaipur  | Jhadol    | Oda          | 1.087             |
| Grand Total                                                                        |          |           |              | 3.261             |

संलग्नक - '4'

| S.N. | Districts | Block        | KGBV            | S/SH | Existing Type | Existing Target | Furniture | TLM       | Bedding   |
|------|-----------|--------------|-----------------|------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1    | Barmer    | Ramsar       | Siyani          | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 2    | Barmer    | Sedwa        | Sata            | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 3    | Bundi     | Bundi        | Matunda         | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 4    | Churu     | RAJGARH      | RAJGARH         | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 5    | Churu     | CHURU        | CHURU           | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 6    | Churu     | SARDARSAHAR  | HARDESAR        | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 7    | Churu     | SUJANGARH    | SUJANGARH       | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 8    | Dausa     | Dausa        | Dausa           | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 9    | Jhalawar  | M.Thana      | Jawar           | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 10   | Jodhpur   | Pipadshahar  | Ratkudiya       | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 11   | Nagaur    | Ladnun       | Ladnun Mino.    | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 12   | Nagaur    | Nagaur       | Nagaur Mino.    | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 13   | Sikar     | Fatehpur     | Fatehpur Tajsar | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 14   | Sikar     | Piprali      | Sikar Sahar     | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 15   | Udaipur   | GOGUNDA      | Nandeshma       | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
| 16   | Udaipur   | SARADA       | Semari          | SH   | TYPE-III      | 100             | 3         | 3.5       | 1.5       |
|      |           | <b>Total</b> |                 |      |               | <b>1600</b>     | <b>48</b> | <b>56</b> | <b>24</b> |

संलग्नक - '5'

| 23 New KGBV Upgrade in 2019-20 |             |                |               |      |               |                 |                          |
|--------------------------------|-------------|----------------|---------------|------|---------------|-----------------|--------------------------|
| S.N.                           | Districts   | Block          | KGBV          | S/SH | Existing Type | Existing Target | Construction of building |
| 1                              | Ajmer       | Kekri          | Taswariya     | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 2                              | Alwar       | Rajgarh        | Rajpurbada    | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 3                              | Alwar       | Ramgarh        | Changigarh    | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 4                              | Banswara    | TALWARA        | Aanbapura     | SH   | TYPE-III      | 150             | 207.7                    |
| 5                              | Baran       | ANTA           | Khajurnaklan  | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 6                              | Baran       | ATRU           | Chjava        | H    | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 7                              | Baran       | CHABRA         | Kdeyanohr     | H    | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 8                              | Barmer      | Balotra        | Ramsin Mungra | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 9                              | Bundi       | K.Patan        | Lakheri       | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 10                             | Bundi       | Nainwa         | Dei           | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 11                             | Chittorgarh | Bhainsroadgarh | Mndesara      | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 12                             | Dausa       | Sikrai         | Bhandari      | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 13                             | Dungarpur   | Dovda          | Bhachadiya    | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 14                             | Jaipur      | SANGANER       | Pnvaliya      | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 15                             | Jalore      | RANIWARA       | Jalore Klan   | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 16                             | Jodhpur     | Bilara         | Bhavi         | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 17                             | Jodhpur     | Luni           | Nandwan       | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 18                             | Jodhpur     | Mandore        | Popawas       | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 19                             | Pali        | Mar.Jun        | Sawarad       | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 20                             | Rajsamand   | Khamnor        | Nedach        | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 21                             | Rajsamand   | Rajsamand      | Kelwa         | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 22                             | Udaipur     | JHADOL         | Oda           | H    | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
| 23                             | Udaipur     | SALUMBAR       | Intali khera  | SH   | TYPE-III      | 100             | 207.7                    |
|                                |             | <b>Total</b>   |               |      |               | <b>17700</b>    | <b>4777.1</b>            |

| Boundary Wall list for Type-3 KGBV Approved in PAB 2019-20 |            |              |                 |      |               |                 |                |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|------|---------------|-----------------|----------------|
| S.N.                                                       | Districts  | Block        | KGBV            | S/SH | Existing Type | Existing Target | Booundary wall |
| 1                                                          | Ajmer      | Kekri        | Taswariya       | SH   | TYPE-III      | 100             | 2.73           |
| 2                                                          | Ajmer      | Masuda       | Kirap           | SH   | TYPE-III      | 200             | 9.11           |
| 3                                                          | Baran      | ANTA         | Khajurnaklan    | SH   | TYPE-III      | 100             | 12.15          |
| 4                                                          | Baran      | ATRU         | Chjava          | H    | TYPE-III      | 100             | 9.72           |
| 5                                                          | Bhilwara   | Asind        | B. K. Sareri    | SH   | TYPE-III      | 200             | 3.65           |
| 6                                                          | Bhilwara   | Banera       | Dabla           | SH   | TYPE-III      | 200             | 1.52           |
| 7                                                          | Bhilwara   | Kotri        | Paroli          | H    | TYPE-III      | 200             | 1.34           |
| 8                                                          | Bhilwara   | Mandal       | Bhagwanpura     | SH   | TYPE-III      | 200             | 1.22           |
| 9                                                          | Bhilwara   | Mandalgarh   | Sarana          | SH   | TYPE-III      | 200             | 2.43           |
| 10                                                         | Bhilwara   | Raypur       | Mokhunda        | SH   | TYPE-III      | 200             | 2.43           |
| 11                                                         | Bhilwara   | Shahpura     | Kanechnkala     | H    | TYPE-III      | 200             | 1.22           |
| 12                                                         | Churu      | SUJANGARH    | SUJANGARH       | SH   | TYPE-III      | 100             | 3.66           |
| 13                                                         | Dausa      | Sikrai       | Bhandari        | SH   | TYPE-III      | 100             | 11.34          |
| 14                                                         | Dholpur    | Bari         | Hansai          | SH   | TYPE-III      | 200             | 6.38           |
| 15                                                         | Dholpur    | Baseri       | Mothiyapura     | SH   | TYPE-III      | 200             | 7.29           |
| 16                                                         | Dholpur    | Dholpur      | Prerna Nagar    | SH   | TYPE-III      | 200             | 5.77           |
| 17                                                         | Dholpur    | Rajakhera    | Marena          | SH   | TYPE-III      | 200             | 4.86           |
| 18                                                         | Jaipur     | AMBER        | Anoppura        | SH   | TYPE-III      | 200             | 7.29           |
| 19                                                         | Jaipur     | SANGANER     | Pnvaliya        | SH   | TYPE-III      | 100             | 4.17           |
| 20                                                         | Jhalawar   | M.Thana      | Jawar           | SH   | TYPE-III      | 100             | 14.58          |
| 21                                                         | Karauli    | Sapotra      | Naroli Dang     | SH   | TYPE-III      | 200             | 1.46           |
| 22                                                         | Rajsamand  | Khamnor      | Nedach          | SH   | TYPE-III      | 100             | 9.96           |
| 23                                                         | Rajsamand  | Kumalgarh    | Charbhuj        | SH   | TYPE-III      | 200             | 10.94          |
| 24                                                         | Rajsamand  | Railmagra    | Railmagara      | SH   | TYPE-III      | 200             | 4.56           |
| 25                                                         | Rajsamand  | Rajsamand    | Kelwa           | SH   | TYPE-III      | 100             | 9.11           |
| 26                                                         | S.Madhopur | BOUNLI       | Bounli          | SH   | TYPE-III      | 200             | 2.52           |
| 27                                                         | S.Madhopur | SAWIMADHOPUR | Ckeri           | SH   | TYPE-III      | 200             | 16.40          |
| 28                                                         | Sikar      | Fatehpur     | Fatehpur Tajsar | SH   | TYPE-III      | 100             | 6.99           |
| 29                                                         | Sikar      | Piprali      | Sikar Sahar     | SH   | TYPE-III      | 100             | 4.74           |
| 30                                                         | Udaipur    | GOGUNDA      | Nandeshma       | SH   | TYPE-III      | 100             | 9.60           |
|                                                            |            | <b>Total</b> |                 |      |               | <b>17700</b>    | <b>189.12</b>  |

| S.N. | Districts  | Block        | KGBV          | S/SH | CCE<br>KGBV | Existing<br>Type |
|------|------------|--------------|---------------|------|-------------|------------------|
| 1    | Alwar      | Kishanganrgh | B.K. Nagar    | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 2    | Alwar      | Rajgarh      | Rajpurbada    | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 3    | Alwar      | Ramgarh      | Changigarh    | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 4    | Barmer     | Balotra      | Ramsin Mungra | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 5    | Barmer     | Ramsar       | Siyani        | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 6    | Bharatpur  | WEIR         | NITHAR        | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 7    | Churu      | RAJGARH      | RAJGARH       | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 8    | Churu      | SARDARSAHAR  | HARDESAR      | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 9    | Dungarpur  | Aspur        | Dhani Ghati   | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 10   | Dungarpur  | Shimlawara   | Peeth         | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 11   | Jaipur     | AMBER        | Anoppura      | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 12   | Jaipur     | SANGANER     | Pnvaliya      | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 13   | Jodhpur    | Balesar      | Balesar       | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 14   | Jodhpur    | Phalodi      | Phalodi       | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 15   | Nagaur     | Didwana      | Molasar       | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 16   | Nagaur     | Jayal        | Jayal         | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 17   | Nagaur     | Kuchaman     | Kuchaman      | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 18   | Nagaur     | Ladnun       | Ladnun Mino.  | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 19   | Nagaur     | Ladnun       | Kusumbi       | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 20   | S.Madhupur | BOUNLI       | Bounli        | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 21   | Sirohi     | Sirohi       | Jawal         | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 22   | Tonk       | Malpura      | Malpura       | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 23   | Tonk       | Tonk         | Piplu         | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 24   | Udaipur    | GOGUNDA      | Nandeshma     | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 25   | Udaipur    | SALUMBAR     | Intali khera  | SH   | CCE         | TYPE-III         |
| 26   | Udaipur    | SARADA       | Semari        | SH   | CCE         | TYPE-III         |

## राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

राजीव गांधी विद्या भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल  
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं. 0141-2716616, Email :- girlseducationsmsa@gmail.com

क्रमांक : राजस्कूलिप/जयपुर/बाशि/नौतिगत निर्देश/2018-19/ 11371

दिनांक : 29/01/2019

नोडल संस्था प्रधान एवं प्रधानाचार्य  
(केजीबीवी टाईप-3)  
समस्त जिले।

विषय :- केजीबीवी टाईप-3 (कक्षा 8-8) ईकाई के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार छात्रावास के नोडल संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य) को दिये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्यभर में संचालित केजीबीवी टाईप-3 के (कक्षा 8-8) ईकाई का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण के अधिकार केजीबीवी टाईप-3 के (कक्षा 9-12) के नोडल संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य) को प्रदान किये जाकर निर्देशित किया जाता है कि :-

1. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के पत्रांक प.6/राज.स्कूलशिप/जय/बाशि/केजीबीवी/कम्पैन्डियम/2018-19/7154 दिनांक 03.10.2018 द्वारा एकीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय टाईप-3 के दिशा-निर्देश सत्र 2018-19 में वर्णित समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का उपयोग करेंगे।
2. केजीबीवी टाईप-3 जहां पर कक्षा 8-8 के विद्यालय मय छात्रावास दोनों संचालित है उसकी प्रधानाध्यापिका के साथ (प्रधानाध्यापिका की अनुपलब्धता में अन्य राजकीय सेवा की वरिष्ठतम अध्यापिका के साथ) संयुक्त रूप से SMC के बैंक खाते के माध्यम से आहरण-वितरण के अधिकारों का उपयोग भी नियमानुसार करेंगे।
3. केजीबीवी टाईप-3 जहां केवल 8-8 के छात्रावास ही संचालित है वहां की मुख्य वार्डन अथवा अन्य राजकीय सेवा की अध्यापिका के साथ संयुक्त रूप से HMC के बैंक खाते के माध्यम से आहरण-वितरण के अधिकारों का उपयोग भी नियमानुसार करेंगे।
4. विद्यालय मय छात्रावास अथवा केवल छात्रावास का संचालन, वहां पर राजकीय सेवा के प्रतिनियुक्त एवं प्लेसमेंट एजेंसी, NGO सदस्यों के माध्यम से सम्पन्न करवायेंगे।
5. कार्यरत राजकीय एवं प्लेसमेंट एजेंसी के स्टाफ के कार्य का विभाजन कर सकेंगे। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे।
6. विद्यालय अथवा छात्रावास में प्रतिनियुक्त समस्त महिला शिक्षिकाओं की रात्रि आवासीयता को सुनिश्चित करेंगे।
7. छात्राओं की सुरक्षा के प्रति सभी आवश्यक कार्य पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।
8. कार्यरत कार्मिकों की अवकाश स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को अनुसार निर्णय करेंगे एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, प्राप्त प्रार्थना पत्रों को CSEO को अभिभाषा के साथ प्रेषित करेंगे।
9. विद्यालय अथवा छात्रावास का समस्त प्रकार का रिकार्ड, रजिस्टर का संधारण नियमानुसार एवं निर्धारित मापदण्डानुसार एकरूपता से करवाना सुनिश्चित करेंगे।
10. कैशबुक का संधारण मदवार करवायेंगे एवं प्रत्येक माह की 3 तारीख तक गत माह की MPR निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
11. राज्य परिषद् मुख्यालय, जयपुर एवं जिला कार्यालयों से प्रेषित पत्रों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः

12. बालिकाओं के शतप्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करेंगे। सप्ताह में 2 बार केजीबीवी का विजिट करेंगे। बालिकाओं एवं स्टाफ का सम्बलन करेंगे एवं समस्याओं का निराकरण भी कस्बाना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त के अलावा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

संलग्न :- पूर्व में जारी दिशा-निर्देश (कम्पैन्डियम)

4-11-19  
(प्रदीप बोरडे)

आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,  
सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान

प्रमाणक : एस्कूटिप/जयपुर/पा.शि./शिक्षित निर्देश/2018-19/ 11371

दिनांक : 29/01/2019

प्रतिलिपि :-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूशिप. सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान।
- 3 निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
- 4 निजी सचिव, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 समस्त उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 6 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिलों को भेजकर लेख है कि अनुपालना सुनिश्चित करावें।
- 7 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
- 8 समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक, समस्त जिले।
- 9 जिला कोषाधिकारी/ब्लॉक उपकोषाधिकारी समस्त ब्लॉक एवं समस्त जिले राजस्थान।
- 10 समस्त नोडल संस्था प्रधान, समस्त जिले।
- 11 रक्षित पत्रावली।

29/1/19  
(समनिवास जोट)  
राज्य परियोजना निदेशक

